(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

1] [2

बृहस्पतिवार,

दिनांक 2 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 11

श्री चुन्नी लाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 12

श्री खेतसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री नवरंग सिंह !

**राजस्व अभियान एवं इस पर व्यय की गई राशि**

13. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजस्व अभियान में कितने मामलों का मौकों पर निर्णय किया गया तथा कितने मामले पैंडिंग रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ मामले पैन्डिंग रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन मामलों को निर्णय होने की आशा है ?

(3) इस राजस्व अभियान पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : Absent,

**एक माननीय सदस्य** : जवाब नहीं आ रहा है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : मंत्रीजी नहीं आए दिखते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चम्पावत !

**श्री नवरंग सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अवश्य जवाब दिलवाऊंगा। मंत्री महोदय को आने दें। मैं स्थगित करता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : मंत्रीजी को ताड़ना देनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह खेदजनक व्यवस्था है और सदन का अपमान है। मंत्री महोदय के आने पर मैं इसको पेश करूंगा।

Page No 2

(1)



**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) :** मैं दे रहा हूँ इसका उत्तर।

(1) राज्य में राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 1-10-77 से 15-11-77 तक 14 बिन्दुओं के अन्तर्गत आने वाले मामले निपटाये गये एवं अवशेष मामलों का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। सूचना समस्त जिलाधीशों से एकत्रित की जा रही है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

**श्री नवरंग सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि खातेदारी अधिकार 138260 खेतों पर देने थे फिर कम क्यों दिये गये ? बाकी नहीं दिये गये हैं, वे कब तक दिये जायेंगे ? और जिन मामलों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं उसके क्या कारण हैं ?

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में फर्माया कि अधिकृत जानकारी नहीं है, तो अनधिकृत जानकारी आपके पास क्या है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** विस्तृत जानकारी नहीं है।

**श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :** अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान में कितने पैंडिंग मामलों की शिकायतें अभी हैं ? जिलेवार आंकड़े मंगवाये जायें कि अभी कितने मामले पैंडिंग रहते हैं ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़):** अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसकी विस्तृत जानकारी भी नहीं है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय। जब तक पूरी जानकारी नहीं आ जाय तब तक इसको स्थगित रखा जाय। आपने प्रश्न में दो बार कहा है कि विस्तृत जानकारी नहीं है। प्रश्न के भाग (3) में पूछा है, कितना धन व्यय हुआ है ? आपने बताया कि विस्तृत जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित ही रखा जाय।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** मंत्री जी आते ही होंगे। यह तो अध्यक्ष महोदय ने नहीं फर्माया कि मंत्री जी नहीं आवेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित किया। स्थगित किया।

**श्री गोविन्द सिंह शक्तावत !**

**लेबर कान्ट्रैक्ट सोसायटी, आमेट के अध्यक्ष के विरुद्ध बकाया राशि।**

14. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लेबर कान्ट्रैक्ट सोसायटी, आमेट, जिला उदयपुर के अध्यक्ष के नाम सहकारी समिति की कितनी राशि बकाया है ?

(2) जो राशि बकाया है, उसकी वसूली के क्या-क्या प्रयत्न जारी हैं ?

**पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :** (1) वर्तमान में कोई राशि बकाया नहीं है।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का क्या कारण है? स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि कुल समिति को 3375 रु. दिये गये हैं। उसकी विस्तार से जांच करवाई गई है। आज की तारीख में प्रश्न का यह उत्तर है कि उसमें कोई राशि बकाया नहीं है। जहां तक प्रश्न के उत्तर का सवाल है, प्रश्न का उत्तर पूरा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

प्रश्न संख्या 15

श्री मूलचन्द डागा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। जयपुर की ढाई सौ वीं वर्ष गांठ का प्रश्न है। इसका उत्तर तो दिलवा दीजिए। ढाई सौ साल बाद शताब्दी मनी है। प्रश्न बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैं उत्तर देने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह आपके स्वयं के विवेक पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता को प्रश्न करना चाहिये, अन्यथा जो अधिकृत हैं वह प्रश्न करें। आप इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत से एम. एल. एज. की राय है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसी व्यवस्था रही है, अध्यक्ष महोदय, शासन ने स्वयं विवेक से इजाजत दी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी भी इसका उत्तर देना पसन्द करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : नियमों में प्रावधान है कि अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाय। यदि वे किसी को अधिकृत करके चले गये हैं तो बात दूसरी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कल भी एक प्रश्न का जवाब दिलवा दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह !

राज्य की औद्योगिक नीति

16. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कब व क्या नीति अपनाई गई है?

(2) उक्त नीति के परिणामस्वरूप राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए व कितनी पूंजी उसमें विनियोजित की गई?

(3) राज्य में औद्योगीकरण द्रुतगति से हो इस बारे में वर्तमान सरकार की क्या नीति है?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : (1) नीति सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(2) संगठित क्षेत्र में वर्ष 1973–74 के अन्त तक 1274 उद्योग स्थापित थे। असंगठित क्षेत्र में 1971–72 में राजस्थान में 1,22,547 उद्योग स्थापित थे (वर्ष 1973–74 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर) संगठित क्षेत्र में पूंजी विनियोजन 428.43 करोड़ का था व असंगठित क्षेत्र में 26.91 करोड़ रुपये का शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 9.55 करोड़ रुपये का था। राज्य में दिसम्बर, 1977 के अन्त तक 24451 निर्माणियां लघु उद्योगों के अन्तर्गत पंजीकृत थी जिसमें 81,890 करोड़ रुपयों का विनियोजन था जब कि 4806 निर्माणियां फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई जिनमें अनुमानतः 500 करोड़ रुपयों का पूंजी विनियोजन था ।

(3) देश के लिये औद्योगिक नीति भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है। राज्य सरकार की नीति उसी के अनुरूप है, नीति का विवरण सदन में यथा समय दिया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखें)

श्री **विजयेन्द्रपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब इन्डस्ट्रीज में कितनी पूंजी लगी हुई है ? और कितनी इन्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं ? जो बन्द पड़ी हैं वह किस कारण से बन्द पड़ी हैं और उनको चालू करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री **रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है...

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देता जाऊं, नहीं तो आप भूल जायेंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर लेना है।

यह अलग से प्रश्न किया जाय। यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री **रामनारायण चौधरी** : मैं मंत्री महोदय से सप्लीमेन्ट्री के रूप में जानना चाहता हूं आप के औद्योगीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कि जब से आपकी सरकार स्थापित हुई है कितने उद्योग स्थापित हुए है और कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ है ?

**उद्योग मंत्री श्री (सूर्यनारायण चौधरी)**: प्रश्न सामूहिक रूप से पूछा गया है। आप अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे दिया जायगा।

श्री **रामनारायण चौधरी** :अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है। मेरा जो सप्लीमेन्ट्री है, उसके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या मैं यह मानूं कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और न ही कहीं पूंजी का विनियोजन हुआ है ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : यह बिल्कुल गलत है। मैंने जैसा निवेदन किया कि आप अलग से प्रश्न करें।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये। आप तो स्वयं मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य कहलाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न करें, विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : अलग से प्रश्न का सवाल नहीं है। सप्लीमेंट्री प्रश्नों के लिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आपको तैयार होकर आना चाहिए। आप तो नये नये हो, बहुत सी बातें सीखो, मेहनत करो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो भी सप्लीमेंट्री अराइज होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह प्रश्न भी सप्लीमेंट्री है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेंट्री प्रश्न है और मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि वह उत्तर दे ही।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने यही पूछा है कि पूंजी का विनियोजन कितना हुआ? आप यह बता दें कि आपके टाइम में इतनी पूंजी का विनियोजन हुआ है, इतनी इन्डस्ट्रीज लगी हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया गया है। मुख्य मंत्रीजी के पास सब आंकड़े हैं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि आपके पास सब प्रकार के आंकड़े हैं, पुराने आंकड़े हैं, नये भी हैं। पुरानी सरकार के आंकड़े तो आपकी टिप्स पर हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं। अगर इस प्रश्न से सम्बन्धित होते तो आपको जरूर बता दिये जाते। आप दूसरा प्रश्न कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब है कि आपके कार्यकाल में एक भी इन्डस्ट्री की स्थापना नहीं हुई है और न ही एक नए पैसे का पूंजी विनियोजन हुआ है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल बिल्कुल साफ है, अध्यक्ष महोदय। इस प्रश्न में यह साफ पूछा गया है। आपको सप्लीमेंट्री के लिए तैयार होकर आना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि "उक्त नीति के परिणाम स्वरूप राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए व कितनी पूंजी उसमें विनियोजित की गई?" आप इसको साइडट्रेक नहीं करें। आपके पास जानकारी नहीं हो, यह अलग बात है। यह पर्टीक्यूलर सवाल पूछा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न में कोई समय नहीं दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसका फैसला नहीं कर सकते। प्रश्न रेलेवेंट है या इर्रेलेवेंट है इसका आप फैसला नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य महोदय ने शायद प्रश्न का आशय नहीं समझा। प्रथम प्रश्न में यह पूछा गया है, "राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कब व क्या नीति अपनाई गई है?"

# Page No 6



श्री श्योपतसिंह मकासर : बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंट्री में भी यही पूछा गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी महाराज, बात सुनिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महाराज नहीं हूं। आप बना रहे हो तो दूसरी बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 'राज्य सरकार' लिखा है। इसमें 'वर्तमान राज्य सरकार' नहीं लिखा हुआ है, अन्यथा मैं पृथक से आंकड़े लेकर आता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आंकड़े लेकर आने की बात नहीं है····

(व्यवधान)

सवाल साफ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि you must learn how to speak in the House and how to reply to the supplementaries. यहां आप अपनी योग्यता प्रकट कर रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप फाइल तो देख नहीं रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं। यह तो हमने भी देख लिया कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है···

(व्यवधान)

आप सरकार में बैठे हैं, मंत्री जी हैं तो आप फाइल देखो। उसमें क्या है, यह बताओ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य शायद यह समझ रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़े रहस्य की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई रहस्य नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी नालेज की बात है, आपकी जानकारी की बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : प्रश्न के स्कोप से बाहर जाकर सप्लीमेंट्री पूछे जा रहे हैं। मैं कोई उत्तर देने को तैयार नहीं हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं··

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न बिल्कुल साफ है···

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। सप्लीमेंट्री प्रश्न बिल्कुल साफ रखा है। इस तरह से मंत्री महोदय जवाब देने से कतरायेंगे, जवाब देने से भागेंगे तो इसका पर्पज ही खतम हो जाता है। प्रश्न में बिल्कुल साफ लिखा है : "राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कब व क्या नीति अपनाई गई है?"

"उक्त नीति के परिणामस्वरूप राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए व कितनी पूंजी उसमें विनियोजित की गई?"

और क्या चाहते हैं आप। इसका क्या मतलब है?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : इसका कोई ब्रेक अप नहीं है। प्रश्न में कोई ब्रेक अप नहीं है। यह मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने वकील की दृष्टि से भी प्रश्न को देखा था।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : वकील की हैसियत से नहीं, मंत्री की हैसियत से देखिए।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आप बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय, आप तो जम कर जवाब दीजिए।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि मेरे विचार से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण शायद यह समझ रहे हों और प्रश्नों से असम्बन्धित सप्लीमेंट्री पूछकर इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहें तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : यह सवाल नहीं है...

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल साफ है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपको सप्लीमेंट्री के लिए तैयार होकर आना चाहिए।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : इसमें कोई ब्रेक अप नहीं है। सालवार ब्रेकअप चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : आपको तैयारी करके आना चाहिए और फिर आपको उत्तर देना चाहिए।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : ये सप्लीमेंट्री प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : यह हाउस के देखने की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय के देखने की बात है कि संबंधित है या नहीं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय निर्देश दे दें ...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय श्योपतसिंहजी को जो आपत्ति है, जो आपत्ति की गई है वह एक हद तक उचित है। लेकिन उसके साथ-साथ राज्य सरकार से भी निवेदन करना है कि इस क्वेश्चन का टर्म है वह बहुत वाइड है। अगर सरकार ने इस क्वेश्चन को एडमिट किया है तो सरकार को जवाब भी दे देना चाहिए। अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो आसन के द्वारा सरकार को जवाब देने के लिए विवश भी नहीं किया जा सकता है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : जानकारी नहीं है तो प्रश्न को पोस्टपोन कीजिए। ऐसे सवालों के लिए तैयार होकर आवें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्रीजी बम्बई गए थे। प्रवासी राजस्थानियों द्वारा मुख्य मंत्रीजी का वहां पर स्वागत किया गया था। मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर भाषण देते हुए बताया था कि राजस्थान में इतनी पूंजी का विनियोजन किया गया है। लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा था कि इतनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया गया है और इतनी पूंजी का विनियोजन किया गया है और

(श्री रामनारायण चौधरी)
यह सब उनके कार्यकाल में हुआ है। उन बातों की जानकारी उनको है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप सदन को भी इसकी जानकारी दें। आपने आठ-दस दिन पहले ही बम्बई में यह सब बताया है तो सदन में बताने में क्या एतराज है। या तो यह मानें कि वहां जो कुछ कहा वह गलत कहा है और आपके पास कोई जानकारी नहीं है। या यह मानें कि इसमें एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, कोई रोजगार नहीं दिया गया है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है।

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : पिछले सत्र में मुख्य मंत्रीजी ने सदन में यह कहा था कि इस पर ब्ल्यू प्रिंट पेश किया जाएगा और सारी विस्तृत योजना जल्द से जल्द लागू की जाएगी। आपने सदन में आश्वासन दिया था कि ब्ल्यू प्रिंट पूरी डिटेल्स के साथ पेश किया जाएगा। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो जानकारी चाही गई है वह सामूहिक रूप से चाही गई है। अगर वर्षवार पूछते तो हमें जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं थी।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : वर्ष आपको हुआ ही कहां है। आप दो दिनों की बात बताओ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने प्रश्न पूछा कि "उक्त नीति के परिणामस्वरूप राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए व कितनी पूंजी उसमें विनियोजित की गई ?" हमने यह समझा, अब तक कितना विनियोजन हुआ है, कितने उद्योग खुले, उसके अनुसार सारे आंकड़े दे दिए। वर्षवार आंकड़े चाहेंगे तो वह भी मिल जायेंगे। मैंने कलकत्ता में, बम्बई में किस प्रकार का भाषण दिया वह आपको जानकारी कैसे हो गई ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : सुनने वालों में मैं भी मौजूद था। राजस्थानी समाज ने आपका स्वागत किया था जिसमें मैं भी मौजूद था।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सुनने वाले ज्यादा ध्यान रखते हैं।

**श्री शंकरलाल (जैतारण)** : मुख्य मंत्री जी विधायकों का ध्यान नहीं रखते, विधायक मुख्य मंत्रीजी का पूरा ध्यान रखते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : वहां पर मुख्य मंत्रीजी स्टेट को रिप्रेजेण्ट कर रहे थे और राजस्थान का होने के नाते मैं भी वहां मौजूद था।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किस जगह की बात कह रहे हैं ?

(विराम)

इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं की मैंने राजस्थानी समाज में यह कहा था कि हम भारत सरकार और वित्तीय संस्थानों से इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति घोषित कर दी है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम चाहते है भारत सरकार विनियोजन की सीमा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये। केन्द्र सरकार और वित्तीय संस्थानों से हमने बातचीत की है। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आपको मालूम है राज्य में केन्द्र का पूंजी विनियोजन 2.4% ही है। इसी प्रकार से वित्तीय संस्थानों का भी बहुत कम है। डागा जी ने जो कहा है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। उसे तैयार कर लें, उसके आधार पर भारत सरकार से हम क्या करा सकते हैं, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। जल्दी ही नीति का निर्धारण किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपने नीति में कोई हेरफेर किया है? मैं तो कहता हूं आप बेशर्मी के साथ हमारी नीतियों का पालन कर रहे हैं। आपने क्या परिवर्तन किया है। सवाल यह है, आठ महीने में आपने बड़ी बातें की हैं, उनके आधार पर आपने कौन सी औद्योगिक नीति बनाई? सरकार बिल्कुल दिशाहीन है। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह क्या नयी नीति तय करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है उनका जो उनकी नीति हम स्वीकार करें। डागा जी कहते हैं कि सरकार बेशर्मी से उनकी नीति का पालन कर रही है।

(व्यवधान)

यह औद्योगिक नीति का मामला है। राज्य सरकार विचार कर रही है। औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में जो कर सकते हैं, वह हम करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक प्रश्न है। कोई भी बीमार गांठ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप उसके अध्यक्ष हैं। आपकी अध्यक्षता में काम हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं ....

प्रश्न संख्या 17

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यप्रकाश डोडा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्रीमती नारंगी देवी।

**पार्वती नदी पर पुल बनाने की योजना**

18. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में किशनगंज के पास पार्वती नदी पर पुल बनाने की योजना की क्रियान्विति कब की जावेगी?

(2) इस पुल निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी?

(3) किशनगंज और शाहबाद तहसील के अन्तर्गत कितने मील लम्बी पक्की सड़क का निर्माण वर्ष 1977–78 के मध्य हुआ है और इन पर कितनी राशि व्यय की गई है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री जयनारायण पूनिया : (1) कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस वर्ष 1977-78 में केवल एक सड़क स्वीकृत हुई है जो कि बारां-शाहबाद-कस्बा-थाना, करीब 35 किलोमीटर के मिसिंग लिंक व पुलों के लिए 50 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है जिस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**राजस्व मण्डल में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विचाराधीन मामले**

19. श्री रामचरण सिंह (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व मण्डल के कितने कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन वृद्धि, पेंशन, बकाया, सस्पेंशन, पदोन्नति के मामले बस्ता ए खामोशी में कितने दिन से पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड के बाबूओं को सेक्शन इंचार्ज यह कहते हैं कि आप दस चक्कर लगाओगे तो 1500/- रु. खर्च होंगे, 1000/- रु. दे दो, पांच सौ दे दो, तो हम तुम्हारा काम घर बैठे ही कर देंगे?

(3) क्या यह सही है कि ज्यादातर बोर्ड में सरोकार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, कानूनगो और पटवारी का पड़ता है? यदि हां, तो इनके विचाराधीन मामले कब तक निकाल दिये जायेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) कोई भी मामला बस्ता ए खामोशी में नहीं पड़ा हुआ है। अतः सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इनसे सम्बन्धित मामले यथासम्भव शीघ्र निपटाये जाएंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : शीघ्र से क्या मतलब है?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करूं, माननीय सदस्य का सम्बन्ध राजस्व मण्डल से है।

श्री रामचरण सिंह : माननीय मन्त्री महोदय, मेरा प्रश्न कुछ और था। आपने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है। मण्डल में जो अधिकारी लोग हैं, वे तहसीलदार, पटवारियों के तबादले और दूसरे केसेज डिसाइड करने में क्या कुछ नहीं लेते हैं?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दिया है। कोई बस्ता ए खामोशी में नहीं पड़े हैं राजस्व मण्डल में। जो दूसरा प्रश्न है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामचरण सिंह : क्या कोई मामला नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : जी सिर, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

"राजस्व मण्डल के अन्तर्गत दो तरह के अधिकारी व कर्मचारी आते हैं। एक तरह के अधिकारी व कर्मचारी वे होते हैं जो राजस्व मण्डल में ही कार्य करते हैं और उनके स्थापन सम्बन्धी समस्त कार्य राजस्व मण्डल में ही होता है और उनके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

दूसरे तरह के अधिकारी व कर्मचारी वे होते हैं जो राजस्व मण्डल में तो कार्य नहीं करते हैं लेकिन जिलों में तैनात हैं और उनके बारे में राजस्व मण्डल एक प्रकार से नियन्त्रण अधिकारी है अर्थात् उनका बहुत सारा कार्य तो जिलों में जिलाधीश सम्पादित करते हैं, केवल कुछ सीमा तक ही कार्य राजस्व मण्डल में आता है।

दूसरे वर्ग के अधिकारी व कर्मचारियों का विवरण, जिनका कार्य राजस्व मण्डल में आंशिक रूप से आता है, निम्न प्रकार है :–

1. तहसीलदार
2. नायब तहसीलदार
3. सदर कानूनगो
4. निरीक्षक राजस्व लेखा
5. जिला राजस्व लेखाकार
6. तहसील राजस्व लेखाकार
7. गिरदावर
8. पटवारी
9. मन्त्रालयिक वर्ग के कर्मचारी जो जिलाधीश कार्यालय में नियुक्त हैं।
10. कार्यालय अधीक्षक
11. स्टेनो।

इनमें से क्रम संख्या 4,5,7,8,9,10,11 के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वेतन वृद्धि, पेंशन, बकाया वेतन, पदोन्नति आदि का कार्य जिलाधीश ही करते हैं। राजस्व मण्डल में तो केवल जिलाधीश द्वारा की गई कार्यवाही की अपील होती है।

राजस्व मण्डल में उपरोक्त अधिकारियों व कर्मचारियों का जो कार्य सम्पादित किया जाता है, वह निम्न प्रकार है :–

1. पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक तक प्रशिक्षण के लिए चयन करना।
2. पटवारियों का चयन करना और उन्हें प्रशिक्षण दिलाना।
3. भू-अभिलेख निरीक्षकों की सीधी भर्ती करना।
4. पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करना।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका प्रश्न से क्या सम्बन्ध है? जानकारी चाही गई है...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सारा विस्तार से उत्तर दे दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो पूछा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई है। आयेगी तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामकरण सिंह : क्या अभी तक रेवेन्यू बोर्ड में किसी भी कर्मचारी की ओर से कोई भी शिकायत नहीं है?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, जब से मैं राजस्व मंत्री बना हूं।

Page No 12

(12)



श्री मूलचन्द डागा : अगर आयेगी तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जानकारी तो दें, अध्यक्ष महोदय, आने पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सारी जांच राजस्व मण्डल करता है। कोई शिकायत पड़ी हुई है तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री रामकरण सिंह : यह एक ही मसला है। आपका छोटे से छोटा कर्मचारी ढाणी तक जाता है। आप भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं। आप कहते हैं, रिश्वत नहीं लें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ना पक्ष की तरफ विराजे हुऐ हैं, वह भ्रष्टाचार को दूर करने में सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री ओंकारलाल चौहान।

**कोटा जिले में भूमि का आवण्टन**

20. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले में जून, 1977 से अब तक किस-किस जगह बंजड़ भूमि व सीलिंग की भूमि का राज्य सरकार द्वारा आवन्टन किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्र लिखा है। यह प्रश्न बहुत व्यापक है। इसका जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, 6 महीने हो गये हैं। जून, 77 से 6 महीने हो गये हैं अभी तक उत्तर नहीं आ सका है। फिर तो काफी दयनीय स्थिति हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय से मिलकर बातचीत कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : जब यह प्रश्न सदन में आ गया है तो यह सदन की प्रापर्टी है। इसलिए इसको स्थगित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता, प्रश्न को स्थगित किया गया।

श्री रघुनन्दन व्यास।

**सिरोही जिले की पंजीकृत गृह निर्माण समितियां**

21. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले में कुल कितनी गृह निर्माण समितियां पंजीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उनसे जिनके पास भूमि उपलब्ध है उन्हें भवन निर्माण हेतु ऋण नहीं मिला है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) सिरोही जिले में कुल 17 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं।

# Page No 13

(13)



(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) जिले की 15 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पास भूमि उपलब्ध है जिनमें से 3 सहकारी समितियों को ऋण मिला है।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी समिति को ऋण नहीं मिला है। मकान छोड़कर एक ईंट भी वहां नहीं लगायी गई है। इसलिए इसकी जांच कराई जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, तीन समितियों को ऋण दिया गया है इसकी विस्तृत सूचना मेरे पास उपलब्ध है--

1. सिरोरा गृह निर्माण सहकारी समिति–इसको 31 मार्च, 75 को 1 लाख 8 हजार रुपये का ऋण दिया गया। पहली किश्त 11–7–75, दूसरी किश्त 21–1–76 और तीसरी किश्त 2–7–77 को दी गई।

2. गुलाबगंज गृह निर्माण सहकारी समिति को 31–1–75 को 81 हजार रुपये का ऋण दिया गया है। इसको केवल पहली किश्त दी गई है।

3. आबू रोड आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति को 5 लाख 40 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसको पहली किश्त 5–12–75 को 1 लाख 75 हजार रुपया दी गई है।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : आबू रोड गृह निर्माण सहकारी समिति को दूसरी किश्त क्यों नहीं दी गई?

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनको ऋण दिलाकर मकान बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यह सारे राजस्थान का प्रश्न है, केवल सिरोही जिले का ही नहीं है।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी जो आंकड़े दिये हैं, उनमें बताया कि यह रकम 75 व 76 मे दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इन समितियों के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है? जो समितियां पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उनके पास जमीन भी है, उनकी फाइल भी कम्पलीट है और उनका शेयर मनी भी पड़ा है। कुछ समितियों को एक और कुछ को दो किश्तें मिल गई हैं, बाकी को किश्तें नहीं मिली हैं। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि क्या आप उनको अब ऋण देना चाहते हैं? आपकी क्या नीति है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने जो समितियां बनाकर ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इर्रेलेवेन्ट है, माननीय सदस्य।

# Page No 14

(14)



**श्री रघुनाथ विश्नोई :** रेलेवेन्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, जो पैसा दे दिया है उस पैसे से मकान पूरे हो जायेंगे क्या ? क्या कोई नक्शा मन्जूर किया गया है ? जालोर में एक समिति बनाई उसका डिफेक्टिव प्लान है, उसका आप सुधार करें।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री कौशल किशोर जैन।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष :** यह सब इर्रेलेवेन्ट प्रश्न हैं, माननीय सदस्य।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** मैं तो रेलेवेन्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने अभी कहा कि तीन गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिया है। माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता ने जांच करने के लिये कहा और कहा कि वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग के पास क्या कोई ऐसी व्यवस्था जानकारी करने की है कि जो पैसा लगता है उससे कोई वहां पर मकान बने हैं या कोई दूसरे काम में, शराब पीने के काम में ले रहे हैं ? इसकी कोई व्यवस्था की गई है ?

**श्री कैलाश मेघवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट कर दूं। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी की सलाह के अनुसार ही राज्य सरकार ऋण देती है। उसको निवेदन करना पड़ता है इस तरह की सहकारी समितियों को ऋण के लिये। सिरोही जिले में केवल तीन सहकारी समितियों को ऋण दिये गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य, जो मकासर से आते हैं, ने पूछा है उस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि जब पहली किश्त देते हैं उसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र आने के बाद दूसरी किश्त दी जाती है और कोई दुरुपयोग हुआ है तो उसकी जांच करवाते हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि गुलाबगंज सहकारी समिति को पहली किश्त 31-1-75 को दी गई है। उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए आगे की किश्त नहीं दी गई। जैसी भी स्थिति होगी उसकी जांच करवा ली जायगी।

**श्री श्योपत सिंह मकासर :** कुछ मकान बना दिये, एक किश्त लगा दी लेकिन पूरे नहीं बने और अधूरे रह गये तो उसके लिये क्या व्यवस्था है ?

**श्री कैलाश मेघवाल :** अध्यक्ष महोदय, यह व्यापक प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्य रघुनाथजी ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा नक्शा स्वीकृत है। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार कर लिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री कौशल किशोर जैन।

**कृषि विपणन बोर्ड में जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति**

22. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को जन सम्पर्क अधिकारी पद हेतु समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन

(श्री कौशल किशोर जैन)

निकाला गया था जिसमें उक्त पद हेतु योग्यता एम. ए. एवं दो वर्ष पत्रकारिता रखी गयी थी तथा इस पद के लिये प्रार्थियों से 5) रु. के पोस्टल आर्डर मांगे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद के लिये न तो साक्षात्कार ही हुआ और न ही पोस्टल आर्डर की राशि वापस की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड द्वारा सहायक जन सम्पर्क अधिकारी पद के लिये 15 मई, 1976 को एक पद समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया जिसमें योग्यता एम. ए., पी एच. डी. रखी गयी जो कि जन सम्पर्क अधिकारी पद की योग्यता से भी अधिक थी ?

(4) विज्ञप्ति में मांगे गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर चयन क्यों नहीं किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) जी हां ! योग्यता एम. ए. (साहित्य), पत्रकारिता व जन सम्पर्क के कार्यों के अनुभव को वरीयता दिया जाना बताया गया था न कि दो वर्षों की पत्रकारिता। यह भी सही है कि प्रार्थियों से 5/– रु. के पोस्टल आर्डर मांगे गये थे।

(2) साक्षात्कार नहीं हुआ है। पोस्टल आर्डर की राशि शीघ्र लौटा दी जायगी।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। विज्ञप्ति के अनुसार प्रार्थना-पत्रों के आधार पर ही चयन किया गया।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्टरव्यू नहीं हुआ उसके पहले ही श्री राधे-शरण माथुर को वहां पर लगा दिया। क्या उनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति की जायगी ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस समय बोर्ड के कोई बायलॉज बने हुए नहीं थे और बोर्ड का डिसिक्शन था कि वह विभाग से सम्बन्धित अधिकारी को प्रमोट कर सकता था।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, पी. आर. ओ. की योग्यता एम. ए. थी और ए.पी.आर.ओ. की एम.ए. पी एच. डी. रखी गई। पी. आर. ओ. की योग्यता ए.पी. आर. ओ. से कम रखी गई। क्या किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करने के लिये जानबूझ कर यह योग्यता रखी गई ?

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पी.आर.ओ. का पद सृजित किया गया है उसके पीछे क्या आधार है, क्या कोई राजनीतिक आधार है ? क्या सरकार सभी जगहों पर, जहां पर कृषि मण्डियां हैं, इसी डिजाइन के जन सम्पर्क अधिकारी पद बनाने का इरादा रखती है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एम. ए. और एम. ए. पी एच. डी. का जो मामला है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय लिया था एम.ए. के लिए। उसके बाद जब बोर्ड की बैठक हुई उसमें ए. पी.आर. ओ. की पोस्ट के लिये एम.ए. पीएच. डी. की योग्यता का निर्णय लिया गया ?

श्री स्योपतसिंह मक्कासर : पी.आर.ओ. की क्वालिफिकेशन क्या है ?

# Page No 16

(16)



श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री श्यामसुन्दर शर्मा की नियुक्ति हुई उसको श्री महेन्द्र कुमार मथुर के स्थान पर लगाया गया। उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ? श्री श्यामसुन्दर शर्मा के आर्डर हुए थे या नहीं हुए थे ? क्या यह पक्षपात नहीं है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : कौनसे विषय में पीएच. डी. किया था और क्या उस योग्यता को केवल श्री महेन्द्र मथुर ही फुलफिल करते थे ? जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह योग्यता निर्धारित की गई थी, और क्या इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री कौशल किशोर जैन : केवल जांच से काम नहीं चलेगा। यह अवैध नियुक्ति है जो इमर्जेन्सी के टाइम में की गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या जांच की जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री राम करण सिंह : माननीय मंत्रीजी ने बताया कि जो रुपया फीस का लिया गया है, उसको वापस करेंगे। इस तरह से विज्ञापन देकर बेकार और बेरोजगार लोगों से पैसा ऐंठा जाये, यह क्या न्यायोचित बात है ?

श्री विश्वेश्वर सिंह : विज्ञापन किया गया था और काफी एप्लीकेशन्स भी आई थी, लेकिन बाद में बोर्ड ने निर्णय लिया कि अपने ही अधिकारी को प्रमोट करके पी. आर. ओ. बना दिया जाये। जो पोस्टल आर्डर वापस करने चाहिये थे उस वक्त यह नहीं किये गये। अब उनको वापस करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री रामकरण सिंह : क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि इस तरह से एडवर्टाइज करके पैसा ऐंठा जाये, और यहां पर ध्यान दिलाने पर ही वह वापस करें ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : पी. आर. ओ. के लिए तो एम. ए. की योग्यता और असिस्टेंट पी. आर. ओ. के लिये पीएच. डी. की योग्यता, यह क्या चक्कर है ?

एक माननीय सदस्य : नियुक्ति नियमानुसार दी गई या नियमों के खिलाफ दी गई ?

श्री कौशल किशोर जैन : पोस्टल आर्डर की रकम वापस देने के आदेश दिये यह तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जो व्यक्ति पी. आर. ओ. नियुक्त किया गया है, उसको निलम्बित करके दूसरे को रखें, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनको हटा दिया जाये जैसे नाहर साहब को हटा दिया गया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : जिस व्यक्ति का प्रमोशन करके आपने पी. आर. ओ. बना दिया, वह किस पद पर थे और उनकी क्या योग्यता थी ? क्या वह पी. आर. ओ. की क्वालीफिकेशन्स फुलफिल करते थे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यदि यह पोस्ट प्रमोशन से ही भरनी थी, तो फिर इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट क्यों जारी किया ? क्या यह राज्य के हित में था ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त बोर्ड के कोई रूल्स या बाइलाज नहीं बने हुए थे कि कौनसी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी जाये। उस वक्त जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाद में यह ही उचित समझा कि विभाग के ही किसी आदमी को प्रमोट कर दिया जाये।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने जानबूझ कर अवैध तरीके से पी. आर. ओ. को रखा। अगर माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करायें और श्री नाहर साहब को दोषी पायें, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काम किसने किया और जवाब किस से पूछा जा रहा है। यह नियुक्ति आज की नहीं है, 1975 की है और 1976 की है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि हम जांच करवा देंगे, तो उसके बाद क्या कहने को रह जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं मुख्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि यह जो कार्यवाही हुई है वह गैरकानूनी हुई है। जिन लोगों से पैसा लिया गया है, उनको वापस कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रावतराम।

कस्बा छापरताल के सेलाइन एरिया में भू-खण्डों का आवंटन

23. श्री रावतराम (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा छापरताल (जिला चूरू) के सेलाइन एरिया में 99 साल की लीज पर बड़े बड़े भू-खण्ड सरकार ने आवंटन किये हैं ? यदि हां, तो किन किन को कितने कितने एकड़ भू-खण्ड दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछेक व्यक्तियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार नये नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उस नमक उत्पादन क्षेत्र में सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-खण्ड अलॉट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक कितने अनुसूचित जाति के लोगों को भू-खण्ड आवंटित किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) जी हां। सात आवंटन 99 वर्ष के लिये दिये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह आवंटन 1962 के दौरान किये गये थे।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णतया अविलम्ब विचार कर रही है। यह आवंटन इन्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959 के अन्तर्गत किया गया है जो कानूनी और व्यवहारिक दृष्टि से किया जाना सम्भव

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

नहीं है। यह लीज इन नियमों के अन्तर्गत ही निहित शर्तों की अनुपालना है। राज्य सरकार अविलम्ब इस सारे प्रश्न पर नये सिरे से विचार करके अनियमित आवंटन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठायेगी।

(3) ताल छापर लवण क्षेत्र में वर्तमान में कोई भूमि रिक्त नहीं है। अतः आवंटन में असमर्थता है। यदि कोई भूमि उपलब्ध होगी या किसी चालू लीज को निरस्त करने से रिक्त होगी तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित करने के लिये उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री रावत राम :** आपने फर्माया कि 1962 में यह भू-खण्ड आवंटित किये गये, तो उस समय क्या रूल्स में व्यवस्था थी कि 99 साल की लीज पर दिये जायें ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** इसमें दो रूल्स हैं। पहला कहलाता है इन्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959, और दूसरा है राजस्थान सेलाइन एरिया अलाटमेंट रूल्स।

**श्री श्योपत सिंह मकासर :** सन् क्या है ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** यह सन 1962 का है।

हुआ क्या है कि इन्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स के अन्तर्गत कानूनी दृष्टि से सेलाइन एरिया अलॉट नहीं हो सकता था लेकिन कहीं कहीं तत्कालीन शासन ने कुछ लोगों को लम्बे अर्से की लीज देने के नाम से उन रूल्स के अन्तर्गत अलाटमेंट किया। वास्तविक रूप से अलाटमेंट सेलाइन एरिया अलाटमेंट रूल्स के अन्तर्गत होना चाहिये था जिसमें अवधि 10 वर्ष होती है। दोनों रूल्स की पृष्ठभूमि में इस प्रश्न पर राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

**श्री रावत राम :** क्या राज्य सरकार दस साल की लीज पर दुबारा विचार करके दुबारा अलाटमेंट करेगी ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** इसका उत्तर संख्या (2) व (3) में मैं स्पष्ट रूप से दे चुका हूं।

**श्री मूलचन्द डागा :** यह राज्य सरकार इस पर प्रभावी कदम उठायेगी ? इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** यथाशीघ्र।

**श्री मूलचन्द डागा :** यथाशीघ्र नहीं, तारीख बताइये।

**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) :** यह इस पर निर्भर करेगा कि गड़बड़ी किस सीमा तक की गई है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

**तहसील सांचौर में राहत कार्य**

24. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर एवं विशेषतया तहसील सांचौर

Page No 19

(19)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गत वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा से सावणु फसल खराब हो गई थी ? अगर हां, तो कितने प्रतिशत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में गत सावणु फसल खराब होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ? अगर हां, तो कितने गांवों में ? उन गांवों में अकाल की स्थिति की घोषणा अब तक क्यों नहीं की गई है ?

(3) अब उक्त क्षेत्रों में अकाल की स्थिति कब तक घोषित की जाकर कब तक अकाल राहत कार्य शुरू करवा दिये जायेंगे ?

(4) अकाल एवं अभाव की स्थिति के कारण सरकारी एवं सहकारी वसूलियां कब तक स्थगित की जाकर काश्तकारों को राहत दी जायेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) जालोर जिले की 4 तहसीलों जालोर, आहोर, भीनमाल एवं सांचोर के कुल 611 ग्रामों में से तहसील भीनमाल के केवल 29 ग्रामों में 6 से 8 आने से कम खराबा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। खरीफ की फसल में 8 आने से अधिक खराबा जिले के किसी ग्राम में नहीं बताया गया है।

(2) जिले के किसी भी ग्राम में 8 आने या इससे अधिक खराबा न होने के कारण अभाव स्थिति की घोषणा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हमने पिछले सत्र में भी इस प्रश्न को उठाया था और उसमें मंत्री जी ने जवाब भी दिया था। उस वक्त जालोर जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरा अकाल ग्रस्त क्षेत्र हो गया था। सावणु फसल पूरी खराब हो गयी थी। वहां पर जब राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार ने यह राजस्व अभियान शुरू किया उसमें ऐसा बताया गया है कि जालोर जिले के फलां गांव में आठ आना फसल खराब हुई है और कहीं पर यह कहा है कि बारह आने फसल खराब हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, जब पहले फसल ही नहीं हुई तो उस समय पूरा जालोर जिला अकालग्रस्त क्षेत्र डिक्लेअर होना चाहिये था। इतना ही नहीं, पूरे जालोर जिले में, सांचोर वगैरह के क्षेत्र के गांवों में गिरदावरी ही नहीं हुई तो कैसे वहां के लोगों से वसूलियां करने की बात की जा रही है ? अकाल सहायता मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वह जाकर या अपने पास उस वक्त की रिपोर्ट मंगा कर देखें। कलेक्टर ने रिपोर्ट दी थी, जालोर जिले के पूरे के पूरे क्षेत्र को जल्दी से जल्दी अकालग्रस्त घोषित किया जावे और काश्तकारों से सरकारी एवं सहकारी वसूलियां करना स्थगित किया जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जालोर, बाड़मेर सिरोही जहां भी सीलिंग से ज्यादा जमीन है वहां जांच कराने को क्या राज्य सरकार तैयार है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार जालोर जिले एवं विशेषतया तहसील सांचोर के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गांवों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र डिक्लेअर करके वहां पर अकाल राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त कलेक्टर जालौर ने अपनी रिकमन्डेशन कर दी थी राज्य सरकार को कि जालौर जिले में फसल नष्ट हो गई है इसलिए वहां सभी वसूलियां स्थगित की जाकर अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी खोलने की कार्यवाही शुरू की जावे।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय जालौर जिले में क्या फसल हुई, उसका कोई नक्शा नहीं बनाया गया और केवल यही लिख दिया कि आठ आना फसल हुई, कहीं 12 आना या कहीं पर 6 आना फसल हुई, यह क्या मखोल है। वहां पर कोई गिरदावरी ही नहीं हुई। आप इसकी जानकारी करें। और जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वहां के गांवों की हालत ही खराब हो गयी है। वहां पर फेमिन डिक्लेअर होना चाहिये। जहां पर खरीफ और रबी दोनों ही फसल खराब हो गयी हैं वहां पर क्या आप जल्दी से अकाल राहत कार्य खोलने की कृपा करेंगे ? आज वहां जो काश्तकारों से वसूलियां हो रही हैं वह बन्द करने के कब तक आदेश कर देंगे ?

श्री सुखलाल सेंगवा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या जिन इलाकों को अकालग्रस्त क्षेत्र राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है वहां पर सरकारी वसूलियां और सहकारी वसूलियां स्थगित करने के आदेश राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिलाधीशों को भेज दिये हैं या नहीं ? और नहीं भेजे हैं, तो क्यों और अब कब तक यह आदेश भेजने की व्यवस्था की जावेगी ? पाली जिले में रायपुर और जैतारण की तहसील में सारा इलाका अकाल-ग्रस्त क्षेत्र डिक्लेअर होने के बाद भी वहां पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सहकारी और सरकारी वसूलियां की जा रही हैं। इससे वहां के काश्तकारों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। राज्य सरकार कब तक यह वसूलियां बन्द होने के आदेश भेज देगी ? यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिये।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किए हैं उनमें यह कहा कि जालौर जिले में कई जगह पर गिरदावरी ही नहीं हुई और वहां से रिपोर्ट्स आयी हैं। तो अगर कोई टैक्निकल गलती कहीं रह गई होगी तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में जिला झालावाड़ की तहसील चिड़ावा को पूरा अकालग्रस्त क्षेत्र डिक्लेअर किया जाना चाहिए। वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कलेक्टर, झालावाड़ से

(श्री ईश्वर चन्द्र)
रिपोर्ट मंगवाकर देखें। अकालग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर करने का आधार पोलिटिकल ही है तो यह बहुत भारी गलती होगी।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। श्री करतारसिंह।

**श्री मूलचन्द डागा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जयपुर की 250वीं वर्ष गांठ पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में। वह प्रश्न कहीं रह नहीं जाय।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चुन्नीलाल।

**श्री करतार सिंह :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 25 अभी बाकी है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चुन्नीलाल।

**श्री मूलचन्द डागा :** नहीं हैं साहब।

**श्री अध्यक्ष :** श्री करतार सिंह।

(व्यवधान)

**ग्राम पंचायत, पींगलोद के सरपंच को कूप निर्माण के लिये दी गई राशि**

25. **श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अजमेर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोर) द्वारा ग्राम पंचायत पींगलोद के सरपंच को उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के तेन्यारी ग्राम में सार्वजनिक कूप निर्माण हेतु कोई धनराशि पिछले तीन वर्षों में दी गई थी? यदि हां, तो कब कब एवं कितनी कितनी तथा किसे दी गई?

(2) क्या उपरोक्त धनराशि निर्धारित कार्य में लगाई गई थी या नहीं?

(3) क्या पंचायत समिति के किसी अधिकारी द्वारा मौके पर आकर उपरोक्त किये गये कार्य का समय समय पर कभी वास्तविक सत्यापन (फिजीकल वेरीफिकेशन) किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पंचायत समिति ने उपरोक्त कार्य का कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया था या नहीं?

(5) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पींगलोद द्वारा उक्त राशि के दुरुपयोग की शिकायत संबंधित अधिकारियों को समय समय पर की गई थी? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा आज तक उपरोक्त सरपंच के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की?

(6) क्या राज्य सरकार संबंधित सरपंच के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने उपरोक्त वर्णित राशि के दुरुपयोग एवं गबन करने हेतु ग्राम पंचायत पींगलोद के सरपंच को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है एवं कब तक?

# Page No 22

(22)



**पंचायत मन्त्री** (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। दिनांक 19-4-75, 29-5-75 एवं 20-6-75 को क्रमशः 5,815 रुपया 76 पैसा, 7269 रुपये 70 पैसा एवं 1453 रुपये 95 पैसा दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वास्तविक सत्यापन नहीं करने के कारणों की जांच की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। केवल दिनांक 7-7-77 को श्री हीरालाल जाट ने जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी, अजमेर को एक शिकायत की थी जिसकी जांच की जा रही है। अब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(6) जी हां। अभी तक जांच कार्यवाही चल रही है। जांच शीघ्र पूर्ण कराकर दोषी सरपंच एवं अधिकारियों को दण्डित करने के लिये अविलम्ब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

**श्री करतार सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसकी निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

**प्रश्न संख्या 11**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 11।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**श्री करतार सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर कैसे आयेगा, केस सब जुडिस है।

**श्री करतार सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसकी निष्पक्ष जांच करा कर कार्यवाही''

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मुझे विश्वास है सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी। उत्तर आ गया है।

नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

**श्री मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह नहीं जाय।

**श्री अध्यक्ष** : मैं क्रमशः ले रहा हूं।

श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या 12।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : मैं नहीं पूछता।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 15।

**जयपुर की 250 वीं वर्ष गाँठ पर व्यय की गयी राशि**

15. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर की 250 वीं वर्षगांठ के समारोह पर आज दिन तक कुल कितनी कितनी राशि किन किन आयोजनों पर व्यय की गयी और किन किन आइटमों पर और राशि व्यय करने की आयोजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) क्या सरकार ने 250 वीं वर्षगांठ मनाने की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो कब और उसको मनाने के लिये कौन कौन से साधन और मशीनरी है ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

प्रश्न संख्या 17

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट । श्री सूर्यप्रकाश डोडा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**श्री मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दिलाया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : मैं क्या कर सकता हूं जब मन्त्री जी उत्तर देने को तैयार ही नहीं।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : यह गोलमाल क्या हो रहा है। उत्तर ही नहीं आ रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय उत्तर देना नहीं चाहते हैं शायद ।

**श्री मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़ी मेहनत करके प्रश्न ढूंढ़ ढूंढ कर लाते हैं। और आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं पर यहां पर मन्त्री जी जवाब नहीं देते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसी व्यवस्था तो कम से कम हाउस में करनी चाहिये कि जब कभी कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तो मन्त्री जी को उठ कर कुछ न कुछ तो जवाब देना ही चाहिये। यह क्या बात है कि मन्त्री जी बैठे हैं और जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप इन्हें यह कह दें कि अगर कोई मन्त्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें हाउस से बाहर उठकर चले जाना चाहिये ताकि हाउस का अनादर तो नहीं हो । हमारे राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाउस में मन्त्री जी का प्रश्न चल रहा हो, अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न को पुकारा हो और मन्त्री जी बैठे ही रहे हों । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हैं और मुख्य मन्त्रीजी भी बैठे हैं पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : इनका अब समय हो गया है।

**श्री मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो मेरे पीछे से रामनारायण चौधरी जी ने मेरा फैंटा खींचा और बिठाने की कोशिश की । यह कहते हैं कि पिछले 25 वर्षों में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटना भी शायद पहली बार ही हुई कि किसी सदस्य ने किसी सदस्य का फैंटा पकड़ कर खींच कर बिठाने की कोशिश की हो ।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह आप गलत कह रहे हैं। आप उस वक्त क्या कर रहे थे ?

# Page No 24

(२५)



**श्री मदन सिंह दांता** : यह गलत नहीं है अब वह मेरा फैंटा पकड़ कर खींच रहे थे, मुझे बैठा रहे थे तो मैं क्या उन्हें ××× ××× । जब मन्त्री जी उत्तर देने की सोच रहे थे तो लोगों ने गड़बड़ाहट की थी बीच बीच में ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अब 12 बज गये हैं ।

**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत)** : अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया और जानकारी करने का प्रयत्न किया गया तो मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति के पास इसके अकाउन्ट्स हैं वे छुट्टी पर हैं। कल तक इसके लिए अटेम्प्ट किया कि वे मिल जायं तो इसका उत्तर तैयार करा लिया जाय। लेकिन नहीं मिले इसलिए कल ही सचिवालय ने यहां पर इत्तला दे दी कि इसका उत्तर आज नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए इसको कल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय। न किसी प्रकार से टालने की बात है और न ही कोई गोलमाल है।

**श्री मूलचन्द डागा** : ये कटिंग्स हैं····

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कोई भी गोल माल की जानकारी है तो उसको निश्चित रूप से सामने लाइये। सरकार गोलमाल की जांच कराने में कोई कोताही नहीं बरतेगी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : एक प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको पोस्टपोन न किया जाय। किन्तु सवाल यह है कि आसन की ओर से मंत्री महोदय को बार-बार पुकारा जा रहा है, और फिर भी उत्तर नहीं आ रहा है। यह स्थिति है। यह सदन का और आसन का दोनों का अपमान है। अपमान ही नहीं घोर अपमान है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय मंत्री कुर्सी पर बैठे रहें और उत्तर न दें। आसन की ओर से उनको बार बार पुकारा जाता है। यह आसन का अपमान है और सदन का भी अपमान है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आसन के अपमान की बात कर रहे हैं। अपमान तो वे कर रहे हैं आसन का जिन्होंने कल अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ सदन से वाक आउट किया था जैसा कि आज तक नहीं हुआ। अपमान हम नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, I shall not have it, Please have your seat ?

**श्री मदनसिंह दांता** : दूसरी दफा ××× ××× उनको ×××

**श्री अध्यक्ष** : My ruling is final

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**ग्राम बगावदा के काश्तकारों को लेवी की रकम का भुगतान**

11. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

---

×××शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल)

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम बगावदा के काश्तकारों से लेवी ली गई ? यदि हां, तो उन काश्तकारों की रकम का भुगतान अब तक नहीं होने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बगावदा के काश्तकारान की ओर से जिलाधीश सवाई माधोपुर को बार-बार दरख्वास्त देने के बावजूद भी उनको लेवी की रकम की अदायगी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उन काश्तकारों को लेवी की रकम देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। 24 काश्तकारों को सन् 1974 की लेवी के 3593 रु. देय हैं। रकम भुगतान न होने का कारण यह है कि खाद्य निगम से जो अग्रिम राशि प्राप्त हुई थी वह भूल से दूसरी तहसील को दे दी गई और बाद में इसका अन्तिम समायोजन अभी तक नहीं हो सका।

(2) जी हां। जिलाधीश और खाद्य निगम कार्यालय के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है।

(3) जी हां। समायोजन की कार्यवाही शीघ्र करा भुगतान की व्यवस्था की जावेगी।

**पंचायत समिति खैरवाड़ा क्षेत्र के भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध जांच**

17. श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खैरवाडा)– क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खैरवाड़ा के अन्तर्गत भूतपूर्व सरपंच जवास, बावलवाड़ा, पाहड़ा, नयागांव के विरुद्ध जांच की गई ?

(2) यदि हां, तो उक्त सरपंचों को अब तक दण्डित क्यों नहीं किया गया ? इनमें से जिन सरपंचों की जांच अब तक नहीं की गई, उनकी जांच कब तक की जावेगी ? ऐसे सरपंचों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभागीय जांच एवं पुलिस अनुसंधान संबंधी कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं होने से संबंधित सरपंचों को इस स्तर पर दण्डित किया जाना संभव नहीं है। जांच अविलम्ब पूर्ण करा ली जावेगी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के सामूहिक नियंत्रण का विरोध करने के विषय में।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम शिक्षा समिति

(श्री अध्यक्ष)

जयपुर नामक सहायता प्राप्त निजी संस्था के दो अध्यापकों द्वारा गत 3 दिन से भूख हड़ताल करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के कोलायत विधान सभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला में अध्यापकों के अभाव के विषय में।

(4) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ में पिछली खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के विषय में।

माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान इन पर चर्चा कर सकते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री खेतसिंह राठौड :** बोलने का समय तो दें।

**श्री शंकरलाल (जैतारण) :** स्थगन प्रस्ताव आये जोधपुर बन्द के बारे में।

**श्री अब्दुल अजीज :** जोधपुर बंद के बारे में शासन से आदेश हुए थे कि कल इस पर चर्चा होगी। इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है।

**श्री शंकरलाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर जोधपुर मरु प्रदेश समिति ने जोधपुर बंद का आह्वान किया था और वह बहुत ही शान्तिपूर्ण और सफल रहा। जैसा कि सम्माननीय सदस्यों और, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको भी ज्ञात होगा कि सब शिक्षण संस्थायें बन्द थीं, सब कालेजेज बन्द थे। करीब 30 हजार विद्यार्थियों ने उस मांग को लेकर शान्तिपूर्ण जलूस निकाला। सब कारखाने वहां के बन्द थे। सब दुकानें बन्द थीं। शान्तिपूर्ण तरीके से वकील लोगों ने अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार किया और वे अदालतों में नहीं गये। मजिस्ट्रेट अदालतों में चुपचाप बैठे थे। सांकेतिक भूख हड़ताल भी हुई और सभायें भी हुई। इस प्रकार से मरु प्रदेश के सम्बन्ध में वातावरण बना। मरु प्रदेश की जिस मांग को लेकर जोधपुर बंद का आह्वान किया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को और माननीय सदस्यों का कि मरु प्रदेश की मांग वाजिब है। संविधान में भी इस बात का प्रावधान है कि किसी समय किसी राज्य या प्रान्त में अलग प्रदेश बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 रेलेवेन्ट है संविधान का उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि "संसद विधि द्वारा (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्य या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी।" यह जो अनुच्छेद है, संविधान के

(श्री शंकरलाल)

अन्दर जो प्रावधान है उसका सदुपयोग किया जाय। संविधान बनाने वालों ने भी आशंका की थी कि राज्यों को छोटे-छोटे भागों में बनाया जा सकता है। इसी के तहत पूर्व में हरियाणा, गुजरात अलग बने। हिमाचल प्रदेश अलग हुआ। इस प्रकार हमारे सामने उदाहरण हैं। जहां तक मरु प्रदेश की मांग का प्रश्न है इस सरकार को और माननीय सदस्यों को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये कि यह मांग कहां तक उचित है।

मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक सामर्थ्य की दृष्टि से भी इसको देखा जाना चाहिये। एक तरफ जैसलमेर है और दूसरी तरफ भरतपुर है। दोनों तरफ राजस्थान के निवासी रहने वाले हैं लेकिन उनकी अलग अलग भाषा है। इधर जैसलमेर बाड़मेर बोर्डर स्टेट हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मौजूदा विदेश मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, जब विदेश मंत्री नहीं थे, ने जब जब उन स्थानों का दौरा किया था तो मरु प्रदेश के लिये जोरदार वकालत की थी और आज भी करते हैं।

जिस मरु प्रदेश, की मांग की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, यह पश्चिम राजस्थान का हिस्सा, जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन का हिस्सा है जहां अधिकतर अकाल पड़ते हैं। जब राहत कार्य होते हैं तो हमने कई बार मांग की थी कि राहत कार्यों में इतना खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बनने के बाद भी जो मरु प्रदेश का हिस्सा है, इसका कोई भी विकास नहीं हुआ। न अकाल का समाधान हुआ, न राजस्थान कैनाल का निर्माण पूरा हुआ है। यह तो जरूर किया कि जोधपुर में हाई कोर्ट थी उस हाई कोर्ट की बेंच को जयपुर ले गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार ने कहा था कि ट्रैक्टर का कारखाना खोलेंगे, हम वहां पर विकास करेंगे। वहां पर कई ट्रिब्यूनल ले जायेंगे। लेकिन सारी झांसेबाजी रही। सिर्फ हाई कोर्ट की बेंच जयपुर जाने की ही कम्पलेंट नहीं थी यह तो एक बात थी जिससे लोगों में पीड़ा उत्पन्न हुई। वास्तव में यह मांग है इस पिछड़े हुए इलाके का हम विकास करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम दो देश बनाने जा रहे हैं। भारतवासी हैं। भारत के अंग रहेंगे, केवल हमारे विकास की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से यह मांग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो जय प्रकाश नारायण जनता पार्टी के जन्मदाता हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि प्रशासन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य होने चाहिये। वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कड़ी हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता से जांच करायें, उसके बारे में जो भी प्रोसीजर बनाना चाहें वह बनायें लेकिन इस बात को अनसुनी न करें। आज जोधपुर बन्द हुआ, कल पाली, जालौर, बाड़मेर बन्द हो सकते हैं। राजस्थान के अन्दर इस मरु प्रदेश की बात को लेकर आग लग सकती है। इसलिये मैं कहूंगा, ठंडे दिल से इसके ऊपर विचार करें। आपने कहा था कि जगह-जगह मंत्रिमन्डल की बैठकें करेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप केवल कोटा में मंत्रिमन्डल की बैठक करके रह गये और कहीं नहीं की।

(श्री शंकरलाल)

इस प्रकार की कोई बात जब आती है तो जनता में कटुता पैदा होती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांग उठी है, आप इसकी जांच करायें · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता की भावना है विकेन्द्रीकरण की, इसके बारे में विचार करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्णतः विचार किया है और इस बात का हामी हूं कि वास्तव में इस इलाके का विकास हो। पूरे राजस्थान के विकास के लिए भी दो प्रदेश अलग-अलग हो जायें तो मैं समझता हूं उत्तम रहेगा। मरु प्रदेश की जो मांग है, वह वाजिब मांग है, इससे मरु प्रदेश के विकास की समस्या हल हो सकती है। बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री नूरा (मसूदा) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था, कल निवेदन भी किया था।

**श्री अब्दुल अजीज :** मेरा इसी विषय पर है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, श्री नूरा पहले।

**श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष :** आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार को मैंने भेज दिया है।

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** आदिवासियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। मैंने प्रस्ताव दिया है उस पर अब तक विचार नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष :** इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। सरकार से उत्तर आते ही मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपने दल के सचेतक महोदय से राय ले लीजिये। आप सरकारी पक्ष के सदस्य हैं, आप सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखें।

**श्री भैरवलाल कालाबादल :** सरकारी पक्ष का हूं लेकिन आदिवासियों पर जुल्म होवें, हम नहीं बोलें और विरोधी दल के नेता बोलें तो हमारे ऊपर कलंक लगता है।

**श्री अब्दुल अजीज :** अभी इस सदन में इस बात की चर्चा है कि जोधपुर में 28 फरवरी को जो बन्द हुआ मरु प्रदेश की मांग को लेकर वह अपने आप में अन्दर की वह आग है जो पिछले साल से ही नहीं, मौजूदा दौर में भी असमानता और लोगों के साथ अन्याय की स्थिति से पैदा हुई है। मैं 26 तारीख को जोधपुर में था। वहां के जन प्रतिनिधियों और जवानों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मरु प्रदेश की हम मांग कर रहे हैं उसका एक ही कारण है और वह यह कि हमारी उपेक्षा की गई। मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता कि मरु प्रदेश राजस्थान से अलग किया जाये या नहीं। मैं इसकी गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यह मरकजी सरकार का काम है। यह विदेशी मुल्क की सीमा से लगा क्षेत्र है। इस बात के विस्तार में सरकार को जाना होगा। मैं यह जरूर चाहूंगा कि हमारे राज-

(श्री अब्दुल मजीज)

स्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को उपेक्षित नहीं रख सकते। पूरे जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन की हालत ऐसी है। वहां के मंत्री बना कर आप उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते। मौजूदा सरकार को चाहिए अगर लोगों को राहत पहुंचाती है तो सरकार के हर एक काम में समानता रहे। बेरोजगारी मिटाने और स्वास्थ्य और जन हित के तमाम कामों में समानता बरती जाये। अगर ऐसा करने में हमारी सरकार फेल हो जाती है तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम निकलेंगे। यही होता है तो मुल्क के टुकड़े भी हो जाते हैं। मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं अगर कोई राज्य किसी तबके को या देश के किन्हीं लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध काम करे, उनको सुविधा प्रदान न की जाये, जो उनकी जायज मांग हो उसको माना न जाय तो लोग उस सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए मैं उस मांग को आपके सामने रखना चाहता हूँ। समानता का दर्जा दिलाते हुए विकास कार्यों में उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मरु प्रदेश बने चाहे न बने लेकिन वहां विकास कार्य करने की मैं सिफारिश करूंगा। चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चाहे कोई और जन हित की बात हो, आप उसको किस तरह से विकास करना चाहते हैं, सरकार को अपनी पॉलिसी घोषित करनी चाहिए।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैंने प्रस्ताव दिया है। मरु प्रदेश के लिए दिया है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : 28 फरवरी को जोधपुर में युवा जन के जरिये जोधपुर बन्द का आह्वान किया गया और मरु प्रदेश की मांग की गई। सम्पूर्ण जोधपुर शांतिपूर्ण बन्द था। यह बन्द क्यों हुआ और यह मांग क्यों उत्पन्न हो रही है इस पर इस सदन के माननीय सदस्यों को बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जितना मरु प्रदेश है सरकार ने उसके विकास में कोई रुचि नहीं ली। जोधपुर और बीकानेर सम्भाग हैं वह पाकिस्तान से लगता हुआ है और रेगिस्तानी इलाका है। वहां न किसी तरह की सड़कों का विकास हुआ, न औद्योगिक दृष्टि से कोई विकास ही हुआ और न उस क्षेत्र से इस सरकार ने मंत्रि मण्डल में किसी को लिया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बड़ा ही उपेक्षापूर्ण रवैया बीकानेर और जोधपुर डिवीजन के साथ अपनाया जा रहा है उसी को लेकर यह मांग इस राज्य के विभाजन की उत्पन्न हुई है। इस पर बड़ा गम्भीरतापूर्वक इस सदन में विचार करना होगा। समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे, आन्दोलन होंगे इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर उचित ध्यान यह सरकार दे। इस सदन के माननीय सदस्य इस मांग में सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के बोलने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे मालूम हुआ है कि यह आन्दोलन जनता पार्टी की तरफ से ही हुआ है।

# Page No 30

(30)



श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को जोधपुर बन्द के प्रसंग में माननीय सदस्यों ने मरु प्रदेश की मांग उठाई है। चार्ज यह है कि मरु प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मरु प्रदेश का विकास किस प्रकार का होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था, इसकी जिम्मेदारी केवल वर्तमान सरकार की ही नहीं है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो हम भी जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूतपूर्व सरकार में जोधपुर डिवीजन के जितने सदस्य मंत्रिमण्डल में शामिल थे उतने शायद दूसरे डिवीजन के नहीं थे। माननीय श्री खेतसिंह जी, श्री मथुरादास जी माथुर यह दो प्रमुख तो थे ही लेकिन श्री परसरामजी मदेरणा, श्री नाथूराम जी मिर्धा, श्री गंगारामजी चौधरी यह सब सदस्य थे। श्री रामनिवास मिर्धा थे और जोधपुर मुख्य मंत्री भी रहे हुए हैं। तो यह बात केवल कह कर चलें कि वर्तमान सरकार ने जोधपुर की उपेक्षा की है और इस कारण से आप मरु प्रदेश की मांग करके चलें तो वह तो आपकी मर्जी की बात है लेकिन मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार अपने सीमित साधनों के अन्दर जितना जिस क्षेत्र का विकास कर सकती है उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी। मरु प्रदेश अलग बनाने से उस क्षेत्र का विकास हो जायेगा इस बात से माननीय सदस्य, जिन्होंने मांग रखी है, भी शायद सहमत नहीं होंगे···

श्री ज्योतिसिंह मकासर : मंत्रिमण्डल में लेने के लिए कह रहे हैं। मरु प्रदेश की मांग तो मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व देने के लिये उठाई है। मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व दे दीजिये तो मांग खतम हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको यदि इस आधार पर लें, तो यह सम्भव हो सकता है कि आन्दोलन करें, बन्द करायें सब कुछ हो और उसके द्वारा जनता पार्टी को मजबूर करें। यह मंशा हो कि जनता पार्टी आलोचना का कारण बने, यदि इस सब के पीछे यह मंशा हो तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। आप विरोधी दल में बैठे हैं और इस प्रकार की कोई कार्यवाही करें तो हम उसको उसी रूप में लेंगे। लेकिन यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। इस प्रश्न का आपने गम्भीरता से अध्ययन किया हो और उस को गम्भीरता से सदन में उपस्थित कर रहे हों तो दूसरी बात है। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी रहे या नहीं रहे, कांग्रेस का शासन हो या नहीं हो इन प्रश्नों से थोड़ा दूर रहकर इस प्रश्न पर विचार करें और उसी प्रकार का जन मानस बनायें तो उचित रहेगा। यदि हमने आवेश में आकर और यह मानकर कि इससे जनता में किसी प्रकार का विद्रोह हो इस प्रश्न को उठाया तो यह एक प्रकार से दुधारू तलवार है। यह आपका भी कत्ल सफाया कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मरु प्रदेश के विकास का प्रश्न है मैं विश्वास दिला कर चलता हूं कि जो हमारे साधन हैं उनके अन्दर जितना भी कर सकते हैं पक्षपात के बिना हम विकास के कार्यों को हाथ में लेंगे। श्री मथुरादासजी या कोई भी सदस्य बतायें इस सदन में किस प्रकार की कार्यवाही हो सकती है हमारे साधनों को देखते हुए जो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
कि उनसे छिपे हुए नहीं है तो हमें खुशी होगी···

श्री मथुरादास माथुर : बतायेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जब उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो हमें खुशी होगी यदि आप हमें बतायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास का प्रश्न दूसरा है और अलग प्रदेश की मांग बिल्कुल ही भिन्न है। इन दोनों को शामिल करके नहीं चलें। हमारे साधन आपसे छिपे हुए नहीं हैं, हमारी जो क्षमता है वह आपको बतायेंगे और उसमें क्या किया जा सकता है यह आप बतायेंगे। लेकिन इस मांग को बल देने से पहले मेरा एक निवेदन है कि इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर विचार करें तो अच्छा होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि पूर्वी राजस्थान की कास्ट पर दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान का विकास नहीं होगा। प्लान, नान-प्लान और बजट में सारे जो डवलपमेन्ट हुए वह सब विकास के काम भूतपूर्व सरकार ने, यदि हम चारों पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े देखें तो, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में किए। आन्दोलन के जरिये यही प्रवृत्ति रही तो कहीं ऐसी परिस्थिति न हो जाय कि पूर्वी राजस्थान को इनके प्रेशर के कारण नेगलेक्ट करें और उनका विकास करें। यह सब भूतपूर्व सरकार कर गई। आप ऐसा न करें यह ध्यान रखें।

श्री शंकरलाल : पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान अलग होना ही है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख की रात को अजमेर जिले में···

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान एक रहना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : डागा जी···.

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान एक रहना चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिये। इसके विकास में सबका सहयोग होना चाहिए।

श्री सूरजपाल सिह : हमने वही अर्ज किया कि आप जोधपुर डिवीजन को नहीं भूलें।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने आन्दोलन शुरू किया है। यह हम साफ करना चाहते हैं कि हमारी ओर से कोई साजिश नहीं है। हमने तो आगाह किया है। आप जांच कीजिए। आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने यह आन्दोलन चालू किया है, यह आपका भ्रम है। इन्टेलीजेन्स ने आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? किसी प्रकार का हमारे ऊपर चार्ज लगायें तो यह उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : अभी भी जनता पार्टी वाले ही बोल रहे हैं।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में ओलावृष्टि हुई और 16 तारीख की रात को 150 से 200 ग्राम के ओले भी गिरे हैं जिसकी वजह से चामोला के पास, जो मसूदा के पास का इलाका है, 100 भेड़ें मर गईं जिन्हें कि मारवाड़

(श्री नूरा)

की तरफ से चराने जा रहे थे। वहां के काश्तगार बुरी तरह से तबाह हुए। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और राहत विभाग को भी पत्र लिखा। सदन में भी मैंने परसों एक प्रस्ताव दिया था कि वहां पर काश्तकारों को नुकसान हुआ है। वह इलाका पहले से ही प्रभावग्रस्त है और जो फसल बोई थी वह ओलावृष्टि से साफ हो गई। लोग गाड़ी भर कर ओले लाये और वहां के विकास अधिकारी को दिखाये उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली होगी। इसके बाद भी कोई राहत का काम वहां शुरू नहीं किया गया। प्रभावग्रस्त क्षेत्र के अन्दर थोड़े से टैस्ट वर्क्स शुरू किये लेकिन वहां पर ओलावृष्टि से नुकसान के बाद कोई राहत कार्य नहीं किये। दूसरी फसल के बाद भी आज लोग भटक रहे हैं ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इसके लिए मैंने इस सदन में चर्चा के रूप में इस सवाल को उठाया है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो उस क्षेत्र में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में आश्वासन दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, जब इस बात की सूचना मिली कि कुछ क्षेत्रों में ओले पड़े हैं और पशुओं का नुकसान हुआ है तो हमने तुरन्त जिलाधीशों को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि वह अधिकारी भेजकर या खुद देखकर इसकी जांच करायें और इमीजियेटली रिलीफ देने की आवश्यकता हो तो वहां पर दें। माननीय सदस्य के क्षेत्र के पास मैं स्वयं जाकर आया हूं। मैंने देखा है कि ओलों से फसल नष्ट हुई है, लेकिन कोई वह समझकर चले कि फसल नष्ट होने के साथ ही लोग भूखों...

**श्री नूरा :** जानवर मरे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मरने लगे हों ऐसी बात नहीं। यह फसल तैयार होती तो दो महीने के बाद होती। ऐसी स्थिति में आज ओले पड़ गये और कल से लोग भूखों मरने लगे हों यह ठीक नहीं है। वह फसल ऐसी नहीं थी कि लोग उससे पेट भरते। फसल कटने वाली थी और दो महीने बाद कट कर घरों में आती। जहां आवश्यकता होगी रिलीफ वर्क चालू होंगे। जहां पर ग्रेचुटस रिलीफ देने की आवश्यकता होगी वहां सब कुछ कार्यवाही होगी। विस्तृत जानकारी हम कर रहे हैं। कुछ जानकारी तो आज ही प्राप्त हुई है और कुछ और आ जायेगी। माननीय सदस्य इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इमीजियेटली एक्शन लूंगा।

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री अध्यक्ष :** आपका ऐसा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं...

**श्री अध्यक्ष :** आपका तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, आप बैठ जाइये।

**श्री जयनारायण सालोदिया :** हां, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठ जाइये।

**श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) :** आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कुछ पढ़ाइये तो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
सही, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब लिया जाता है।

श्री एच. एन. शर्मा : आपके उपदेश की जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ? पहले आप मुझे संकेत करें कि क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने यह कहा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान मैं अपनी बात कहूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें। यह पालिसी का इश्यू है। 150-150 छात्र गांव में बेकार बैठे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। वहां पर 20 पर्सेन्ट कोर्स ही पूरा हुआ है और साल का अन्त आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन 8 महीनों के अन्दर राजस्थान सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रणाली अपनाई उसका असर यह हुआ है कि गांव के गांव टीचर्स से खाली हो गये हैं। जहां पर 8 टीचर्स होने चाहिये थे वहां पर दो हैं।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे गांव वाले घेर कर यह कहते हैं कि हमारे मिडिल स्कूल में 150 स्टूडेन्ट्स हैं और दो ही टीचर्स हैं। वहां पर रोड है, बस जाती है, पानी है, बिजली है और रहने के लिए पक्के मकान हैं उन गांवों में टीचर्स नहीं हैं। मैंने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी को कहा, मैंने शिक्षाधिकारियों से कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री मूलचंद डागा : बड़ी गड़बड़ है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यदि यही शिक्षा का हाल रहा तो गांवों और शहरों के बीच जो आज खाई है वह खाई और बढ़ जायगी। आज तो राजस्थान के दो टुकड़े करने की ही मांग कर रहे हैं लेकिन फिर तो गांव-गांव अलग राज्य की मांग करेगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी की धांधली इस प्रकार से सहन नहीं की जा सकती। मैं दृढ़ता के साथ इस हाउस में कह सकता हूं कि मैंने ट्रांसफर्स शिक्षा मंत्रीजी से नहीं करवाये हैं, लेकिन उसकी सजा इन गांव वालों को दी जा रही है। मैं खुद फुल पेन्ट पहनता हूं और मैंने कभी खाकी हाफ पेन्ट नहीं पहनी इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, वहां पर टीचर्स नहीं भेजे जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं। मैं आरोप लगाता हूं इस सदन में कि शिक्षा के क्षेत्र में आर. एस. एस. वालों को भरना छोड़ दें।

कई माननीय सदस्य : शेम। शेम।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही को चलाना है कि नहीं ? माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इस तरह से हल्ला-गुल्ला करना सदन की परम्परा के विपरीत है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

# Page No 34

(३५)



श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मुख्य मंत्रीजी सुन लीजिये मेरी बात। मैं वह व्यक्ति था ···

श्री बालचन्द आर्य : माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान युनिवर्सिटी में जब आर. एस. एस. की शाखा लगाने के बाबत सरकार घुटने टेक रही थी तब इस सरकार से निपटने के लिए यह लोग कहां गए थे। मैंने उसका विरोध किया था। इस तरह से आप मेरी आवाज को बन्द करना चाहते हैं तो यह आवाज बन्द नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्य, आर. एस. एस. ने जब घुटने टेक दिये थे तब आप लोग कहां गये थे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री से कहें कि उनको बैठायें।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता···

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप इस तरह से दबा नहीं सकते किसी को। अध्यक्ष महोदय, यह तरीका बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में एक माननीय विधायक ने आर. एस. एस. पर आरोप लगाया है कि आर. एस. एस. के आधार पर ट्रान्सफर हुये हैं, यह सरासर गलत है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाउस में धमकी दे रहे हैं····

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर, सर।

व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक व्यवस्था का सवाल पेश करना चाहता हू, अध्यक्ष महोदय।

Page No 35

35



श्री एच. एन. शर्मा : आसन पैरों पर है, आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, बहुत कुछ हो लिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक व्यवस्था का सवाल है। इस हाउस में आर. एस. एस. का नाम लेते ही कुछ माननीय सदस्यों को कोई बीमारी हो गई। आर. एस. एस. का नाम लेने से क्या परेशानी हो गई। आप जनता पार्टी के सदस्य हैं या आर. एस. एस. के सदस्य हैं···

(व्यवधान)

क्या बीमारी हो गई ? आप जनता पार्टी के सदस्य हैं। आपको बहुत शालीनता से काम लेना चाहिये..

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह हाउस तय करे···

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या आर.एस. एस. का नाम लेना गुनाह है इस हाउस में ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, वे गलत हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज हाउस यह तय करे····

श्री मदनसिंह दांता : मेरी समझ में नहीं आया इनको क्या हो गया है।

श्री अध्यक्ष : अगर एक एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं आप सबको अवसर दूंगा। यह कोई तरीका है? सदन की परम्परा और मर्यादा में रहकर जो बात कहनी है वह कहें। मैं किसी को नहीं रोकता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ट्रेजरी बैन्चेज वालों को समझायें·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको बोलना है तो दो मिनट में कह दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलना है तो बोलिए।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज्य में जब ये लोग खड़े होकर बोलते थे तो ये सब बर्दाश्त करते थे। आज अगर ये खड़े होकर बोलते हैं तो क्या हो गया ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आज यदि बोलने की स्वतन्त्रता छीन ली तो.

(व्यवधान)

आज इस हाउस में मुझे जो उचित लगा मैंने कहा है। जो बात मैंने कही है वह मानें या नहीं मानें लेकिन मुझे अफसोस है यदि किसी एम. एल. ए. के लिये इस तरह की कोशिश की जा रही है कि उसे बोलने ही नहीं दिया जाय तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कह सकता हूं तमाम सदस्यों के बोलने में इन्ट्रप्शन किया जायगा। या तो मैं बोलूंगा

# Page No 36

(36)



(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)
या फिर किसी को बोलने नहीं दूंगा।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, कुछ सालों में शिक्षा जगत का यह काला वर्ष रहा है ....

(व्यवधान)

**श्री दाऊ दयाल जोशी :** बकवास, झूठ बोलते हो। चेलेन्ज है।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** इस हाउस में जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं, दोनों दोषी हैं। दोनों ने गांवों की शिक्षा को खतम कर दिया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** कितने ही गांव में टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरते क्यों नहीं हैं ?

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मैं तो आपके गांव जाकर आया हूं। सब टीचर्स हैं वहां पर।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** आप जांच कर लीजिए....

(व्यवधान)

**श्री मदनसिंह दांता :** अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि ये आर. एस. एस. के नहीं हैं। आर. एस. एस. में तो कोई जीव है लेकिन इनमें तो कोई जीव ही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि ये आर. एस. एस. के नहीं हैं।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व कांग्रेसी शिक्षा मंत्री रुपये लेकर ट्रांसफर करते थे और अब हाफ पेन्ट के कारण बदली होती है। शिक्षा में रुपयों के वर्ग को और वर्ग भेद को खतम कर दें। गांवों में पूरा साज सामान भेजा जाय, अध्यापक भेजे जायं और यह सब एक सप्ताह में किया जाय। इस भूल के लिए सरकार सदन से माफी मांगे।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शखावत (मुख्य मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत मामूली सा है.....

(व्यवधान)

आप लाइये किसको चिन्ता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य रामकृष्ण दास जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का अभाव बताया।

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिए पूरे राजस्थान में अभाव होगा। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जिन जिन माननीय सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में अध्यापकों का अभाव है, वे कृपया बतायें, हम बिना किसी भेदभाव के अध्यापकों की पूर्ति करेंगे। दूसरे यह कहा कि आर. एस. एस. के प्रभाव के कारण से स्थानान्तरण हो रहे हैं...

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** हम बतायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आप बतायेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। चाहे कोई आर. एस. एस. का हो, या कांग्रेस का हो, निश्चित रूप से इससे शासन में बुराई आयेगी। उसको हम नहीं पनपाना चाहते हैं। लेकिन आप बीच बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं और बोलने नहीं देते हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप अकेले क्या क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जहां जहां पर इस प्रकार का अभाव हो वह मेरे नोटिस में लाया जाय तो निश्चित रूप से उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाएगा।

रहा सवाल बोलने देने और नहीं बोलने देने का, यह तो वातावरण सदन में यों ही बन जाया करता है। इसमें हमारी यह नियत नहीं है कि आपके बोलने के अधिकार को छीना जाय। आपका निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे, आपके सुझावों का स्वागत करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मगर इन पर लगाम लगाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपस में हम भी करते थे और आप भी करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : हमें जमूरा कहा है। आप लोग भी व्यवधान करते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले को यहीं पर समाप्त किया जावे, इससे ज्यादा उत्तेजना नहीं हो, और अभाव की जहां तक बात है, आप मुझे बता दें।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जमूरा शब्द जो कहा है, वह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाला जावे।

श्री मूलचन्द डागा : वाकई साहब, जमूरा शब्द असंसदीय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही चल सकती है। अगर आप यह वातावरण चलाना चाहें तो थोड़ी देर और चलाइये, फिर जम जाएगा वातावरण।

श्री मदनसिंह दांता : आप फर्मायें कि क्या करें आगे।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं।

श्री मदनसिंह दांता : आप फर्मायें कि हम क्या करें अब आगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। याचिका का उपस्थापन।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अगर एक मिनट बोलने की इजाजत दे दें तो मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ चर्चा उठाना चाहते हैं तो बोलिये, दो मिनट।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाइन्स में एक ऐसे कलाकार के हाथ में है, जिस समय गहलोत साहब पावर में थे, उनको अपनी कठपुतली बनाया। जब समय पलट गया, अब वे पावर में से निकल गए तो अब

(श्री राम करण सिंह)

मौजूदा पार्टी के, जनता पार्टी के जो कारिन्दा हैं उनमें से कुछ एक को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है और उनको कठपुतली बना कर आठ सौ लड़कों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दस और पन्द्रह रुपये महीने की फीस ली जाती है। दस हजार रुपये समाज कल्याण से लिए जाते हैं और बीस हजार रुपये संस्कृत कालेज एजूकेशन से ले लिए जाते हैं। तीस हजार और यह दस हजार मिलाकर चालीस हजार रुपये लेकर वह शख्स अपने एशो आराम में खर्च करता है और अपने पास बदमाशों का झुंड रखता है। टीचर्स नहीं पढ़ायें तो उनके जूते लगा कर उनसे झूंठी रसीदें लिखाई जाती है जिसके इस्तगासा अदालत में चल रहे हैं। उस इस्तगासा की तारीखें पड़ रही हैं। इसकी शिकायत की तो संस्कृत शिक्षा विभाग से उनकी देख रेख के लिए और जांच के लिये जिम्मेदार व्यक्ति आये उन्होंने 15 दिन तक जांच की। मैं आपको जांच की तारीखें बतलाता हूं। 9–1–78 से 17–1–78 तक जांच की। इतने लम्बे समय तक जांच करते रहने से स्पष्ट मालूम होता है कि उसमें घपले थे तभी इतना समय जांच में लगा। लेकिन उस व्यक्ति को अब प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। दो अध्यापकों को परेशान किया जा रहा है, उनको सर्विस से निकाला जा रहा है। उनकी तनख्वाहों में से कटौती की जाती है। उनको मजबूर किया जाता है कि झूंठी रसीदें दो। इस तरह के कुकर्म करने वाले को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसलिए मैंने जो स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया है उस पर राज्य सरकार से सही तरह से फैसला करावें और इस पर अच्छी तरह से कार्यवाही करावें ताकि जिन लोगों का भारी शोषण हो रहा है, झूठी रसीदें लिखाई जा रही हैं वह रोका जा सके। ऐसी संस्था को बन्द किया जावे और इसको खत्म किया जावे, यह बहुत विनम्रतापूर्वक मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

## याचिका का उपस्थापन

### चारभुजा दीपपुरा घाटे की सड़क का निर्माण

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं चारभुजा दीपपुरा घाटे की सड़क के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चार हस्ताक्षरों से युक्त याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

## समिति का प्रतिवेदन

### अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1977-78 का प्रथम प्रतिवेदन

मेजर श्री फतहसिंह (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1977-78 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार····

श्री मूलचन्द डागा : पहले परमिशन तो लो। आपने उपस्थापन करने की इजाजत दी या नहीं दी।

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : यह तो पहले से ही लिस्ट में आ चुका है। इजाजत हो गई।

कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री सूर्य नारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

घोषणा

समय के बटवारे में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए अभी तक 16 घण्टे उपलब्ध थे। सदन द्वारा बैठकों के समय में बढ़ोतरी किये जाने के फलस्वरूप अब जनता पार्टी को 11 घण्टे के स्थान पर 13 घण्टे व कांग्रेस (आई) को एक घण्टा उपलब्ध होगा। शेष समय के बंटवारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा भाषण अधूरा रहा गया था।····

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह आपने जनता पार्टी का समय बढ़ाया और ग्यारह से तेरह घण्टे कर दिए, फिर कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं बढ़ाया ? यह कैसे बटवारा हुआ समय का ?

श्री अध्यक्ष : आपका समय घटाया नहीं है, आपका समय बढ़ाया है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उसके टुकड़े हो गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो पुनः बोलने का समय दिया है, जो मेरा भाषण कल बीच में अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

जैसा कि मैंने कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को बताया था और सभी माननीय सदस्यों को बताया था कि तीस साल के शासन में किस तरह से मकड़ी के जाले के रूप में देश जकड़ा हुआ था···

श्री मूलचन्द डागा : क्या तीस तीस साल की बात करते हो, अपनी बात करो।

श्री एच. एन. शर्मा : आज की बात ही कर रहा हूं, तसल्ली रखिये।

(श्री एच. एन. शर्मा)

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम नए नए हैं, हमारे मंत्रीगण नए नए हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और आप जानते हैं कि समझने में समय लगता है, सोचने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार और हमारे विधायक लोग तीव्र गति से विकास कार्यों की ओर अग्रसर हैं। जब मैं विकास कार्यों की बात करता हूं तो मुझे याद है कि माननीय खेतसिंह जी ने किस प्रकार से चुटकी ली थी। जब माननीय कैलाशजी मेघवाल माननीय पंचायत राज्य मंत्री के रूप में यहां पर घोषणा कर रहे थे कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र ही करवाये जायेंगे उस समय खेतसिंहजी ने चुटकी ली थी कि यह केवल घोषणा ही रह जाएगी। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इसको पूरा किया जाएगा। उस आश्वासन को क्रियान्वित किया जा चुका है। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार केवल घोषणाओं में ही नहीं बल्कि उनको कार्य रूप में परिणत करने में भी विश्वास करती है। यह इस बात का प्रमाण है। श्रीमान्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि एक समय था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। आज बड़ा दुःख होता है कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां घी-दूध की नदियां बहा करती थीं वह देश भूखा-नंगा हो गया है। हो नहीं गया बल्कि उसको कर दिया गया है और उसे भूखा नंगा किसने किया, यह श्रीमान् को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन हमारी सरकार, जनता पार्टी की सरकार उस भूखे-नंगेपन को खत्म कर विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है। आपने देखा कि तीस साल के शासन ने देश को और जनता को जुआरी बना दिया। जगह-जगह जुओं के अड्डे कायम कर दिये, इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने लाटरी भी चला रखी थी। मैं जनता सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने उचित निर्णय लिया और हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दिया। आज राज्य सरकार शराबबन्दी के लिए दृढ़ संकल्प है। आज भी हमारी सरकार शराबबन्दी पर दृढ़ है और शराब बन्दी करने के लिए हमारी जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : शराबबन्दी की ओर या शराब की ओर ?

श्री बाऊदयाल जोशी : सुनना भी सीखो। माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं आपको कहना चाहूंगा, इतिहास इस बात का द्योतक है जो कि पुरानी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने 8 महीने में 20 हजार लोगों की पेंशन स्वीकार कर एक नया उदाहरण पेश किया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पेंशन की जो राशि 40 रुपये है, यह बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इससे जिनको पेंशन स्वीकार की गई है, उनको राहत मिले।

जनता सरकार के गठन के समय मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को

(श्री एच. एन. शर्मा)
समाप्त किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज भ्रष्टाचार में कमी आई है। अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान चले हैं। पहले पटवारियों के पास किसान जाते थे तो वह सो सो रुपयों की मांग करते थे। इस राजस्व अभियान में 9 लाख मुकदमे निपटाये गये हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं यह चैलेंज करता हूं। आपके जितने आंकड़े हैं, वह फर्जी हैं, झूठे हैं। 9 लाख नहीं हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री एच. एन. शर्मा** : बेरोजगारी को मिटाने के लिए हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं। उनमें जो मजदूरी दी जा रही है, वह बेलदार को 3/– रु., कुली को 2.50 रु. और बच्चे को 2/– रु. दी जाती है। मैं मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते कहना चाहता हूं कि जहां अकाल की छाया पड़ी हुई है वहां 8 घण्टे काम कराके आधी मजदूरी दी जाती है। एक मजदूर लीडर होने के नाते मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार उनको मिनिमम वेजेज दी जायं। मिनिमम वेजेज एक्ट अकाल राहत में काम करने वाले मजदूरों पर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, सरकार पूरी पूरी कार्यवाही करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह मानता हूं कि कई जगह कमियां हैं। जैसे कि पानी और बिजली की दरों में असमानताएं हैं।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो 5 हजार की आबादी वाले स्थान हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान के चारों तरफ मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमान्त हैं। उन पर जो गांव लगते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो सड़कें एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जोड़ती हैं, मिलाती हैं, उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूं कि गंगानगर शुगर मिल के आधुनिकीकरण की 1.62 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। मैं इस बारे में निवेदन करूं कि पी. यू. सी. का मेम्बर होने के नाते मैं वहां पर गया था।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : ग्रॉन ए पॉइण्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वित्तीय समिति के सदस्य हैं। जब तक सदन में रिपोर्ट पेश नहीं हो तब तक माननीय सदस्य का कुछ भी कहना नियम विरुद्ध है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यही नियमों में है।

**श्री एच. एन. शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में अफीम के पट्टे तहसीलदार देता है। यह राजस्व अभियान में देखा है कि गांवों में जाकर पट्टे दिये हैं। जो तहसील का अधिकारी है, वह तहसीलदार है। उस अधिकारी के द्वारा पूरे 200 मील की कान्स्टीट्यूएन्सी में पट्टे बांटना गलत है। काश्तकार दस दस दिन तक वहां पर पड़े रहते हैं वह परेशान होते हैं। उनको पट्टा नहीं मिलता है। तहसीलदार के स्तर

(श्री एच. एन. शर्मा)

पर अफीम का पट्टा दिया जाता है इसके बजाय ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाना चाहिये अन्यथा रेवेन्यू इन्सपेक्टर के द्वारा दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें विधायक, जन प्रतिनिधि और तहसीलदार को शामिल किया जाय ताकि यह भी मालूम रहे कि जिनको पट्टे दिये हैं, उनकी जमीन है और अफीम के पट्टे के काबिल है। किसी ने नाजायज कब्जा तो नहीं कर रखा है या नाजायज कब्जे वाली जमीन का पट्टा तो नहीं दिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में मतदाताओं की उम्र के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया था कि मतदाताओं की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी जायगी किन्तु अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से हिन्दी भाषा के बारे में दो लाइनें लिखी गई हैं।

(व्यवधान)

मैं मजदूरों का एक ही प्रतिनिधि यहां चुनकर आया हूं इसलिए मुझे बोलने दिया जाय।

ग्राईंडिग एण्ड प्रोसेसिंग फेक्ट्री को जालौर में ही रहने दिया जाये। उसको स्थानान्तरित करना स्थगित करना चाहिए।

साथ ही सचिवालय के कर्मचारियों में बड़ा अहम आ गया है। उनके सचिवालय के अन्दर ही ट्रांसफर किये जाते हैं। वह हमारी सरकार के कार्यों में अड़चन पैदा करते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। बराबर आज तक यह संसदीय परम्परा रही है कि 'हमारी सरकार' कहने का अधिकार या तो प्रधान मन्त्री को है या फिर मुख्य मन्त्री को है। यह संसदीय परम्परा है। पार्लियामेण्ट में भी यही है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

**श्री रामनारायण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था दीजिए।

**श्री एच. एन. शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार से मांग करता हूं कि सचिवालय के कर्मचारियों का अन्य विभागों में और अन्य जगहों में भी ट्रांसफर किया जाये।

राजस्थान में एक भैंसरोडगढ़ है। वहां पर एटामिक प्राजेक्ट और राणाप्रताप सागर बांध हैं। इस परियोजना में गांव के गांव सरकार ने खाली करवाये हैं लेकिन अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नहीं बनी है।

इतना सब कुछ होते हुए भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक, सामाजिक, और सभी प्रकार की रीति-नीतियों का समावेश किया गया है, जो कुछ कमियां हैं वह दूर की जा सकती हैं। इतना कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद

(श्री एच. एन. शर्मा)
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कल माननीय सभासद माणकचन्दजी सुराणा ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें मैंने संशोधन भी पेश किया है, उसको भी मैं बोलते समय पेश करूंगा। कल माननीय सदस्य, प्रस्ताव के प्रस्तोता अपने व्याख्यान में किसी बात की कमी नहीं रख रहे थे और माननीय सदस्य मेरे बीच में बोलने से उत्तेजित हो रहे थे। माननीय सदस्य की विद्वता और संसदीय योग्यता के बारे में न तो मुझे कभी संदेह था और न अब है। वह अपनी बात को बहुत विश्वास और लोजिकली रख रहे थे।

मेरा निवेदन करना यह है और कल भी था कि यह अभिभाषण की पीली पोथी जो हमें दी गई है इसमें जनता पार्टी की सरकार का न कोई कार्यक्रम है, न आगे की कोई दिशा है और न ही इसमें नीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है। यह एक जोंडिस लगी हुई पुस्तिका है जिसमें किसी भी बात का आभास नहीं होता, न कोई दिशा है और न कोई परफार्मेन्स है।

इस सदन में बहुत ज्यादा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने और कई माननीय सदस्यों ने भी अन्त्योदय योजना का जिक्र किया। मैं इसकी ज्यादा विगत में नहीं जाऊंगा। जो माननीय सदस्य इधर बैठे हैं इन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और पिछली बार भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। यह कुछ नहीं है, यह पूरा भ्रमजाल है। जब आपको अगले सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को रखने का मौका मिलेगा तब आप स्वयं पछतायेंगे और इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह पायेंगे कि जो अन्त्योदय योजना थी, वह क्या थी और उसका क्या हुआ। ठीक है आपने 1 लाख 65 हजार परिवारों का चयन किया पांच महीने में लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि एक भी गांव में एक भी परिवार को आपने कुछ दिया है? इसका कोई जिक्र नहीं है। जो पेंशन वालों की बात आई है यह तो पहले से है। उसको भी अन्त्योदय योजना में जोड़ दिया है। मैं प्रस्ताव के प्रस्तोता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी सरकार को कहा कि ओल्ड एज पेंशन के केसेज भी आपने इसमें जोड़ दिये। इसको निकाल देते हैं तो इसमें कुछ नहीं बचता है। पांच महीने का परफार्मेन्स आप यह बताते हैं कि ग्राम सभायें की गईं। मैं मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि कुछ नहीं हुआ, कहीं भी ग्राम सभा नहीं बुलाई गई। पटवारी और ग्राम सेवक पर ही सारा काम छोड़ दिया गया। मुझे नहीं मालूम और जगह क्या तरीका अपनाया गया।

(व्यवधान)

जहां तक मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात है, केवल पटवारी और ग्राम सेवक का ही योगदान रहा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): आप कहां थे?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप अच्छी योजनाओं में योगदान करने की इच्छा नहीं रखते।

**श्री रामनारायण चौधरी** : भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में एक भी वर्ड इसमें नहीं है। वह कार्यक्रम एक महान कार्यक्रम था। जिसके इम्प्लीमेन्टेशन में कमजोरी रही, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर उस कार्यक्रम का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेन्टेशन करते तो, मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में वही हाल होता जो कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में हुआ। राजस्थान और दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की जब दिल्ली में बैठक हुई तो कई मुख्य मंत्रियों ने कहा कि उसको सख्ती से लागू किया जाय लेकिन एक मुख्य मन्त्री कर्नाटक के देवराज अर्स ने ईमानदारी के साथ उसको गरीबों पर लागू किया। वहां पर बैकवर्ड लोगों का ज्यादा पर्सेन्टेज है। वहां लोगों ने सही निर्णय दिया इस बात को ध्यान में रखते हुए और जिस व्यक्ति ने काम किया ईमानदारी से गरीबों के लिये वह जीतकर आया। जो लोग आस्तीन के सांप थे उनको केवल एक दो सीटें आईं...

(व्यवधान)

मैं यह मानता हूँ कि यदि बीस सूत्री कार्यक्रम को ठीक प्रकार से लागू किया होता तो राजस्थान में भी यह रिजल्ट नहीं आता।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप भी तो भागीदार हैं इसमें !

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि–

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : हम जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर आये हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं इस बात को मानता हूँ कि इमर्जेन्सी के अन्दर बहुत ज्यादतियां हुईं। ज्यादतियां नहीं हुई होतीं तो फेमिली प्लानिंग और स्टरलाइजेशन के नाम पर लोगों को गुमराह करके जनता पार्टी की जीत नहीं होती। इस इमर्जेन्सी के अन्दर एक प्रकार का भयानक, खतरनाक प्रोपेगन्डा अन्दर ही अन्दर चला। उसको चलाने वाले आपके साथी होते थे। मैं कहता हूं कि अगर उस जमाने में आर. एस. एस. के एलीमेन्ट और जनसंघ इन दोनों पार्टियों के लोग नहीं होते और कांग्रेस ने सख्ती के साथ कन्ट्रोल किया होता तो ये इधर नहीं आ सकते थे। यह बात सही है कि इमर्जेन्सी में, आपातकाल के वक्त में कुछ बातें ऐसी हुई जो ध्यान में नहीं आई, ध्यान में नहीं लाई गई, मालूम हुआ तो ध्यान नहीं दिया गया। यदि वह कमी नहीं होती तो यह निर्णय नहीं आता। तो, मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अन्त्योदय योजना कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिये आज जनता पार्टी की सरकार ने 'गरीब'-'गरीब' शब्द का प्रयोग करके उसके अन्दर गरीबी की भावना पैदा की है। गरीब वह है जो काम नहीं कर सकता, उसको काम मिलना चाहिए। उसका कोई जिक्र नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

कमजोर वर्ग के तबके की तरफ···

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : इसके लिए जिम्मेदार आप हैं ।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उन दिनों आप पंचायत राज मंत्री थे ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपने गांवों में लोगों का स्वाभिमान गिराने की कोशिश की । जमीनों के बारे में इधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने आंकड़ों का जाल बिछाते हुए कहा कि इतने लाख एकड़ जमीन बांटी । कौनसी जमीन बांटी ? मैं पूछता हूं आपने कौनसी जमीन बांटी ? जमीन पर जो ट्रेसपासर्स बैठे थे, धाकड़ों ने कब्जा कर रखा था, उन लोगों को आपने पनाह दी । 50 लाख खातेदार हैं, उनमें कितने लोग रोज जमीन बेचते हैं, लेन देन के ट्रान्जेक्शन्स होते हैं, भाइयों में बटवारा होता है, इसके आपने फिगर्स दिये हैं, यह तो प्रति वर्ष का काम है । माननीय उद्योग मंत्री फर्मा रहे हैं कि आप पंचायत मंत्री थे । जब मैं पंचायत मंत्री था तो हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार 8 लाख लोगों को, वीकर सेक्शन को निःशुल्क पट्टे दिए गए । एक वह जमाना था···

(व्यवधान)

एक जमाना वह था, प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी का वह जमाना था कि लोगों को निःशुल्क पट्टे नजर किए गए थे···

**श्री रतनलाल वर्मा** : सिर्फ कागज काले किये गये थे और कुछ नहीं किया था ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : सामन्तवाद के जमाने में हमने इतिहास बदला था । हमने गांव के लोगों को नि:शुल्क पट्टे बांटे थे, परम्परा को हमने बदला था । सबको कब्जा मिला था । इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने व्यक्तियों को कब्जा दिया । आज उसमें भी बिना कब्जे के कितने लोग हैं, क्यों नहीं उनको कब्जा दिलाया ?

कल के भाषण में कहा गया कि हमने कानून व व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर को गृह मंत्री बनाया । इससे गांव में प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है । जब तक सरकार की नीतियां साफ नहीं होंगी, साफ कार्यक्रम नहीं होगा चाहे हरिजन मंत्री बने, इससे कोई प्रोटेक्शन हरिजनों को नहीं मिलने वाला है । भारत में हरिजन रक्षा मंत्री होते हुए बिहार में उनकी कान्सटीट्यूएन्सी में जिन आदमियों को जलाया गया, उनकी रक्षा नहीं कर सके तो ये कैसे रक्षा कर सकेंगे ? नहीं कर सकेंगे । हरिजनों के बारे में, कमजोर वर्ग के बारे में, शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है । आप कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर ज्यादतियां नहीं हुई । मैं चुनौती देता हूं, आरोप लगाता हूं, मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के गांव में ग्राम चुनाव के बाद में हरिजन को टट्टी करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया । वह बेचारा सूर्योदय से पहले चुपके से निकला । वह खेत में घुस भी नहीं पाया था कि पुराने सामन्त ने उसे जान से मार डाला । वह रास्ते में ही पाखाना करने बैठ गया । इसमें अंश मात्र भी गलत चीज नहीं है । सरकार को तार दिया । सामन्त कहता है, हमारे खेत

(श्री रामनारायण चौधरी)
में आकर टट्टी करता है, इतने आस-पास के खेत है वहां जाकर टट्टी करे। रिपोर्ट करने गए तो थानेदार ने रिपोर्ट नहीं ली, वह झुंझुनूं आये, फाचूंनेटली मैं मिल गया। मैंने एस. पी. साहब को टेलीफोन किया और चिट्ठी लिखी। मुझे मालूम हुआ कि राजस्थान सरकार ने हिदायतें जारी कर रखी हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो भी मामले आयें उन को ऊपर ऊपर सलटा दिया जाए, उन्हें रिकार्ड नहीं किया जाय, एफ. आई आर. दर्ज नहीं की जाय . . .

(व्यवधान)

आपसे पहले की बात है। मैं जुलाई, 1977 की बात बोल रहा हूं उस समय आप गृह मंत्री नहीं थे।

श्री सम्पत राम : मैं माननीय सदस्य की बात का स्वागत करता हूं। ऐसी घटनायें होती रहती हैं, आप जगह बतायें तो मैं उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी करने में नहीं चूकूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : बतायेंगे थोड़े ही, भाषण देने की बात है।

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन . . .

श्री शीशराम ओला : 3-4 जगह ऐसा हुआ है। आज ही एक व्यक्ति आया है। खेतड़ी तहसील का है, स्कूल में पढ़ता है, उसकी मां को पीटा है, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एक हरिजन के लड़के को जिन्दा जलाने लगे, लेकिन वह भाग कर निकला।

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : काला-बादल से रिपोर्ट ले लो।

श्री केदारनाथ : इस सेशन से पहले दो बार सेशन हो चुके। माननीय सदस्य यहीं विराजमान थे। कभी भी आपने अपने भाषण में इस इन्सीडेंट का जिक्र नहीं किया। मैं माननीय सदस्य से कई बार मिला और लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मीटिंग बुलाई। आपने कभी नहीं कहा। अफसोस है कि आज आप आफ माइंडेड होकर बोल रहे हैं। मेरे द्वारा भी इन्सट्रक्शन्स दिए गए कि कहीं भी हरिजनों पर एट्रासिटीज हों, किसी की जमीन छीनी जाए तो उसको रेस्टोर की जाए और फ्लाइंग स्क्वाड के लोग फौरन मौके पर कब्जा दिलायें। मैं नहीं कहता कि मेरे कार्यकाल में ऐसी एट्रासिटीज नहीं हुई, हो सकती हैं पर हरिजनों के प्रति जितनी रेस्पेक्ट की भावना रखी गई है, जितना प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, उतना नर्दन इंडिया में कहीं और नहीं दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा कोई इरादा नहीं था व्यक्तिगत तौर से भूतपूर्व गृह मंत्री के लिए कुछ कहने का। मैं उनकी इज्जत करता हूं, व्यक्तिशः वह बहुत ऊंचे विचारों के मेरे मित्र हैं। आज भी मैं उनका आदर करता हूं लेकिन यह व्यवस्था पर आक्रमण है। उनका पाइंट वेलिड है कि मैंने पहले यह सवाल नहीं उठाया। उस समय भी मैंने प्रयत्न किया था कि मुझे बोलने का मौका मिले लेकिन समय नहीं मिल सका था। अध्यक्ष महोदय, आज आपकी कृपा से, आपकी महानता से मुझे मौका मिला तब मैंने अर्लीएस्ट अपार्चुनिटी को अवेल आफ किया। इसलिए मैंने आपके

(श्री रामनारायण चौधरी)

माध्यम से जो बात कही है, गृह मंत्री उस पर गौर करें।

जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, वह जाति का राजपूत है शेखावत है, उसके गांव में उसके भाई ने यह काम किया, केस रजिस्टर नहीं हुआ। इसी प्रकार का एक इन्सटान्स मैं अपनी ही कान्स्टीट्यूएंसी का और देना चाहता हूं। गरीब हरिजन जिन्होंने कि अभी इलेक्शन में वोट नहीं दिया था जाटों को, बुरी तरह से पिटाई की गयी। इतना ही नहीं उन लोगों ने गरीब हरिजनों को यह तक कहा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गयी इधर आने की। लोगों का आने जाने का रास्ता तक बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, गरीब हरिजनों को पीटा गया। इतना ही नहीं जब वह लोग पुलिस में गये तो पुलिस में उन लोगों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। इसका कारण था, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने हरिजनों को पीटा था वह इन्फ्लूएन्शल लोग थे। उन्होंने केस रजिस्टर नहीं करने के लिये जोर लगाया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर बाद में एस. पी. को और वहां के थानेदार को चिठ्ठी लिखी तब कहीं जाकर उन लोगों के खिलाफ में एफ. आई. आर. दर्ज की गयी। लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई। उस केस को ऐसा बनाया कि वह झगड़ा जाटों का और हरिजनों का नहीं था बल्कि हरिजनों और हरिजनों के बीच में ही था। इस प्रकार जिन जाटों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पीटा था उन्हें बचा लिया। उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। तो मेरा निवेदन यह है कि जहां सरकार ऐसी आ गयी हो कि ऊपर से राज्य सरकार के अधिकारियों को दबाया जाय और केस रजिस्टर नहीं हो, और हो भी तो गलत, वहां क्या स्थिति होगी?

अध्यक्ष महोदय, आज लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि जुर्म हर वक्त होते रहते हैं और जुर्म को थाने में रिकार्ड नहीं किया जाता। जिस केस में हरिजनों के साथ अन्याय हुआ उसमें हरिजनों को डरा धमका कर कोर्ट में केस चालान नहीं किया। आपस में राजीनामा करा कर केस को रफा दफा कर दिया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने दो इन्सटान्सेज आपके सामने रखे हैं। यह स्थिति न केवल हमारे प्रदेश में ही है बल्कि सारे देश में ही लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ऐसी बिगड़ गयी है कि उसके लिये मैं क्या अर्ज करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि किस तरह से आज जयपुर में रात दिन चोरियां हो रही हैं। इससे लोग भयभीत हैं। मैं जिक्र इस बात का भी नहीं करना चाहूंगा कि किस प्रकार जयपुर में आज दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि किस प्रकार भरतपुर के पास में ट्रक वालों को लूट लिया गया पर लूटने वालों का कोई पता नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि किस प्रकार भरतपुर के पास में दिल्ली के एस. पी. के रिश्तेदारों को लूट लिया गया। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में ट्रक को लूटा गया था। उसके कारण ट्रक वालों ने ट्रकें खड़ी कर दी थीं। जिस ट्रक को लूटा गया था उस ट्रक के ड्राइवर को धर्मशाला में बन्द कर दिया गया था। मैं यहां पर यह भी जिक्र करना नहीं चाहूंगा कि····

**श्री मदन सिंह दांता** : आप यहां पर इस बात का भी जिक्र मत करना कि किस प्रकार आपके कांग्रेस के राज में अलवर महाराज कुमार को मार दिया गया था।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, हमारा दिल्ली-आगरा, दिल्ली-जयपुर का जो हाई वे है वह नेशनल हाईवे बहुत ही सेफेस्ट हाई वे था। वहां पर इस प्रकार की लूटपाट की वारदातें कभी नहीं हुई थीं। मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा कि पिछले साल जो केसेज क्राइम्स के हुए उनका कोई पता नहीं लग सका। अभी यहां पर भूतपूर्व गृह मन्त्री जी केदार नाथ जी बैठे हैं और राज्य मंत्री, गृह श्री लाल चन्द जी बैठे हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : गत वर्ष तो आप भी मिनिस्टर थे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 32092 केस हुए थे क्राइम्स के जब कि सन् 76 में सिर्फ 2532 केस ही हुए थे।

**श्री मदनसिंह दांता** : अभी तो आप कह रहे थे कि केस ही दर्ज नहीं हो रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इतने केस दर्ज हो गये।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह तो स्थिति तब है जब कि केस दर्ज नहीं हो रहे हैं। अगर केस दर्ज होते तो वह एक लाख से ऊपर हो जाते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1976 में क्या स्थिति लॉ एण्ड आर्डर की थी और कितने केस हुए थे और अब 1977 में कितने हुए। सन् 1976 में लूट पाट के 24 मामले दर्ज हुए जब कि पिछले साल 77 हुए। अपहरण के केस हुए थे वह थे 45 जब कि वह बढ़कर 61 हो गये। इसी प्रकार बलात्कार के केस सन् 1976 में 31 हुए, वह मामले बढ़कर 35 हो गये। इसी प्रकार बलवे के मुकदमे, जो कि सिर्फ 47 ही थे, बढ़ कर 85 हो गये। डाकाजनी के 230 मामले हुए वह बढ़ कर 306 हो गये। इसी प्रकार गम्भीर मामले 74 से बढ़कर 97 हो गये। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की वृद्धि आज पिछले एक साल से हो रही है। मान्यवर, यह जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं वह सही स्थिति बता रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यह आंकड़े गलत हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आंकड़े जो मैंने दिये हैं वह गलत हैं या सही हैं उसका पता तो आपको सरकार की तरफ से जब उत्तर आयेगा तब चल जायेगा। आंकड़े जो मैंने दिये है मुझे तो वह सही प्रतीत होते हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : पिछले साल जनवरी में तो आपकी ही सरकार थी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन हो रही है। इसके बारे में एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण हैं। अगर आप पूरे देश में देखें तो आपको मालूम होगा कि भयंकर रूप से अराजकता और अनुशासनहीनता आज फैल रही है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हमारे राष्ट्रपतिजी पटना गये थे तब उन्होंने भी इस बात का वहां पर जिक्र किया था और बहुत ही अफसोस जाहिर किया था। तो, अध्यक्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)

महोदय, यह स्थिति तो सिर्फ दस महीनों में ही हो गयी है। हमारे राष्ट्रपतिजी ने भी इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि आज हमारे देश में भयंकर अनुशासनहीनता फैल रही है उसे रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पहले लॉ एण्ड ग्रार्डर के नाम पर जो अच्छे काम हुए हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिये क्योंकि वह एक अच्छी बात थी, लोगों को राहत थी। अब तो लॉ एण्ड ग्रार्डर नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है। पिछले सरकार ने लॉ एण्ड ग्रार्डर का अच्छा काम भी किया पर अच्छे काम की लोग तारीफ महज इसलिये नहीं करते हैं कि लोगों को उसके नाम से चिढ़ हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान लॉ एण्ड ग्रार्डर के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि जनता पार्टी की सरकार ने लॉ एण्ड ग्रार्डर की ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। आज वही जमाना आ रहा है जब कि ठाकुरों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती थी। वह मनमानी कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार ने आकर अगर कोई काम किया है, सबसे बड़ा काम अगर किया है तो वह है लोगों के ट्रान्सफर्स, जिसमें भी टीचर्स के 17 हजार ट्रान्सफर्स किये हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने ज्यादा, 17 हजार टीचर्स के, ट्रान्सफर्स कभी भी किसी पिछली सरकार ने नहीं किये। 17 हजार ट्रान्सफर्स का मतलब है उसका असर करीब 51 हजार लोगों पर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सदन में थोड़ी देर पहले किसी माननीय सदस्य ने आर. एस. एस. और जनसंघ का जिक्र कर दिया था। मुझे, अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. और जनसंघ से कभी किसी प्रकार एलर्जी नहीं रही। मैं तो बल्कि इस बात की आर. एस. एस. और जनसंघ की तारीफ करूंगा कि अगर आर. एस. एस. और जनसंघ नहीं होता तो इतनी सीटें जनता पार्टी की नहीं आतीं। आज आर. एस. एस. और जनसंघ ही ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने सारे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि यह स्थिति पैदा हो गयी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी प्रकार जयपुर में आर. एस. एस. और जनसंघ के लोगों ने एक बात उड़ा दी कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं स्कूलों में बच्चों के जिससे कि बच्चों में पुंसत्व ही समाप्त हो जायेगा। इसका इतना प्रभाव हुआ कि हमारे यहां के कई अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी तक अपनी गाड़ियां लेकर अपने बच्चों को स्कूलों से लेने चले गये। इसका बहुत भारी प्रचार हुआ। हमारी भी थोड़ी कमजोरी रही, अध्यक्ष महोदय, उस समय कि हमने इस प्रकार के गलत प्रचार का विरोध नहीं किया। बहुत ही बुरा प्रोपेगन्डा इंजेक्शन का उदयपुर में भी हुआ था और भी कई जगह हुआ। लेकिन मैं यहां पर इतना स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रचार और प्रोपेगन्डा वहीं हुए जहां पर आर. एस. एस. की पोकेट्स थीं जैसे जयपुर, उदयपुर वगैरह। आर. एस. एस. और जनसंघ वाले लोगों के ऊपर आपके

(श्री रामनारायण चौधरी)
माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, चार्ज लगाता हूं कि जो टीचर्स आर. एस. एस. के थे उन्होंने इसमें बहुत भारी पार्ट प्ले किया। अभी जब टीचर्स के ट्रान्सफर्स हुए तब हाई स्कूल्स के हैड मास्टर, और मिडिल स्कूल्स के उन हैड मास्टर्स के हुए हैं जो कि अपने स्कूलों में आर. एस. एस. की शाखा लगावेंगे। लोगों के दिमागों को विषाक्त किया जाय इसलिए एक कैडर बनाया गया। उनको छांट छांट कर ऐसी जगहों पर लगा रहे हैं, जिससे राजधानी में बैठे सुपरविजन हो सके। राजस्थान के इस हिस्से से लेकर उस हिस्से तक उनको पहुंचाया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को विषाक्त किया जा रहा है। देश के वातावरण को विषाक्त किया जा रहा है। उनके जीवन ....

(व्यवधान)

के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** ; वाह, वाह ! वल्लाह !

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, यदि पिछले काल में, जमाने में कोई भी अच्छा काम हुआ है तो उस काम को एप्रिशियेट करना चाहिए। ऐसी गलत परिपाटी मत डालिये, मान्यवर, कि आगे आने वाले लोग हमारी तरफ इशारा करें। यदि परसरामजी के मंत्रित्वकाल में अथवा हरिदेवजी जोशी के मुख्य मंत्रित्व में कोई अच्छा कार्य हुआ है, देश के उप राष्ट्रपति ने यदि उद्घाटन किया है और किसी के नाम पर कोई चीज है तो उसके लिए कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आज भी इस प्रदेश में सामन्तों के नाम से स्कूल चलते हैं जिन्होंने देश के साथ विद्रोह किया था, दगा की थी आज भी उनके नाम से इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं। इसलिए अच्छे कामों का जो रिकार्ड कायम हुआ था, यदि आपकी रुचि नहीं है तो कम से कम उनके नामों को हटाइये तो नहीं। यदि आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है तो रहने दीजिए। कल आने वाले लोगों को यदि जयपुर का नाम अच्छा नहीं लगेगा तो क्या बदल देंगे ? ऐसी परम्परा मत डालिए। आज भी दीन दयालजी उपाध्याय की स्टेच्यू वहीं की वहीं है और किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता ने उनकी खिलाफत नहीं की। आज यदि इन्दिरा गांधी के नाम पर कहीं कोई चीज है, कोई मार्केट है उनके नाम से...

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : बिल्कुल विरोधाभास की बात कह रहे हैं। कहां आ गया नाम ?

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : इन्दिरा मार्केट नाम रखा है तो वही रखने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सरकार का वर्किंग सरकार के तरीके से होना चाहिए।

**श्री नाथूराम (बागीदोरा)** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हम भी बोलना चाहते हैं। हाउस में व्यवस्था हो रही है। जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने देना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह मेरा समय ले रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं तो आपके हक की ही बात कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों से निवेदन करूंगा कि कैसी भी बात हो उसको सुनिये। इतनी हममें सहिष्णुता होनी चाहिए । राम-नारायणजी के स्वभाव की बात कही है। उन्हें कोई डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा। इनको आप शान्ति से सुनिये । हरएक को मौका मिलता है बोलने का ।

एक माननीय सदस्य : ये खुद भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह ठीक कह रहे हैं । मेरा पहला मौका है। विरोधी पक्ष में बैठा हूं और पहली बार एक विपक्ष के सदस्य के नाते बात कह रहा हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं इधर से बोलने का मेरा पहला ही मौका है इसलिए मेरी भावनाओं को माननीय सभासद सुनेंगे और कोई ऐसी बात कहेंगे तो जवाब देने में कोई हुज्जत नहीं होगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो काम हुए हैं उनसे देश का स्वाभिमान बढ़ा, देश का गौरव बढ़ा, देश उठा और देश ने तरक्की की । मैं कहना नहीं चाहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री के निमन्त्रण पर इंग्लैंड के प्रधान मंत्री यहां आये । यहां आते ही, भारत भूमि और दिल्ली में पैर रखते ही उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि आज भारत वो भारत नहीं है जो 30 साल पहले था। आज भारत वह भारत है जिसकी गिनती पांच छः देशों के अन्दर है। ब्रिटेन और भारत यदि मिलकर आज काम करें तो एक औद्योगिक शक्ति बन सकते हैं और इन्टर नेशनल मार्केट में छा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने काम नहीं किया ? यदि यह कहा जाय कि उन्होंने काम नहीं किया तो यह हल्की बात होगी। वे पोलिटिशियन्स थे, स्टेट्समैन थे। दुनिया देखती है उन कामों को । मान्यवर, गौर फर्माइये । उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, उन्होंने एक बात और कही कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ठीक समय पर चुनाव करवा कर लोकतन्त्र के लिये अद्भुत उदाहरण पेश किया है । मैं तो वह ही कह रहा हूं जो उन्होंने······

(व्यवधान)

कोट किया है । इसकी व्याख्या कुछ भी कीजिए । मैं तो वह ही कोट कर रहा हूं । सबसे पहले बाहर के लोगों ने तारीफ की । लेकिन भारत की सरकार ने वह वाक्य ही नहीं आने दिया प्रेस में। जो देश में और प्रदेश में रुतबा है उसको भुलाइये नहीं । आज मुख्य मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। भारत में यह पहली ही मिसाल है यहां के मुख्य मंत्री दिल्ली बम्बई जायं और राजस्थान के 700 गांवों को गोद दे आयें। आपको कोई हक नहीं है कि राजस्थान के 700 गांवों को गोद दें। हमने आपको राजस्थान के गांव सौंपे हैं। आप अपनी काबलियत, बेस्ट आफ केपेबिलिटी से उनको खुशहाल बनाइये। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिये। किन को गोद दे आये। मुझे अफसोस है, चौधरी साहब की ओर देख कर तकलीफ होती है, केदारजी की तरफ

# Page No 52

52



(श्री रामनारायण चौधरी)

देख कर तकलीफ होती है, पुरुषोत्तम जी को ओर देखकर तकलीफ होती है। ये समाजवादी होकर भी चुप हैं। ग्राज राममनोहर लोहिया होते तो हरगिज यह नहीं होता। वे चले गये और ग्राज उनके चले जाने के बाद यह स्थिति हुई है। यदि वे होते तो ग्राप कहते कि मुख्य मंत्रीजी ने यह क्या किया।

एक माननीय सदस्य: किनको गोद दिये ?

श्री रामनारायण चौधरी: किन को दिये ? गरीब ग्रादमी गोद नहीं ले सकता है पिछले 25 सालों में देश की इकोनोमी दृढ़ हुई है। ग्राज ग्रनाज बाहर भेजने की स्थिति में है ग्रौर बाहर भेज सकते हैं। इस देश का स्वाभिमान गिर गया....

श्री दाऊ दयाल जोशी: उसके जिम्मेदार ग्राप हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: यह पहला मौका है कि भारत की ग्रोर से 30 लाख टन ग्रनाज वियतनाम के लिये बाहर जा रहा है। क्या ग्राप यह सोचते हैं कि पिछले दस महीनों में सरकार ने कोई काम कर लिया ? ग्राज भी ग्रनाज गोदामों में सड़ रहा है। लेकिन ग्रापके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। मान्यवर, सभासदों से गौर करने के लिये निवेदन करूंगा कि रिजर्व बैंक में सोने की डिपोजिट है। ग्राज संसार में कोई भी देश ग्रपने डिपोजिट से सोना बेचने की बात नहीं कह सकता है। ग्रमेरिका के डालर की यह स्थिति होते हुए भी वह सोना बेचने की बात नहीं कह सकता। ब्रिटेन नहीं कहता सोना बेचने की बात। उस स्थिति में खास तौर से रिजर्व बैंक डिपोजिट से सोना बेचने के लिये निकालेगा। क्या यह इस देश की इकोनामी की तरफ इंगित नहीं करता? भारत सोना बेच रहा है, ग्रोपन मार्केट में बेचेगा, ग्राभूषणों को एक्सपोर्ट करेगा। ग्राखिर यह क्यों करना पड़ा ? मान्यवर, ग्रार्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

मैं व्यक्ति ग्रौर कांग्रेसमैन की हैसियत से यहां बैठा हूं। पहले जब मैं उधर था तो ग्रापके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। ग्रापने कभी हल्की बात नहीं कही। ग्राप हमारी बातों को स्वीकार करते थे। ग्राज उधर बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनको हम कोई बात कहना चाहें तो वह सुनना नहीं चाहते। यह हमारे ग्रधिकारों पर कुठाराघात होगा।

मान्यवर, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं व्यक्तिशः मेरे कहने का तात्पर्य व्यक्तिगत नहीं है। मैं व्यवस्था के ऊपर प्रहार करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद थी कि कल इस पर कुछ बोला जाता। हमारे यहां पर ग्रापके कार्यकाल में दो उप चुनाव हुए, एक तो फलोदी का ग्रौर दूसरा छबड़ा का।

मान्यवर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जिस कदर इन उप चुनावों में हुआ उतना कभी नहीं हुग्रा। मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि मुझे भरोसा था....

श्री रतनलाल वर्मा: ग्रापने क्या देखा ?

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय विरोधी दल के नेता उन उप-चुनाग्रों का जिक्र करते हैं। ग्रफीम के पट्टे बांट कर

(श्री रामनारायण चौधरी)
छबड़ा का उप-चुनाव जीता गया। यदि यह नहीं बांटे गये हों तो मेरा अभी श्री मदन सिंहजी से कोई मेल नहीं हुआ श्री मदनसिंह जी वहां जायें और कह दें कि वहां नहीं बाटे गये ...

श्री मदनसिंह दांता : इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और जो बात होगी वही कहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जो एस. पी. और डी. एस. पी. वहां रहे थे, सबको वहां भेजा गया। ड्यूटी लग रही है झुन्झुनू में हाजरी झुन्झुनू में और चुनाव में बैठे हैं छबड़ा में। चुनाव नहीं था, मान्यवर, वह सत्ता का दुरुपयोग था, सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा थी ..

श्री दाऊ दयाल जोशी : झूठ है, मिथ्या है। आप गये थे क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह दावा करें और लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले माननीय सदस्य अपने दिलों पर हाथ रख कर कहें.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी: मान्यवर, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, क्वेश्चन आवर में मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सके और नहीं बता सके कि जनता पार्टी के शासन में आने के बाद कितना पूंजी का विनियोजन हुआ है, कितने इन्डस्ट्रीज के लाइसेंस जारी हुए, कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेन्ट किया गया। मैं कहता हूं, मान्यवर, चेलेन्ज करता हूं और चार्ज लगाता हूं कि इन्वेस्टमेन्ट नहीं हुआ। फैक्ट्रीज आपरेशन में नहीं हैं, प्रोडक्शन गिर रहा है और असन्तोष तीनों पक्ष में बढ़ रहा है। विद्यार्थियों में, मजदूरों में और किसानों में असन्तोष बढ़ रहा है। किसानों की वकालत करने वाली सरकार के नुमाइन्दों ने क्या किया किसानों के लिए ...

श्री रतनलाल वर्मा : 30 साल में आपने क्या किया ?

श्री रामनारायण चौधरी : सबसे पहले ट्राली का टैक्स किसानों के ऊपर आपने लगाया ...

एक माननीय सदस्य : वह भी आपने ही लगाया था।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने माफ किया था और आपकी सरकार ने लगाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामों की तरफ उन्मुख होने वाली सरकार से मुझे भय है कि यह गांवों को कहीं निगल न जाये। इसलिए मैं कहूंगा कि आपकी दृष्टि जहां है उसे वहीं रोकिए ...

श्री दाऊदयाल जोशी : सारा सत्यानाश तो आपने कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहते हैं कि हमारा प्रोगाम है, हमारी दिशा है। आपकी कोई दिशा नहीं है, आप दिशाहीन हैं। आपकी कोई नीति नहीं है, आप नीति-

(श्री रामनारायण चौधरी)

हीन हैं। यदि आपके पास पंचायती राज का प्रोग्राम होता तो आप एलान करते कि आगे की बॉडी के चुनाव होगा। लेकिन आपने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराकर आगे के चुनाव बन्द कर दिये। केवल आपने चुनाव करा दिये। मैं दावा करता हूँ कि आप कल ही चुनाव करा दें जनता पार्टी हारेगी। आप कहते हैं कि पंचायत को हमने प्रति व्यक्ति ढाई रुपया दे दिया। सरकार के नुमाइन्दे म्युनिसिपल लिमिट में 5 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं और कहते हैं कि हम भेदभाव को मिटायेंगे। भेदभाव बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोथे नारों से काम नहीं चलेगा। गोद लेने से गावों का विकास नहीं होगा। ईरान के शाह के साथ राजस्थान कैनाल के ऊपर उड़ान करने से राजस्थान की बेहबूदी नहीं होगी। यह इन्टरनेशनल कान्सप्रेसी है और इससे हम आपको आगाह करते हैं। आप उन व्यक्तियों को, जो साम्राज्यवाद के एजेन्ट हैं, अपने देश में लाकर और देश के ऊपर उड़ान करा कर क्या दिखाना चाहते हैं? आप यह दिखाना चाहते हैं कि ईरान के शाह आपके साथ हैं। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश का आपको प्रश्रय है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। हमने संघर्ष किया है और 1971 में बंगला देश के युद्ध के समय भारत की जनता इस बात से आश्वस्त हुई थी कि हम हमारे अन्तर्राष्ट्रीय मित्रों के समान न केवल सक्षम हैं बल्कि जब कभी देश के ऊपर प्रहार होगा तो हम शत्रु को दांतों तले उंगली दबा देंगे और उनके इरादों को नेस्तनाबूद कर देंगे।

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं आपका, मैं सदन का बहुत आभारी हूं और सभासदों का भी आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मेरे विचारों को सभासदों ने गौरपूर्वक सुना और मुझे बीच-बीच में आगाह किया। उस आगाह से मुझे प्रेरणा मिली। मैं आपके माध्यम से सबसे अनुग्रहित होते हुए अपने भाषण को इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि भारत एक देश है और हमारी एक नेता हैं इन्दिरा गांधी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना 'हमारी एक नेता है इन्दिरा गांधी' बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अपनी भावना व्यक्त की उन भावनाओं को आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाये कि देश की एकमात्र नेता अगर कोई है तो इन्दिरा गांधी है। देश के एकमात्र नेता यदि हैं तो जयप्रकाश नारायण। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य के शब्दों को आज की कार्यवाही से निकालकर मेरी भावना को उसमें रखा जाये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : इन्दिरा गांधी इस देश के लिए कलंक है।

श्री रतनलाल वर्मा : इन्दिरा गांधी माननीय सदस्य की नेता हैं न कि देश की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री श्योपत सिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार के दस महीने के शासन के बाद अगर मैं किसी परिणाम पर पहुंचा हूं तो यह है कि जनता सरकार अपना नाम बदल कर तबादला सरकार रख ले तो क्या हर्ज है। मैं बहुत ही दुःख के साथ कह रहा हूं, यह कोई खुशी की बात नहीं है कि किस तरह से तबादले हुए, किस तरह से तबादले किये जा रहे हैं। एक ट्रेडीशन रहा है अब तक कि शिक्षा सत्र के अन्दर तबादले न किये जायें, कम से कम किये जायें, किसी शिकायत पर किये जायें, मगर राजस्थान की सरकार ने शिक्षा सत्र के बीच में और उसके बीच में ही नहीं, जब कि परीक्षाओं के 15–20 दिन रह गये हैं, तबादले लगातार किये हैं। यह किस दृष्टिकोण से किये जा रहे हैं ? इसके पीछे क्या फिलासफी है ? क्या यह वे लोग हैं जिन्होंने इमर्जेन्सी के दौरान ज्यादतियां की थीं ? उनके तबादले हो रहे हैं ? उनके नहीं हो रहे हैं, वे विराजमान हैं। बल्कि उन लोगों को तरक्की पर भेजा गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने आर. एस. एस. का नाम लिया तो बहुत से लोगों की मूंछें फड़कने लगीं। क्यों घबरा रहे हैं ? आपका क्या लेना देना है आर. एस. एस. से ? आप तो जनता पार्टी के सदस्य हैं। आर. एस. एस. और जनसंघ के बीच क्या संबंध है ? मुझे अफसोस है इस बात का कि जनसंघिस्ट और आर. एस. एस. के विशेष संगठन के इशारे पर तबादले हो रहे हैं। मेरे यहां पर एक अध्यापिका है। हनुमानगढ़ के हायर सैकण्डरी स्कूल की एक अध्यापिका का तबादला हुआ, क्यों हुआ····

एक माननीय सदस्य : सी. पी. एम. की थी क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सी. पी. एम की नहीं है मैं बता दूं। होतीं तो मैं यह बात नहीं कहता। हम आपकी मेहरबानियों पर निर्भर नहीं हैं। आप थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखें। वह अध्यापिका थीं, मेरी बेटी की तरह थीं। जनसंघ के शिक्षक संघ के लीडर ने, जो आर. एस. एस. के मेम्बर हैं, अब भी हैं, के कहने से उनका तबादला किया गया। मेरे पास एक प्रतिनिधि होने के नाते शिकायत आई। मैंने कोशिश की। मेहता साहब के पास गया। मेरी किसी ने नहीं सुनी। आपके चौधरी हरिराम जी गये, कोई असर नहीं हुआ। वे मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : कितने साल से वह वहां थीं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस अध्यापिका के तबादले के लिये आपके लीडर के पास, आर. एस. एस. के लीडर के पास जाना पड़ा। मां बेटी दोनों आईं। यहां जयपुर आईं, बीकानेर गईं और तब तबादला कैन्सिल हुआ।

एक माननीय सदस्य : कितने साल से थीं ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : बैठ जाओ, अगर यह हरकत हुई तो किसी को बोलने नहीं दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्यापाठक** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, इंट्रप्शन के लिये क्षमा चाहूंगी । इमर्जेन्सी के दौरान जो एट्रोसिटीज हुईं, जो वैनजीयैन्स हुईं वे आर. एस. एस. के साथ ही की गई थीं ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आर. एस. एस. के और जनसंघ के लोग ही माफी मांग कर आये । हमें मत मजबूर करिये यह बात कहने के लिये । आर. एस. एस. और जनसंघ के लोगों ने माफी मांगी है····

(व्यवधान)

मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, आपका तजुर्बा डेढ़ साल का है, हमारा तो छः साल का तजुर्बा है । बड़े दयालू रहे हैं। यह बहुत बड़ा तीर नहीं मारा । मां बहिन को परेशान करें ।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : आपका अपना स्टेटमेंट है, इस बात के लिये कहा है ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : एट्रोसिटीज के नाम पर यह बात करने की आपको इजाजत नहीं दी जायेगी । आपको जुल्म करने की इजाजत नहीं दी जायेगी । बात यहां बन्द नहीं हुई । आप अपनी काबलियत से नहीं आयी हैं, कांग्रेस के··

**एक माननीय सदस्य** : कुर्बानियों से आये हैं ।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मुझे इस बात का ध्यान है । आंध्र में बाढ़ में भैंसें चढ़ गई पेड़ों पर, इसी तरह से आप लोग भी पहुंच गये सदन में ।

**श्री उगमराज मेहता** : आप भी हरिराम के पीछे आये हैं ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात यहीं तक नहीं है । सूरतगढ़ के मास्टरों के तबादले जैसलमेर और बाड़मेर किये गये हैं । जब हम ने कहा तो वापस किये गये । क्या थर्मामीटर था ? जनता पार्टी के लोग हों, तुम्हारा क्या लेना देना आर. एस. एस. से ? आर. एस. एस. का कोई लेना-देना नहीं है जनता पार्टी से । जनता पार्टी आखिरकार है क्या ? आपने लोगों के सामने वायदा किया है, जनता पार्टी एक है, एक जैसा व्यवहार किया जायेगा । एक मेरी पार्टी है, जन संगठन है । कांग्रेस का भी जन संगठन है । लेकिन आपका जन संगठन कौन सा है ? एक युवा जनता मोर्चा और एक जनता युवा मोर्चा । दोनों के साथ जन मोर्चा। हिन्द मजदूर संघ और बी. एम. एस. यह किधर जा रहे हैं ? किधर ले जा रहे हैं ?

आपको अब शायद महसूस न हो कि यह पागलपन है । आपके दिमाग पर पागलपन सवार है ताकत की वजह से, हुकूमत की वजह से इसलिए आपको मालूम नहीं होता है । इनको भी नहीं दिखाई देता था । राम नारायण जी जो आज बात कह रहे थे यह पहले इनको मालूम नहीं थी ? तो आपको भी बाद में मालूम होगा । जनता पार्टी के

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

साथ मेरी पार्टी का दोस्ताना है। इसलिए मैं भ्रूणहत्या नहीं देखना चाहता। आपकी भ्रूणहत्या न हो, आपकी उम्र पांच साल पूरी हो, यह मैं चाहता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में क्या कहा जाय। जिस समय आप विरोधी पक्ष में थे तब तो ठीक थे ही, लेकिन जब से राजस्थान के मुख्य मंत्री बने हैं तो सिवाय झांसापट्टी के और कोई काम नहीं। झांसा ही झांसा दे रहे हैं। पिछली विधान सभा में कहा कि जितने भी 1962 से लेकर आज तक के मामले हैं उनके लिए कमेटियां बनाई जायेंगी। क्या हुआ कमेटियों का? कोई एक्जिस्टेन्स में हैं क्या? क्या कीमत है आपकी घोषणा की? आपने कहा था कि यह पहली किश्त है 26 अधिकारियों की जिन्होंने अकाल में भ्रष्टाचार किया है। दूसरी किश्त कब आयेगी, जरा बता दें? माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन 26 अधिकारियों का क्या किया?

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उन 26 अधिकारियों का आपने क्या किया अब तक, यह बता दें? पहली के बाद दूसरी और तीसरी और चौथी किश्त कहां है? वह धमाका कहां गया? धमाका आपका हो गया। धमाका हो गया दक्षिण में...

एक माननीय सदस्य: आन्ध्र में हो गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर: आन्ध्र में हो गया, सब जगह हो गया। आप महसूस नहीं करते हो तो न करें, बहुत अच्छी बात है। खैर, आयोग बिठाइये। कानसिंह आयोग का क्या नतीजा निकला? 8 महीने तो हो गये फिर कब निकलेगा? आपके होते होते निकलेगा या आपके बाद में निकलेगा?

एक माननीय सदस्य: बाद में।

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह क्या हो रहा है? यह होगा, वह होगा लेकिन सारी घोषणाओं का नतीजा नहीं निकलता है। कोई देखने वाला नहीं है। राजस्थान के अन्दर सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे महकमे सोये हुए पड़े हैं। चद्दर से मुंह ढांक कर सोये हुए हैं। न सेक्रेटरी को यह पता कि मेरा मिनिस्टर यह रहेगा या नहीं, न मिनिस्टर को यह पता कि मेरे पास यह महकमा रहेगा या नहीं...

एक माननीय सदस्य: और मैं कब तक रहूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर: दूसरा, किस तरह महकमे बांटे गये हैं? आज एक मिनिस्टर से नाराज हो महकमे दूसरे को दे दिये गये हैं। वह किस आधार पर दिये गये? असल बात यह है, मित्रो, माननीय सदस्य एक बात नोट कर लें कि हमारे यहां पर जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वास्तव में तो यह जनसंघ की सरकार है। आपको यह ईमानदारी से कबूल करना चाहिये। आप कबूल क्यों नहीं करते? दिक्कत क्या आ रही है? यह अकेले जनसंघ की सरकार है। मैं बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं? कितने मन्त्री ऐसे हैं जिन्हें रुपये खर्चने का अधिकार है? हमारे बजट में जो 225 करोड़ का प्रोविजन है वह किसके पास है? उनको खर्च करने का अधिकार किसके पास है?

श्री मदनसिंह दांता : ओल्ड कांग्रेस के पास।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारे केदार जी सोशलिस्ट हैं, इनको यह मार्क्सिस्ट्स का दोस्त मानते हैं। इनके पास परिवहन रखा है बाकी राजस्थान का सारा बजट जनसंघ के मंत्री ही खर्च कर सकते हैं। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि यह क्या बात है ? रेवेन्यू वाले को गालियां मिलेंगी, परिवहन वाले को गालियां मिलेंगी।

एक और बात है। पिछले 8 महीनों के अन्दर जितने निगम आपने बनाये हैं और जितने निगम आप बनाने जा रहे हैं उन निगमों की क्या हालत है ? आपने पंचायतों के चुनाव कराये हैं, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन किस आधार पर आपने यह चुनाव कराये ? क्या दिक्कत थी आपको ? क्या आपको इससे पहले उसके कानून में तरमीम करनी चाहिए थी या नहीं ? गांवों में आप पंचायती राज चलाने जा रहे हैं, आपने 10 हजार रुपये तो दिये लेकिन सरपंचों को कोई अधिकार नहीं दिया। सिर्फ पैसे से ही काम नहीं चलेगा। उनको अधिकार चाहिए। अधिकार पंचायतों को कुछ नहीं रह गये हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो सारी की सारी पंचायतें नपुंसक रहेंगी। आपको अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। पंचायतों के बाद प्रधानों के चुनाव कब होंगे ? गांवों में लोग पूछते हैं, क्यों, साहब क्या करें ? सरपंच पूछते हैं कि प्रधान कौन बनेगा ? अब उनको क्या जवाब दें ? मैं आप से राय लेकर जाऊंगा अपने क्षेत्र में। अशोक मेहता कमेटी बनाई है। वह जब रिपोर्ट देगी उसके एक साल बाद में चुनाव का विचार किया जायेगा। फिर निर्माण की बात करेंगे। आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपको भरोसा नहीं है अपने दिमाग पर। आपकी लायकी पर कोई शक नहीं है। अगर आपने चुनाव कराये तो उनके साथ छोटी-छोटी पंचायतों, गांव को एक यूनिट मानते हैं, उनमें कौन जायेगा ? खैर, मुझे भरोसा है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको बहुत जल्दी फैसला करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके साथ साथ मैं राजस्थान नहर के बारे में कहना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर कैनाल हैड वर्क्स के सवाल को लेकर एक तूफान आ गया। हरिकापतन, रोपड़ और एक और है–इन हैड वर्क्स का इन्चार्ज कौन रहेगा ? पंजाब की हुकूमत, पंजाब के मिनिस्टर और पंजाब के लोग। पंजाब हो या भाखरा बोर्ड हो, हैड वर्क्स का इन्चार्ज कौन हो–इस सवाल को लेकर वहां पर तूफान आ गया। मगर हमारे यहां पर क्या हो रहा है ? कांग्रेस ने तो गलतियां की हीं, लेकिन आपकी खूबी क्या देखी ? आपने क्या किया ? आपने हमारा 18 हजार क्यूसेक्स पानी यूटीलाइज नहीं किया। 8 हजार क्यूसेक्स पानी तो हम यूटीलाइज कर रहे हैं उससे ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारा पानी हमारी नहर में आना चाहिए। जब तक राजस्थान कैनाल पूरी न हो जाय तब तक हमारा 18 हजार क्यूसेक्स पानी हम अपने इलाके में लाकर उससे सिंचाई करें, राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ायें और राजस्थान के किसानों को खुशहा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

करें, इसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं है, इसका कोई नतीजा नहीं। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और जनता पार्टी की सरकार हमारे यहां है लेकिन हमारा पानी पंजाब यूटीलाइज कर रहा है। हमारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है। हम लाखों एकड़ जमीन में पानी लगा सकते हैं, अगर वह पानी हमको मिल जाता है तो। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप तनाजों में ही उलझे हुए हैं। अब यह महकमा भी आपने तवादसिंह को दे दिया। उनको यह भी मालूम नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट्रीज क्या होती हैं, लिफ्ट इरिगेशन क्या है? ऐसे मंत्री महोदय को यह दिया गया है। मुझे एतराज नहीं। आप दीजिए, मगर आपका प्रोग्राम क्या है? आपका इरादा है क्या कुछ करने का? खैर, आप शहीद बन जायेंगे। कांग्रेस की तरह आप सोच रहे हैं। आप शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप शहीद बन जायेंगे। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है। हमारा पानी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को जाय। एक बात सुना दूं। अगर जनता पार्टी की सरकार ने इसका फैसला बहुत जल्दी नहीं किया तो इस अधिवेशन के बाद ही वहां की जनता अपनी जान लड़ा देगी। यह भूल जाइये कि आप अपने बूते पर यहां आये हैं। यह वही जनता है जिसने आपको यहां पर बैठाया है। आप उसी की देन हैं। वह अपनी जान लड़ा देगी। हम जायेंगे। वह जगह दूर नहीं है जहां कि पानी है। हम उसको जानते हैं। हमारी नजर गई है। आपको 8 महीने हो गये लेकिन आपकी नजर नहीं गई है, यह सुन लें आप। यह मेरी ही आवाज नहीं है, यह गंगानगर जिले के उन बहादुर किसानों की आवाज है जिन्होंने उस वक्त की सरकार के घुटने टिका दिये थे। आपका हाल भी वही होगा।

1970 के अन्दर सुखाड़िया साहब नहीं मिले थे। मेरे परिवार के लोग जेल गये। आप तो नारे लगा रहे थे। आपको बता देंगे। केदार जी हैं वे आपको बता देंगे...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रेडियो बोला था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान कैनाल के सवाल को जल्दी से जल्दी हल किया जाय। हम तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा टाइम है, मेरा टाइम सारा गड़-बड़ कर दिया।

तो इंद वर्क्स का काम किसके पास रहे और किसके पास नहीं रहे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा पानी पंजाब यूटीलाइज नहीं करे, हमारा किसान उस पानी को यूटिलाइज करे।

दूसरा पीने के पानी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। पीने के पानी की हालत क्या है? बहुत बड़ा नारा दिया था। मुख्य मंत्री जी का पहला भाषण था, उसमें कहा था, पानी की समस्या को मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर दूंगा, और मीठा पानी सब जगह पहुंचा दूंगा। आज हालत क्या है, राजस्थान में

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जितने गांव हैं, उनमें से 7199 गांव हैं जिनमें खारा पानी है जिसको पीने से पशु और आदमी दोनों मर जाते हैं–अधिक पीने से, थोड़ा पीने से नहीं मरेंगे। 5991 गांव ऐसे हैं जिसमें फ्लोराइड युक्त पानी है और 3888 गांव हैं जिनमें ऐसा गन्दा पानी पीते हैं जिससे नारू रोग हो जाता है। यह है राजस्थान की तस्वीर। आप क्या कर सकेंगे? आप निगम बनाने की सोच रहे हैं। कब तक बनायेंगे? आपको जनता ने पांच साल के लिये भेजा है, यह मानकर चलिये। इससे ज्यादा समय के लिये नहीं भेजा है। पांच साल में आप कितना करेंगे? उसके बाद आपको नहीं छोड़ेंगे···

व्यवधान

हम तो करेंगे या नहीं करेंगे पर अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकते है।

खैर, पीने के पानी की समस्या को मास्टर प्लान बनाकर जल्दी से जल्दी हल करें। राजस्थान के बीकानेर जिले में तीन माइल पर पानी चल रहा है। आपके हजारों की तादाद में पाइप टीलों में बरबाद हो रहे हैं। पानी मौजूद है, पाइप मौजूद हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमको अभी गांवों का ही पता नहीं है। ठीक है, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिये। सब जगह पानी पहुंचना चाहिये। जहां कहीं भी मीठा पानी अवेलेबल है तो मीठा पानी कुए से दीजिये, मीठा पानी अवेलेबल है तो नहरों से दीजिये। अब गर्मी आ रही है, सर्दी का मौसम चला गया है·····

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

भैरोंसिंह जी का भाषण पढ़ा तो सोचा चलो पानी तो आ जायगा लेकिन आप बहुत बड़ा दगा कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ अन्त्योदय योजना के बारे में निवेदन है, अन्त भी यहीं और उदय भी यहीं–दोनों साथ ही हो गया। इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम में क्या फर्क है, Let me know, उसमें कहा था कि हम सागड़ी प्रथा खतम कर देंगे। तब हमने कहा था, इन्दिरा ने नारे बहुत लगाये लेकिन लागू नहीं किये, लागू करती तो यह हालत नहीं होती। नाम गरीबों का लिया और मुनाफा दिया टाटा और बिड़ला को। इमर्जेन्सी में जितना उन्होंने कमाया, किसी ने नहीं कमाया। आप भी आज उसी रास्ते पर जा रहे हो। अन्त्योदय योजना में आपने अन्धे लोगों को राहत दी। ठीक है पांच आदमी एक गांव में से छांटना चाहते हैं। लेकिन आपकी योजना बड़ी अजीब है, कुछ समझ में ही नहीं आती है। हमने एक सवाल पूछा था–पांच आदमी एक गांव में छांटेंगे तो एक गांव है पांच घरों का और एक गांव है 60 घरों का, उसमें आपकी नीति क्या है? आपने पांच लोगों को कैसे छांटा है? राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है, दो एकड़ जमीन लोगों को दी आपने। मैं हनुमानगढ़ के क्षेत्र में गया था उस समय बहुत से लोग आये इस अन्त्योदय योजना को सुनकर। सारा गांव इकट्ठा होता था, मगर सुबह इकट्ठा होता था और शाम को वापस यों ही लौट जाता था। पूछते थे, जमीन है आपके पास? जमीन तो नहीं है। बैंक कर्जा दे रहा है? नहीं दे रहा है।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
तो फिर लाखों रुपये क्यों लगाये हैं इस योजना पर ? रेवेन्यू स्टाफ जीपों में घूमता फिरता था। कितना मंहगा है पैट्रोल लेकिन आपको इसकी चिन्ता नहीं है। आपने जितना रुपया बांटा है उससे ज्यादा आपने जीपों पर खर्च किया है। बंगाल में जाकर देखें आप उनकी योजनाओं को, खेत उसका जो बोयेगा, जमीन उसकी जो काश्त करता है। 40 लाख लोग बन गये जमीनों के मालिक। इससे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहली योजना में लोगों को कब्जा नहीं मिला, पहली योजना में जमीन नहीं मिली। गांवों में क्या, बेचारे दस साल तक इन्तजार करेंगे ? आज जिसके पास रोटी नहीं है, वह क्या 10 साल तक इन्तजार करेगा ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय हो गया, आप खतम करें।

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : पांच मिनट में खतम करता हूं। बस, फाइनल शेप दे रहा हूं।

जनता पार्टी के सुब्रह्मन्यम स्वामी आये। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जब उनसे पूछा, What about your Antyodaya yojna ? What is that bloody yojna उनको पता ही नहीं है कि आपकी क्या योजना है ? यह कैसा भाषण था सुब्रह्मन्यम स्वामी का ? उनकी नीतियों का पता नहीं। एक तो सुब्रह्मन्यम स्वामी को सुन लें। उनके सारे भाषणों में आर. एस. एस. नजर आयेगा, जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो छोड़ो इनको और एक पार्टी रखो देश में।

अब भूमिहीन किसानों के बारे में आपकी नीति क्या है ? भूमिहीन किसानों के बारे में आपने क्या किया ? खेत मजदूरों के बारे में आपने क्या किया ? भूमिहीन किसानों को 8 महीने में एक भी बीघा जमीन अलाट नहीं की गई है। मैं कह सकता हूं किसी भी खेत मजदूर की मिनिमम वेज तय नहीं की है। आपने पांच रुपये किये, ये पांच रुपये थोड़े हैं, 10 रुपये होने चाहिये। बंगाल की सरकार ने किया है, 10 रुपये से कम कोई दे नहीं सकता और 10 रु. से कम देगा तो उसको जेल में पहुंचाया जायगा। यहां 70 प्रतिशत भूखे हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है कि 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन उनके लिये आपने कोई गारन्टी नहीं दी। राजस्थान कैनाल कब पूरी होगी ? बहुत बड़ी योजना है। एक तरफ हम ईरान के शाह के स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हैं और कारों के काफिले का इन्तजाम करते हैं और दूसरी तरफ कितनी पिटाई हो रही है हमारे छात्रों की। दिल्ली और जयपुर के छात्रों ने कुछ बात कह दी, क्या बात कह दी ? वहां पर 50 हजार लोग जेलों में हैं। जब हम जेलों में थे तब हमारे देश के नौजवान और विदेशों के नौजवान इन्दिरा के खिलाफ जुलूस निकालते थे तो हम खुश होते थे जेलों की तनहाइयों में। अब हमारे प्रधान मंत्री मोरार जी भाई को भी बहुत बुरा लगा और कहा वापस चले जाओ। उनका सिर फाड़ा गया तथा उनको जेलों में भेजा गया। ईरान के शाह तानाशाह हैं, यह बात कही थी।

(६२)



(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपकी पुलिस ने लाठियां दीं। मुबारकबाद देना चाहिए आपको। आप उस दिन को याद करो जब आपके लिये इसी तरह की आवाज उठाई गई थी इंग्लैंड और अमेरिका में। मगर भूल गए उस बात को। सत्ता के नशे ने आपको अन्धा कर दिया।

इसके साथ-साथ सीलिंग कानून को लो। शहरी सीलिंग कानून कहां गया? सीलिंग कानून की क्या बात आई इसमें? शहरी सीलिंग होने वाली नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी वालों को कहां बसाओगे? आप नहीं बसाओगे, यह मालूम है हमको। राजाओं की खाली जमीन क्यों छोड़ रखी है? शहर के बीच में महलों के पास पड़ी हुई जमीन को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। आप इनको नहीं लोगे लेकिन जनता खुद कब्जा करेगी। आपका इन्तजार नहीं करेगी। 22 जून का इन्तजार नहीं करके लोग खुद कब्जा करेंगे। शहर के बीच में सैकड़ों जमीन खाली पड़ी है। लेकिन आप गरीबों को दस दस मील दूर बसाना चाहते हो। शहर के बीच में राजाओं की जो जमीन खाली पड़ी है उसको छीनने की आप में हिम्मत नहीं है। आप बातें करते हो गरीबों की लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। यह सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है। मैं यह आपको दोस्त के नाते कह रहा हूं कि आज हिन्दुस्तान में गरीबों के साथ क्या हो रहा है? मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपकी पार्टी के साथ हूं और एक तरह से दोस्ताना ताल्लुकात हैं आपके साथ। दुश्मनी के ताल्लुकात नहीं हैं। मेरी बात कुछ बुरी तो जरूर लगेगी लेकिन आपको सम्भालने के लिए कह रहा हूं। आज आप जानते हैं कि आपके साथ से हरिजन गया। आपके पास से हरिजन गया...

श्री नवरंगसिंह : कहां गया? आपके साथ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरदारजी देखो, समझो, मैं कहता हूं आज हरिजन आपके साथ नहीं हैं। मुसलमान आपके पास से गया। इसके साथ-साथ कर्मचारी भी गया। बुद्धिजीवी आपके पास से गया। मजदूर भी गया। मैं कहता हूं कि मोरारजी भाई और इन्दिरा गांधी की बात में कहां फर्क है? अणु बिजली घर के मजदूरों की हड़ताल हुई तो वे कहते हैं कि पहले आन्दोलन वापस लो फिर बात करेंगे। अणु बिजली घर चार महीने तक क्यों बन्द रहा? आप कहते थे कि इन्दिरा गांधी डिक्टेटर थीं, मगर मैं पूछता हूं आपमें और उनमें कितना फर्क है? मोरारजी भाई कहते हैं कि पहले आन्दोलन वापस लो फिर बात करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिल्कुल लास्ट है।

श्री एच.एन. शर्मा : अणु बिजली घर की हड़ताल आपके कारण चलती रही।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने आज बिजली की कटौती की है राजस्थान में। इससे कितने लोगों को सफर करना पड़ा है? कौन सी ऐसी मांग थी? आपका एटीट्यूड होना चाहिए था कि आपकी मांग जायज है तो हम मानेंगे। आपकी मांग जायज नहीं है तो नहीं मानेंगे। आपको मालूम है कि अणु बिजली घर के मजदूरों ने कोई मेमोरेंडम

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
भी दिया था प्रधान मंत्री को ? लेकिन आपको तो फुर्सत नहीं है, समझ नहीं है, सूझ नहीं और फिर कहते हो कि पहले तुम हड़ताल को वापस लो फिर बात करेंगे। यही एटीट्यूड इन्दिरा गांधी का भी था। इसका नतीजा आपको दक्षिण में मिला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपनी कमजोरी को दूर करो। मैं तो आपको दोस्त के नाते कह रहा हूं। मुझे तो बदनामी मुफ्त में मिल रही है, कुर्सी पर तो आप बैठे हो।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सूची में कौन-कौन से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, यह तो मालूम हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जनता सरकार के····

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य सचेतक महोदय ने लिस्ट दी है, हम जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से सदस्य आज बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया आपको कि अभी थोड़ी देर में बता दूंगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमको पता तो रहना चाहिए····

श्री नाथूराम : मैं सिफारिश नहीं चाहता हूं। मैंने अपना नाम 28 तारीख को दिया था···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया धैर्य रखिये, मैं बता दूंगा।

श्री नाथूराम : यहां पर पक्षपात होता है। हम आपसे न्याय चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सूचना मांगी है, मैं आपको बता दूंगा।

श्री नाथूराम : मैंने अपना नाम 28 तारीख को दिया था और आज 2 तारीख को भी मेरा नाम नहीं आया है। मुख्य सचेतक अगर पक्षपात करेंगे तो हम आपसे न्याय चाहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अभी थोड़ी देर में नाम बता दूंगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। वह व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करते हैं उनको बोलने की प्राथमिकता दी जाती है, पहले बोलने का मौका दिया जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने संशोधन दिये फिर भी हमारा नाम तो नहीं पुकारा जा रहा है और जिन्होंने संशोधन नहीं दिए उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। यह क्या कोई नियमों में परिवर्तन हो गया है या और कुछ है, मालूम तो होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह एतराज बहुत देर से उठाया है।

मेजर श्री फतहसिंह : व्यवस्था देने से पूर्व मेरा नाम पुकार लिया गया है।

**श्री रामकरणसिंह** : हमारे प्रगतिशील दल के भी नाम दिये हुए हैं। हमें भी काफी समय हो गया इन्तजार करते हुए लेकिन हमारे में से एक का भी नम्बर नहीं आया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए मौका दे दिया है।

**श्री रामकरणसिंह** : हमने भी नाम दिये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं बीच में देख लूंगा। पहले जिनका नाम पुकार लिया है उनको बोलने दीजिए।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : क्या मुझे बोलने की इजाजत है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलिए।

**मेजर फतेहसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जहां जनता सरकार के पिछले आठ महीने की उपलब्धियों का विवरण दिया है वहां महामहिम ने यह भी बताया है कि आने वाले एक वर्ष में जनता सरकार क्या करना चाहती है, उसका संकेत दिया है। मैं अपने विचार व्यक्त करूं उससे पहले मैं यह बात भी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं राजस्थान की जनता के कल्याण की भावना से, इसलिए हमें निष्पक्षता से और निर्भीक होकर अपने विचारों को प्रगट करना चाहिए ताकि अगर सरकार कहीं ढिलाई बरत रही हो तो वह जागरूक हो जाय। अगर सरकार की नीति में कोई दोष हो, कोई छिद्र हो तो उसको भी सरकार दुरुस्त करे। इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : धन्यवाद।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : श्रीमान्, पिछले अधिवेशन में राज्यपाल महोदय ने यह बताया था और यह घोषणा की थी कि जनता सरकार शीघ्र ही पंचायतों के चुनाव करवायेगी। उस वायदे को जनता सरकार ने निभाया है। उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात है कि यह पंचायती राज एक पहिये की गाड़ी से नहीं चल सकता। प्रधान या जिला प्रमुख हो, टू टायर सिस्टम हो या थ्री टायर सिस्टम हो, जब तक सरकार इसका निर्णय नहीं कर लेती तब तक यह एक पहिये वाली गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पर वह अनिर्णय की स्थिति अधिक समय तक नहीं रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्व अभियान का भी जिक्र किया था और यह कहा था कि पिछले कुछ महीनों में नौ लाख राजस्व के मामले निपटाये गये। 1 लाख 57 हजार को खातेदारी दी गई और 5 लाख 59 हजार नामान्तरण के, म्यूटेशन, के मामले निपटाये गये। अगर यह आंकड़े सही हों तो मैं इसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात यह है कि जहां तक मेरे क्षेत्र का संबंध है, भीम तहसील के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि भीम तहसील में राजस्व अभियान नही के बराबर हुआ है। वहां की स्थिति को मैं बताना चाहता हूं। वहां के 6 हजार 636 व्यक्तियों को 3 हजार 466 बीघा भूमि काबिस काश्त और बाड़े की 13,722 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार नही मिले हैं। मेरे क्षेत्र में किसानों

# Page No 65

(65)



(मेजर श्री फतहसिंह)

पर कई अतिक्रमण के मुकदमे लगा दिये। मैंने सदन में यह घोषणा की थी कि अगर इनको नहीं निपटाया गया तो मैं 15 अगस्त से भूख हड़ताल करूंगा। तो वह सरकार ने स्टे करवा दिये। इसी प्रकार से बन्दोबस्त में हुई गलती को शुद्ध करने की कार्यवाही नहीं की गई है। चरागाह को बिला नाम दर्ज कर उसे आवंटित कर दिया गया, खातेदारी भूमि को चरागाह कर दिया। काश्तकारों के घेरे व बीड़े की भूमि को बिला नाम कर दिया गया है। एक की भूमि को दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया है। यह भूमि की एक तहसील की बात है। तो इस बात को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई राजस्व अभियान नहीं चला है। वहां राजस्व अभियान शून्य है।

श्रीमान्, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, 19 हजार परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन दी गई। यह अपने आप में एक अच्छी बात है। अन्त्योदय योजना, 2 अक्टूबर, 77 से लागू की गई है। मेरे क्षेत्र में बी. डी. ओ., एस. डी. ओ., तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और एम.एल.ए., हर पंचायत हैडक्वार्टर पर गये। मैं भी गया। 52 व्यक्तियों को पेंशन दी जाने वाली थी। प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों का चयन किया गया, जिनका कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किया गया। एम. एल. ए., एस. डी. ओ., बी.डी.ओ., सभी एक जगह इकट्ठे हुए। मैंने कहा था कि जनता सरकार का अच्छा काम है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। यह काम अच्छा था। यह इस प्रकार की योजना है कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हों, जनता के दुःख दर्द सुनें और गरीब व्यक्तियों का चयन करें। इस प्रकार का उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आगे क्या हुआ। उन व्यक्तियों का चयन किया गया। 1,54,000 व्यक्तियों का चयन किया गया। वह व्यक्ति, जिसका अन्त हो गया है, का कौन उदय नहीं चाहेगा? इसके लिए हमको योजनाबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। मैं नहीं जानता कि राजस्थान के अन्य भागों में क्या हुआ। मैं तो केवल यही जानता हूं कि भीम में क्या हुआ। यह अन्त्योदय योजना एक तरह की कागजी योजना है जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। भीम तहसील में 101 वृद्धावस्था पेंशन वाले व्यक्तियों का चयन किया गया था। उनको अन्त्योदय योजना से निकाल दीजिए। यह वृद्धावस्था वाली बात तो पहले की ही है। यह कोई नयी योजना नहीं है, जैसा कि माणक सुराणा जी ने भी कहा था। 5-5 के हिसाब से 365 परिवार चुने गये। 51,080/- रु. का ऋण बैंक से दिया गया। 90 परिवारों ने यह देखकर कि खैरात बंट रही है लेना अस्वीकार कर दिया। अब 6,57,300/- रु. बैंक से लेने की आवश्यकता है वह ऋण बैलगाड़ी, भेड़ और बकरी, इनके रूप में दिया जाने वाला है ताकि वह इनको खरीदें। इसकी कहां क्रियान्विति हुई है? देवगढ़ तहसील से 429 परिवारों का चयन किया गया वृद्धावस्था पेंशन वालों के अलावा। उनके लिए टोटल अमाउण्ट बैंक से 8,65,100/- रु. लेने का प्रस्ताव था। 18 व्यक्तियों को 1 लाख 29 हजार दिया जा चुका है और 311 व्यक्तियों को 7,34,300 रुपया देना है। श्रीमान्,

(मेजर श्री फतहसिंह)

जिस जिस गांव में गया उनके साथ वहां यह प्रचार किया गया कि जो बैंक का ऋण मिलेगा उसकी अदायगी की गारंटी गवर्नमेण्ट की होगी। हमने प्रचार किया कि गवर्नमेण्ट गारंटी देगी। लेकिन 9 फरवरी को राजस्थान पत्रिका में यह खबर निकली कि गवर्नमेण्ट ने बैंक गारण्टी देने से मना कर दिया।

श्री खेतसिंह राठौड : रिजर्व बैंक ने मना कर दिया।

मेजर श्री फतहसिंह : I am coming to that point, वह जामिन चाहती है फिर ऋण देती है। अगर ऋण की अदायगी नहीं हो तो वह जामिन से पैसा वसूल करती है। बैंक उन्हीं लोगों से वसूल करेगी। बैंकों का क्या हाल है। बैंक ऋण देगी, यह कोई नयी बात नहीं है। लघु कृषक योजना में जो ऋण दिया जाता था वह अब भी दे रहे हैं। हमारी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर 2,000/- रु. पर 4% ब्याज लेती है और 2,000/- से ऊपर $12\frac{1}{2}$% ब्याज लेगी। ऋण 6 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाएगा। 6 महीने में किस्त की अदायगी होगी उसमें आधा ब्याज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए 2,000/- का मिनिमम ऋण होता है, उसका चुकारा करने के लिए 350/- रु. की पहली किश्त, और 40 रु. तीन महीने का ब्याज हो गया। अगर कहीं 6 महीने हो गये तो 370 रुपये 6 माह में चुकाने पड़ेंगे। 30 भेड़ों से कम के लिए कोई ऋण देंगे ही नहीं। हमारे इलाके में कई लोगों ने भेड़ों के लिए प्रस्ताव किया है। भेड़ वाले को 3000/- रु. से कम का ऋण नहीं देंगे। 500/- रु. का मूलधन देना पड़ेगा और 81 रु. 25 पैसे ब्याज के। इस प्रकार से 581.25 रुपये देने होंगे पहली किश्त के। 581 रुपये 25 पैसे उसको पहली किश्त में चुकाने पड़ेंगे। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, वित्त मन्त्रीजी यहां नहीं है, राजस्व मन्त्रीजी यहां नहीं है, 581 रुपये 25 पैसे की किश्त वह व्यक्ति, जो बिल्कुल निर्धन है, 6 महीने में कैसे चुका पायगा? वह नहीं चुका सकता। इसलिए अगर हमको उसके हितों की रक्षा करनी है तो सरकार उसकी गारंटी दे नहीं तो जो जामिन बनता है वह उसकी सुरक्षा भी करेगा और उस गाय, भैंस, बैल और भेड़ों को अपने गिरवी रखेगा। वह भी कुर्की लायगा तो नीलाम करायेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कोई नई योजना नहीं है, नई योजना तो तब होगी जब सरकार इनको गारन्टी दे। The Government should own its responsibility to execute it. नहीं तो यह योजना सफल होने वाली नहीं है।

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग गांवों में गये तो सभी जगह कहा कि ऋण मिलेगा। अब ऋण नहीं मिल रहा है। गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कहां है बैल, कहां हैं गायें, कहां हैं भेड़ें और कहां हैं बकरियां? ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हुए व्यक्ति यह समझने की कोशिश करें। इसलिए मेरा कहना है कि अन्त्योदय योजना का प्रचार हुआ, अखबारों में प्रचार हुआ, सरकार की तरफ से भी प्रचार किया गया तो मैं भी प्रसन्न हुआ कि सरकार जरूर गरीबों का उत्थान करना चाहती है। इस बात के लिए हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने भी प्रशस्तिपत्र दे दिया, राष्ट्रपतिजी ने भी

(मेजर श्री फतहसिंह)

प्रशस्तिपत्र दे दिया। मैं समझता हूं इस प्रकार के प्रमाण-पत्र तो कांग्रेस शासन में भी बहुत मिलते रहे हैं। सब लोग आवाज बुलन्द करते रहे हैं, लेकिन आज हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन दिनों विदेशी लोग भी यह कहते रहे कि देश में विकास हो रहा है। All that glitters is not gold सब चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होतीं, वह पीतल भी हो सकती हैं। इसलिए सोना बनाना है तो सबसे पहले तो सरकार इसकी गारन्टी दे। मैं एक उदाहरण दूं। मैं इस योजना को एक गर्भवती महिला के समान मानता हूं जो बीमार है और उसको उपचार की बहुत आवश्यकता है। अगर उसका इलाज नहीं किया तो गर्भपात हो जायगा। इसलिए अगर इस योजना को गर्भपात से बचाना चाहें तो गवर्नमेन्ट गारन्टी दे, यह मेरा निवेदन करना है।

श्रीमन्, मैं एक बात की ओर और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभिभाषण में यह कहा गया कि स्कूल खोले गये, कालेज खोले गये, प्राइमरी स्कूल खोले गये, सैकेण्डरी स्कूल खोले गये––यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? यहां पर लॉ-एण्ड ऑर्डर की बात की गई। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में लॉ एण्ड-ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी को देख लीजिये, दो महीने पहिले की घटना है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उपकुलपति का चार्ज संभाला। उनको किस तरह से अपमानित किया गया, किस तरह से उनका घेराव किया गया? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उस पद पर बैठना पसन्द नहीं करेगा। जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात देख लीजिये, कोठारीजी हमारी शिक्षा के निर्देशक थे, वह वहां के उपकुलपति बनाये गये। लेकिन उनका जो हाल हुआ, वह सबको विदित है। उनका आठ घंटे तक घेराव किया गया। उनको मजबूर होकर त्याग-पत्र देना पड़ा। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह हम सबकी आंखें खोल देने वाली वस्तु है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों में अपनी इज्जत और जान की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। आखिर ये बातें यूनिवर्सिटीज में क्यों होती हैं? जहां शिक्षा की मद पर 102 करोड़ रुपया, इस साल, जो साल बीत रहा है, खर्च करने वाले हैं, वहां इस क्षेत्र में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। यह अनुशासनहीनता क्यों बढ़ी है? यह राजस्थान की बात नहीं है, यह एक देश व्यापी प्रश्न है इस पर हम सबको विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहे विधायक हों, चाहें एम पी. हों, चाहे नागरिक हों उनको बैठकर चिन्तन करना है कि किस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है। एक कारण जो इस शिकायत का है, मैं शिक्षण-संस्थाओं की बात कहता हूं, वह यह है कि छात्रों में और शिक्षकों में राजनीति का घुसपैठ हुआ, हम सब इस शिकायत की तरफ ध्यान दें। हर पार्टी इन छात्रों और शिक्षकों पर अपना प्रभाव डालना चाहती है।

इस वर्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार 12 हजार 200 गांवों को

(मेजर श्री फतहसिंह)

अभावग्रस्त घोषित किया गया है और 49.50 लाख रुपये की राशि राहत कार्यों को शुरू करने के लिए स्वीकृत की गई। लेकिन, श्रीमन्, यह काम व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहे हैं। मजदूरों को तीन रुपया मजदूरी दी जाती है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार भी पांच रुपया वेतन होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तीन रुपये तो उनको ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं और टास्क के बेसिस पर कम दिया जा सकता है, कम टास्क करेंगे तो दो रुपया या एक रुपया भी देते हैं। लेकिन कोई पुरुषार्थी व्यक्ति टास्क के आधार पर ज्यादा काम करना चाहे तो उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तीन रुपया ही मिलेगा। इसलिए कई लोग दोपहर तक काम कर लेते हैं और बैठे रहते हैं।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं, मैंने उनसे दो बार बात भी की। मेरे पास दो तार आये। भीम तहसील के गांव बार का सरपंच है उसने लिखा कि यहां पर 9 जनवरी को जो काम खोले गये, उनको बन्द कर दिया गया। जिन कामों पर मजदूरों को 9 जनवरी को लगा दिया अब उनको बन्द कर देने का कौनसा औचित्य है? इसी तरह से मंडावर गांव के सरपंच का भी तार मिला। उन्होंने कहा कि हमारे यहां खेतों में से सड़कें निकाली जा रही हैं। खेतों में फसल खड़ी है, हमारे गांव के मजदूरों को हटा दिया गया। श्रीमन्, पहला प्रश्न तो यह आता है कि जिन मजदूरों को लगाया गया उनको नहीं हटाया जाय। दूसरी बात यह है कि जो सड़कें निकाली जा रही हैं, जहां पर आज गेहूं, चने और जो की फसल खड़ी है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को सलाह दी कि उन खेतों को छोड़कर आसपास में काम शुरू कर दिया जाय। एक महीने के बाद जब फसल कट जाती है उसके बाद में इन खेतों में भी सड़क निकाली जा सकती है। यह मैं राज्य सरकार से और दो केबिनेट रेन्क के मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव लाने के बजाय मैंने यहां पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, आशा है, वह इस पर ध्यान देगी।

अन्त में मैं एक बात, जो बर्निंग टापिक है, की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके पायोनियर हैं माननीय मनोहर सिंहजी मेहता। मैं भी इस बात का हामी हूं कि शराबबन्दी होनी चाहिए। अखबारों के जरिए हमने सुना कि पाली जिले में शराबबन्दी हो गई। जिस जिले में शराबबन्दी होती है उसकी सीमा से 10 किलोमीटर भीतर कोई शराब की दुकान नहीं होती। पाली जिले के नजदीक एक गांव है कोट किराना। अजमेर जिले में भी एक दुकान है और जसाखण्डा में भी एक दुकान है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पाली जिले में शराब बन्दी की है, यहां दो तीन मंत्री बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार पर प्रभाव डालकर अगर मेरे क्षेत्र में, खास तौर से ब्यावर तहसील, भीम तहसील और देवगढ़ तहसील में शराबबन्दी लागू करा दें इसी सत्र से, तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी, वहां के गरीब लोगों पर कृपा होगी, वे बरबाद होने से बच जायेंगे।

(मेजर श्री फतह सिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री माणकचन्द सुराना ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं। साथ ही सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो मैंने बातें बताई हैं उनकी ओर ध्यान देगी। अन्त्योदय योजना को सफल करना है तो गवर्नमेंट गारन्टी दे नहीं तो जो पहले कांग्रेस की योजना थी उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिनकी सूची मेरे पास आई है, उसमें क्रमवार नाम इस तरह दिए हैं :

डा. हरिसिंह
श्री कल्याण सिंह
श्री हरचरण सिंह
श्री बिरदमल
श्री ओंकारलाल चौहान
श्री नाथूराम
श्री गोयल
श्री गुलाबचन्द कटारिया
श्री जिथिंग
श्री जगदीश सिंह
श्री गुरूशरण छाबड़ा
श्री नत्थीसिंह
श्री चिरंजीलाल
श्री बत्तीलाल
श्री करतार सिंह

कांग्रेस के जो माननीय सदस्य हैं वे हैं :

श्री वृद्धिचन्द्र जैन
श्री मूलचन्द डागा
श्री सूरजपाल सिंह
श्री रतनाराम
श्री खेतसिंह
श्री नरपतराम
श्री माधोसिंह
श्री मथुरादास

इसके अतिरिक्त मेरे पास प्रगतिशील दल के सदस्यों की भी सूची आई है :

श्री रामकरण सिंह
श्री समरथ

निर्दलीय सदस्यों की जो सूची आई है, श्री मदन सिंह का उसमें नाम आया हुआ है। इस प्रकार मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, सूचियों में काफी माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहेंगे। कार्य सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार आज 6 बजे तक डिबेट के लिए समय कर दिया गया है फिर भी मैं चाहूंगा कि आज की सूचियों के सदस्यों की संख्या को देखते हुए यदि संक्षेप में आप अपने भाषण का समापन करें तो मेरे साथ और अन्य वक्ताओं के साथ सहयोग होगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। जो सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करते हैं उनको नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर बोलने की इजाजत दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : कल से जब डिबेट शुरू हुई तो माननीय सदस्यों ने कोई आपत्ति नहीं की और जो क्रम निर्धारित किया उसमें भी कोई एतराज नहीं किया। आपने अब व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जब नई सूची आएगी तो पहले उनको प्राथ-

(श्री उपाध्यक्ष)

मिकता दी जाएगी। अगर किसी का अधिकार है, उस अधिकार के बारे में समय पर सावधान नहीं करता है तो यह उसकी त्रुटि है। इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न पर बाद में मैं निर्देश दूंगा। फिलहाल जो सूची बताई गई हैं उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को जिस क्रम में बुलाऊं उसी क्रम में आप अपनी बात शुरू करें।

श्री शंकरलाल : नियमों के जो विपरीत बात है उसको आप कैसे ठीक करेंगे ? जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, नियमों के अनुसार पहले उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह आवश्यक नहीं कि मैं उसका तत्काल ही उत्तर दे दूं। मैंने निवेदन किया कि इस बारे में नियमों के अधीन जानकारी करके आपकी शंका का समाधान करूंगा और इस सूची में यदि परिवर्तन अपेक्षित हुआ तो जरूर निर्णय दूंगा।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : जो सूची जनता पार्टी की आई है...

श्री सुखलाल सैणचा : पिछली बार भी यह बात आई। कल भी हमारा नाम था, आज भी दिया है लेकिन...

श्री नाथूराम : जो सूची जनता पार्टी की तरफ से मुख्य सचेतक ने पेश की है उसमें जो रह जाते हैं उनको कल प्राथमिकता ...एगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आज की सूची इतनी विस्तृत दिख रही है कि सभी माननीय सदस्य अपनी बात का समापन कर सकेंगे यह निश्चित नहीं कहा जा सकता लेकिन इस सूची के समापन होने के बाद अगर आपको अवसर दिया जा सका तो ध्यान रखूंगा।

श्री नाथूराम : मैं कल प्राथमिकता देने के लिए कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा।

श्री नाथूराम : 28 तारीख को मैंने अपना नाम दिया था, तीन दिन के बाद भी लास्ट में नाम दिया जाए, इस तरह से मुख्य सचेतक की तरफ से पक्षपात किया जाए तो मैं आपसे न्याय चाहता हूं। आदिवासियों की सरासर उपेक्षा की जाती है। गवर्नमेंट भी ऐसा करेगी तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे। सदन में अपने क्षेत्र के बारे में बोलने नहीं दिया जाए, यह कहां तक न्याय है ? पार्टी की तरफ से पक्षपात है, हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे न्याय चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाएगी।

श्री नाथूराम : जनता पार्टी की सरकार भी पक्षपात करेगी तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी चेतावनी नहीं मानी तो फिर देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करते हुए अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा । अन्त्योदय योजना के बारे में काफी विचार मंथन हुआ है । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हमारे जिले में कुछ स्थानों पर ग्राम सभायें हुई थीं, मैं गया था । उन ग्राम सभाओं में 5 गरीबों का चयन हुआ था, उसमें मैंने यह महसूस किया कि कुछ लोग जो गरीब थे जब उनका चयन किया जा रहा था तो वे उसके लिए तैयार नहीं थे, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी । ग्राम के अन्दर जो गरीब व्यक्ति हैं । सारी ग्राम सभा में उनका डिक्लेरेशन हो रहा था तो उनको पीड़ा हो रही थी ।

मैंने यह महसूस किया, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही क्षेत्र में रानी गांव है वहां पर मैं गया था । मैंने देखा मेरे क्षेत्र में कि किस प्रकार ग्राम पंचायत में डिक्लेअर किया जाता है उन पांच परिवारों को जो कि गांव में सबसे ज्यादा गरीब हैं । इससे वह लोग बहुत ही ह्यूमिलियेशन महसूस करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना में यह सबसे बड़ा दोष है । दूसरा दोष जो अन्त्योदय योजना में है वह यह है कि पांच गरीब परिवार वालों को आपके राष्ट्रीयकृत बैंक तो ऋण देते नहीं हैं । अभी जिस प्रकार भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में विचार व्यक्त किये उन विचारों का मैं भी समर्थन करता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह तो कभी भी इन गरीब लोगों को बिना जमानत के उधार पैसा नहीं दे सकते हैं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को ही इन पांच परिवार के गरीब लोगों को ऋण दिलाने के लिये गारन्टी देनी पड़ेगी । यह राज्य सरकार जब खुद ही करेगी, वह ही गारन्टी बन जावेगी उन गरीब लोगों की तो ही आपकी यह अन्त्योदय योजना आगे चल सकती है थोड़े दिनों के लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने रखा गया था इमर्जेन्सी के जमाने में वह एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था । चूंकि उस 20 सूत्री कार्यक्रम का अच्छी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ था इसीलिये हमें जो सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी वह प्राप्त नहीं हो सकी । आज यह सवाल पैदा होता है कि उसका इम्प्लीमेन्टेशन सही ढंग से क्यों नहीं हुआ ? कारण है कि जब हम गरीबी हटाने की बात करते हैं तो हमें उसके लिये कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है । इसमें जिन लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होते हैं वह यह कोशिश करते हैं कि वह कार्यक्रम पूरा नहीं हो । अगर वह कार्यक्रम सफल हो जाता है तो उन लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पर कुठाराघात होता है । यही कारण है कि जिन लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्लेश होते हैं वह लोग अपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पर कुठाराघात से बचने के लिये फाइट करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं । अभी पिछली विधान सभा में जब हमारे राज्य में कांग्रेस सरकार सीलिंग पर बिल ला रही थी और एक कानून बनाने जा रही थी तो हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने और खास तौर से अपोजीशन के सदस्यों ने उस प्रगतिशील बिल का बहुत

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भारी विरोध किया। उपाध्यक्ष महोदय, वह बिल सलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ। उस सलेक्ट कमेटी का मैं भी मेम्बर था। उपाध्यक्ष महोदय, 26 सदस्यों की सलेक्ट कमेटी में जो पांच या सात विधायक सही मायने में प्रगतिशील थे, गरीबों को जमीन दिलाने के पक्ष में थे उन्होंने तो उस बिल का विरोध उस सलेक्ट कमेटी में नहीं किया, उन्होंने इस बात की कोशिश भी की कि उस बिल में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि गरीब लोगों को अधिक से अधिक जमीनें दी जायं। बाकी करीब 20 माननीय सदस्य ऐसे होंगे, जिनमें हमारे कांग्रेसी सदस्य भी थे, सबसे अधिक तो अपोजीशन के सदस्य थे जिन्होंने उसमें कोई कार्यवाही ढंग से नहीं होने दी। मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज और उस वक्त जो बहुत ही प्रगतिशील होने का दावा करते थे उनमें से हमारे प्रोफेसर केदार, जो कि प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, भी उस सीलिंग बिल को प्रगतिशील बनाने के हामी नहीं थे। यह मैंने उस बिल की सलेक्ट कमेटी का सदस्य होने के नाते महसूस किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे लिये एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरा यह निवेदन है और राज्य सरकार को यह सलाह है कि इस प्रकार के जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले लोग हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिए। नहीं तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग अपने अपने इन्ट्रेस्ट के लिये संघर्ष करेंगे। इसलिये जब तक यह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग अपने इन्ट्रेस्ट को सेक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में जो गरीबी है वह कभी भी नहीं हट सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे देश में सामंतशाही प्रथा को खतम किया, राजाओं को खतम किया, उनके राज्य को खतम किया, जागीरदारी प्रथा को खतम करके जागीरदारों को समाप्त किया। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जागीरदारी प्रथा इसलिए समाप्त की गयी थी कि जो जमीन है वह गरीबों में बांटी जायेगी लेकिन वह नहीं बांटी जा सकी क्योंकि हमारी कांग्रेस में वह लोग आ गये और बाकी अपोजीशन में रहकर इसका विरोध करते रहे। जैसा कि सदन में माननीय सुराणाजी ने कहा, आज भी हमारे यहां की 31 प्रतिशत जमीन सिर्फ चार प्रतिशत लोगों के पास ही है। तो जब तक यह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वालों के इन्ट्रेस्ट पर कुठाराघात करके हम उन लोगों से जमीन नहीं लेंगे तब तक हम गरीबों को जमीन नहीं दे सकेंगे। आज वही वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग आपकी पार्टी में घुसे हुए हैं। सिर्फ 6-7 सोशलिस्ट सदस्यों को छोड़कर सभी सीलिंग कानून का पूरी तरह से विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के भाषण में यह भी कहा गया कि 20 हजार परिवारों को जमीन दी है पर वह जमीन किस प्रकार की दी है। वह जमीन बिलकुल ही अनइकानामिक होल्डिंग है। अनइकानामिक होल्डिंग की जमीनों को लेकर गरीब लोग गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सकते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिये मेरा राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह निवेदन है कि अगर आप कोई कार्यवाही गरीबों को जमीन दिलाने के बारे में करना चाहते हैं तो आपको सीलिंग कानून का पूरी तरह अमल करना होगा।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारा प्रान्त उसी सामन्ती ढंग से चल रहा है। आज भी वही सामन्ती लोग कांग्रेस और जनता पार्टी में घुसे हुए हैं। वह अपने इन्ट्रेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि गरीबों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप वास्तव में गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को हटाना पड़ेगा या फिर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को ही अपने इन्ट्रेस्ट्स को सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। यह होगा तभी गरीबों को ऊपर उठाया जा सकेगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह परिवार नियोजन के बारे में है। गवर्नर साहब के अभिभाषण के पेज नम्बर 17 पर यह दिया हुआ है आपातकाल में हुई ज्यादतियों के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में कुछ समय के लिये शिथिलता आना स्वाभाविक था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आपातकाल में इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम में कुछ ज्यादतियां हुईं। आपने आपातकालीन समय में परिवार नियोजन में ज्यादतियां करने के लिये दोषी लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिये आयोग बिठाया है। मैं भी कहता हूं कि जिन लोगों ने आपातकालीन समय में परिवार नियोजन में ज्यादतियां कीं उनको दण्ड मिलना चाहिये क्योंकि उनकी वजह से ही यह कार्यक्रम, जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सफल नहीं हो सका। उसी के कारण जब हमारे यहां पर लोक सभा के चुनाव हुए तब, विधान सभा के चुनाव हुए तब और अभी जब पंचायतों के चुनाव हुए तब विरोधी पार्टियों ने कुप्रचार कर उसका खुल कर दुरुपयोग किया इससे भी हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक बहुत भारी धक्का लगा। यह प्रचार किया गया कि इससे बहुत ही नुकसान है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में तो आपकी जनता पार्टी के इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी था कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जायेगा। इतना ही नहीं हमारे देश के राष्ट्रपतिजी ने और हमारे देश के प्रधान मन्त्रीजी ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कहा था। लेकिन चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे पंचायतों का चुनाव हो जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का बहुत भारी कुप्रचार किया। जब जनता पार्टी की सरकार ने आपातकालीन समय में परिवार नियोजन में हुई ज्यादतियों और दूसरे अपराधों के लिये शाह कमीशन बैठाया है तो मैं जनता पार्टी की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पार्टी के मैनीफेस्टो में इसे एक अच्छा कार्यक्रम माना है तो फिर इसके बारे में जो यह कुप्रचार किया गया कि परिवार नियोजन से लोग नामर्द हो जाते हैं, इस प्रकार का झूठा प्रचार किया गया कि इससे लोग कमजोर हो जाते हैं और आदमी मर्द कहलाने लायक ही नहीं रहता, ऐसे कुप्रचार करने वाले झूठे लोगों को भी आपको दण्डित करना चाहिये। परिवार नियोजन कार्यक्रम देश के हित का कार्यक्रम है। इसलिये ऐसे लोगों के खिलाफ में आपको आयोग बैठना चाहिये। यही वह लोग हैं जो कि परिवार नियोजन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जैसे कल्याणकारी प्रोग्राम को असफल बनाते हैं। जब तक आप इसको सफल नहीं बनायेंगे तब तक देश गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकेगा और विकास पूरी तरह नहीं हो सकेगा। आपको यह मालूम होना चाहिये, पिछले सत्र में हमने एक सवाल किया था कि इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम में कितनी सफलता हुई। तो हमारे राजस्थान के तत्कालीन मन्त्री महोदय उसकी प्रगति नहीं बता सके। यह बहुत ही दुःख की बात है। अगर हम अपने यहां से गरीबी हटाना चाहते हैं तो हमें इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना ही चाहिये। इसके लिये एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलने की योजना बनाई गई। एक हजार की आबादी पर जन स्वास्थ्य रक्षक लगाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे गांवों में क्वेक्स पैदा हो रहे हैं जो कि कुछ नहीं समझते हैं इससे काफी नुकसान होता है। पहले हमारे यहां कई भोंपे होते थे जो कि इस प्रकार के इलाज किया करते थे। उससे भी नुकसान होता था। तो मेरा निवेदन है कि यह जो क्वेक्स पैदा हुए है इन्हें रोका जाना चाहिये। हमे आवश्यकता है कम्पाउन्डर्स की। बाड़मेर जिले में कम्पाउन्डर्स की आवश्यकता है। हमें नर्सेज की आवश्यकता है। फिमेल नर्सेज की, मेल नर्सेज की हमें आवश्यकता है। आप उनको ट्रेनिंग देकर तैयार नहीं करते हैं तो ये क्वेक्स क्या करेंगे गांवों में? ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी चाहते हैं कि हमारा इलाज अच्छा हो। क्वेक्स इन्जेक्शन लोगों को लगायेंगे और उससे लोग बीमारियों के शिकार होंगे। आज भी कई क्वेक्स इन्जेक्शन लगा रहे हैं और लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो ही बातें निवेदन करना चाहूंगा।

अकाल की बड़ी भारी समस्या है हमारे यहां पर। सरकार ने अकाल की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब आप अपोजिशन में थे तो हमारे पर दबाव डालते थे। आपने जनवरी में जाकर तो अकाल की घोषणा की और आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं। एक तरफ आप गरीबी को दूर करने का इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अकालग्रस्त इलाकों में काम न खोलकर गरीबी और बढ़ा रहे हैं। लोग अपनी गायें, बकरियां और भेडें बेचकर बीगोडी की अदायगी कर रहे हैं। आपने बीगोडी भी अभी माफ नहीं की। कोआपरेटिव की वसूली तो होती ही है वह तो रुकती ही नहीं है लेकिन उसके साथ साथ आप रेवेन्यू की वसूली कर रहे हैं, रेवेन्यू की वसूलियां भी हो रही हैं। मैंने इस बारे में जिलाधीश से पूछा तो कहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए तो वसूली रोकी है लेकिन दूसरों के लिए नहीं रोकी है। अकाल में तो दूसरों की हालत भी खराब होती है। केवल मात्र दो टैस्ट वर्क चल रहे हैं। 300–400 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं जबकि 355 गांव अकालग्रस्त हैं। यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे जिले में 20 हजार आदमी काम कर रहे होते। आज 300–4.0 से

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अधिक नहीं है। आपने अकालग्रस्त इलाके में राहत कार्य नहीं खोले, उसका क्या कारण है ? क्यों नहीं खोले ? इस बारे में आप को सोचना है। यह बिलकुल सही बात है कि ऐसे कार्य वहां पर खोले जाने चाहिए जो स्थायी हों। ऐसी रोड्स पहले बनी हुई हैं, मैटल्ड रोड्स हैं, पचास पचास मील तक हो गयी हैं, उन पर टार नहीं डालने से गर्मी में समाप्त हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको अकाल राहत कार्य अधिक से अधिक हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए।

बार बार चेयर से घंटी बज रही है इस लिए भाषण समाप्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जनता सरकार कुछ कार्य और अगर करेगी तो पता पड़ेगा। अभी तक तो जनता सरकार ने जो कार्य किये हैं उनमें सफलता नहीं मिली है। आर.एस.एस. के खिलाफ अगर थोड़ी सी भी बात कोई बोलता है तो एकदम जो उछल पड़ते हैं उनको शांति रखनी चाहिये। वे जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से अब यहां पर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि जो कांग्रेस ने 30 साल में नाम कमाया वह 19 महीने की इमर्जेन्सी में गवां दिया। जनता की सरकार ने 9 महीने में तरक्की की है यदि जनता पार्टी जनता के सामने जाय तो वापस उसको भेज दे और कांग्रेस को न भेजे।

एक माननीय सदस्य : यह गलतफहमी हुई है आपको।

श्री नूरा : आपको यह भी यदि ज्ञान हो गया तो फालतू बातें आपको पूछनी ही नहीं चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मंहगाई का सवाल आया है, इस नौ महीने के टाइम में जितना जनता का शोषण हुआ है उतना किसी समय नहीं हुआ। चाहे अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, और चाहे अन्य चीजें हो, जनता को व्यापारियों ने, पूंजीपतियों ने दिल भरकर लूटा और समाज का शोषण हुआ। जयपुर में छापा डाला गया, गोदामों पर और दुकानों पर छापा डाला गया लेकिन पूंजीपतियों ने वापस ललकारा तो छापा मारने की बात ही भूल गये। यह पूंजीपति राजा-महाराजा निर्भय होकर जनता को लूटते हैं और बड़े बड़े जागीरदार, जिनकी जमीनें ली गयी थीं, वापस जनता से खोस रहे हैं। जनता पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन उनको रोकने के लिये जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी है। कपड़े के भाव कहां हैं, अनाज के भाव कहां हैं ? आयोग की बात करते हैं। जमीनें जो बड़े बड़े लोगों ने हथिया लीं उनको वापस लेने की बात करते हैं। आयोग का नाम लिया गया है कि उसके तत्वावधान में जांच होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पैसे वाले बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनकी जमीनें वापस लेने की बात आवेगी ? बड़े बड़े जागीरदार हैं ठिकाने के लोग हैं, अवैध रूप से जिन्होंने जमीनें ले रखी हैं उनसे जमीनें वापस ली जावेंगी और क्या आयोग के द्वारा उनकी जांच होगी ? माणक चन्द जी सुराणा साहब

(श्री तूरा)

हैं उन्होंने इस ओर इशारा किया था लेकिन वे उस पर कहां तक टिकेंगे इस सम्बन्ध में भाषण में तो कोई बात नहीं कही गयी है।

जहां तक राष्ट्रीयकरण की बात है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोडवेज का आपने राष्ट्रीयकरण किया। आज उसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपकी कहीं कोई नीति ही नहीं है राष्ट्रीयकरण की। राष्ट्रीयकृत चीजों से सरकार के पास पैसा आयेगा तो विकास कार्यक्रम भी हो सकेंगे। विकास करने के लिए साधन चाहिये और उसके लिये तैयारी चाहिये जो आपकी नहीं है। आज विश्व बैंक से कर्जा लेने की बात करते हैं। उस विश्व बैंक से, जिसमें 80 प्रतिशत अमेरिका का हाथ है और उसमें उसका पैसा लगा हुआ है, आप कर्ज लेने की बात करते हैं। उससे पैसा लेने की बात करते हैं। शाह ईरान आये, उन्होंने पैसा देने की बात कही। जब वे यहां आये और बच्चों ने कहा कि आपने अपने देश में जो कुछ किया है वह शोषण और अत्याचार किया है। उसका विरोध करने की बात कही और उनको तानाशाह कहा तो पुलिस ने बच्चों को सड़कों पर पीटा, उनको बुरी तरह से पीटा. एक सत्यार्थी नाम के विद्यार्थी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह बेहाल हो गया। पैसा देने की बात करके आपको राजी करने की बात की जाती है और यदि उनका बच्चे विरोध करें और कहें कि आपने लोगों को ईरान में जेलों में क्यों डाल रखा है तो उन पर घोड़े दौड़ाये जायं और डंडे बरसाये जायं, इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। हम आजाद हैं, हमारे यहां प्रजातन्त्र है पर जब इस प्रकार की प्रजातन्त्रीय बात कही जाती है तो जनता पार्टी को बुरा लगता है। बच्चों पर डंडे बरसाये जाते हैं क्योंकि वहां से दो अरब की सहायता मिलने वाली है। यह नहीं देखा जाता कि जनता के साथ वह अन्याय कर रहे हैं।

इसके साथ आप मजदूरों की भी बात करते हैं। रावतभाटा में मजदूरों की मांगों को लेकर तीन महीने तक हड़ताल हुई। उनसे समझौते की बात तो बराबर करते रहे लेकिन राज्य सरकार ही नहीं लेबर डिपार्टमेन्ट भी राजनैतिक तरीका इस्तेमाल करता रहा। तोड़ फोड़ करता रहा और समझौता नहीं होने दिया। तीन महीने तक इस कारण हड़ताल चली। मजदूरों में इस बात का असंतोष है कि उनकी वाजिब मांगें भी नहीं मानी जाती हैं और कठोरता से तोड़-फोड़ करके मानी जाती है। कोई गलती कर दी जाती है तो कम से कम उनके लोगों को बुलायें और बात करें। लम्बी-लम्बी हड़तालें हुईं और काफी दिनों के बाद, बार-बार हड़ताल करने के बाद उनकी बातों का निपटारा हुआ।

कई जगह मालिक मजदूरों पर अत्याचार करते हैं लेकिन लेबर डिपार्टमेन्ट आराम से बैठा रहता है और उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाता। ऐसी हालत में यह सारी जो सरकार की नीतियां हैं इनको बारीकी से देखा जाय तो मैं यह कहूंगा कि चाहे कांग्रेस की आप आलोचना करें, चाहे आप कोई नयी बात करें लेकिन आज आपकी हालत यह है कि जैसे कांग्रेस के समय की पूंजी-पतियों का पक्ष लिया जाता था वैसे आज आप भी वही कर रहे हैं। पूंजीपति वर्ग आज देश में किस प्रकार से जाल बिछाये

(श्री नूरा)

बैठा है। आज जागीरदार लोग सोचते हैं कि हमारा राज्य फिर से आ गया। चाहे व्यापारी हों या जागीरदार हों वह सोचते हैं कि हमारा राज्य ही अब आया है। पहले जागीरदार लोगों के अधिकार कम हो गए थे लेकिन आज फिर वह सोचते हैं कि हमारे अधिकार ज्यादा हैं। सारे देश की तरह राजस्थान में भी आपने काम बिगाड़ा है। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गांवों में आप देखें तो नजरिया उल्टा ही नजर आता है।

अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में यह बात कह सकते हैं कि इसका अभियान चलाया। हमारी जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई। मैं कहता हूँ कि आपके पास राज्य है। आप इसको अभियान के रूप में क्यों चलाते हैं? लगातार योजना चलाने वाली बात क्यों नहीं करके चलते। नामांतरकरण करने की बात पहले भी सरकार ने बनाई थी लेकिन उसमें बहुत कमियां रहीं . . .

एक **माननीय सदस्य** : पुराना काम निपटाया गया।

**श्री नूरा** : आज भी निपटाया जाना चाहिए। एक महीने में हां क्यों बैठ गये। उसमें कितनी खामियां हैं। लोगों की रजिस्ट्रियां अटकी पड़ी हैं। 17।। बीघा तक के नामांतरकरण नहीं किये गये। क्यों नहीं किये गये इसलिए कि वह जमीन नहीं बेच सकते। उससे ज्यादा की जमीन वह बेच सकते हैं। कई जगह नामांतरकरण छोड़ दिये गये और इसकी मिसाल आपको और कहीं नहीं तो अजमेर में जरूर मिलेगी। कहीं हो गये और कहीं छोड़ दिये गये।

आप अपाहिजों को और अन्धों को पेंशन देने की बात करते हैं। उनकी हालत यह है कि उनके फार्म भरे गये और पेंशन नहीं मिली। आज काश्तकार इन्तजार कर रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा। वह अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं आया। इसके लिये जैसा माननीय सदस्य माथुर साहब ने कहा कि अभी तक लोन की हालत यह है कि लोगों के फार्म भरे गए लेकिन पैसा नहीं दिया गया। अन्त्योदय योजना के लिए मैं कहता हूं कि यह कोई योजना नहीं है। इसके अन्तर्गत गांव में से 5 आदमी चुने जाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है। बड़े धर्मात्मा लोग अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए 5 ब्राह्मणों को जिमाते हैं उसी तरह से इस अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आप 5 लोगों को गांव में से चुनेंगे और उनको रोजी देंगे। क्या आप इन पांच लोगों को रोजी दे देंगे तो सारे गांव के लोगों को रोजी मिल जायेगी? मैं समझता हूं कि यह जनता को धोखा देने वाली बात है, यह जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इसके बजाय तो आप कोई ऐसी योजना हाथ में लेते जिसमें अकाल को खतम करने वाली बात होती, खेती की पैदावार बढ़ाने वाली बात होती। बार-बार यहां पर अन्त्योदय योजना की बात कही जाती है। यह अन्त्योदय योजना जनता को बहकाने की बात है न कि पूर्ति करने की बात है। इन 9 महीनों में जो जनता पार्टी की सरकार की हालत हुई है वह हमारी जनता पार्टी के साथी लोग जानते हैं।

(श्री नूरा)

आज सुबह जन शिक्षा की बात चली तो मेरे आर. एस. एस. के लोग कुछ नाराज हुए। यह सच है कि आर. एस. एस. माइन्ड रखने वाले अधिकारी जिलों में और तहसीलों में इसलिए लगाये जाते हैं कि वहां पर स्कूलों में वह आर. एस. एस. की शाखा को बढ़ावा दें और उस तरह की नीति रखने वाले लोगों को तैयार करें। क्या हमारी सरकार पर आर. एस. एस. की नीति हावी नहीं है? यह सच है कि सारी जगह आर. एस. एस और जनसघ छाया हुआ है। वह जो चाहते हैं करते हैं। कहीं तरक्की की बात नहीं होती, गरीबों और किसानों की प्रोग्रेस की बात नहीं होती। आज राजस्थान से अकाल को खतम करने वाली बात कहीं नजर नहीं आती। आज शहरी भूमि पर सीलिंग कानून लागू करने के लिए जैसा श्री मानकचन्द जी ने कहा था, सीलिंग कानून में तबदीली करने के लिए इस किताब में, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का है, कहीं उल्लेख नहीं है। सरकार की नीतियों में यह बात कहीं नहीं आई। यह जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात नहीं है तो और क्या है?

जहां तक भूमि सुधारों की बात है भूमि सुधारों के मामले में इस भाषण में कहीं उल्लेख नहीं है। गायें दे देंगे, भैंस दे देंगे और दूध की व्यवस्था कर देंगे यह तो कहा गया है लेकिन भूमि सुधार की बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उसको छोड़ दिया गया है। जब तक हम भूमि सुधार नहीं करेंगे और पैदावार बढ़ाने की बात सामने नहीं आयेगी तब तक किसानों को सुखी करने वाली बात नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है उसके अन्दर खामियां हैं। जो 9 महीनों में करके दिखाया वही बातें अभिभाषण में कही गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए, यह बातें व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि अपने दल की ओर से कह रहा हूं।

पंचायतों के चुनाव हुए। पंचायतों के चुनाव तो करा दिये गये लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव क्यों पैन्डिंग रख दिये गये। जैसे कांग्रेस के जमाने में इन चुनावों के लिए कहा जाता था कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, आज गिरधारीलाल भार्गव कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, उसी तरह से आपने भी अशोक मेहता कमेटी के नाम से इन दो चुनावों को और पैन्डिंग रखा है वह इसलिए रखा है कि जब तक राजनैतिक वातावरण का रंग आपके पक्ष में न जम जाये तब तक यह चुनाव नहीं कराये जायें। यह उसकी मंशा है....

एक माननीय सदस्य : गिरधारीलाल भार्गव कमेटी की रिपोर्ट की बात कही है तो उनसे कहा जाये कि वह अपनी रिपोर्ट पेश करें।

श्री नूरा : गिरधारीलाल जी जो कांग्रेस के थे उनकी बात कह रहा हूं। गिरधारीलाल जी व्यास।

इतनी बात कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर सर, जो माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं हैं वह अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें।

(श्री मूलचन्द डागा)
उन्होंने जगह छोड़ दी और उनका चेहरा ही बदल गया तो हम खतरे में पड़ गये। उनको अपनी जगह बैठा दें। अगर आपकी इजाजत ले ली है तो पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह अस्थाई रूप से बैठे हैं। वहां तो तभी बैठेंगे जब कि मुख्य मंत्री जी चाहेंगे।

डा. श्री हरिसिंह.

डा. हरिसिंह (फुलेरा) ; माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का अभिनन्दन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरिजनों की बात आज बहुत बड़ा प्रसंग है और हरिजनों की बात को लेकर जनता पार्टी से मुखालिफ पार्टियां रोजाना कोई न कोई दंगा फसाद करती रहती हैं। विधान सभा में भी अभी चर्चा हो रही थी हरिजनों के मामलों को लेकर और स्ट्राइक के मामलों को लेकर कि उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज यह एक बर्निंग टापिक है आप यह मानकर चलिए कि जनता पार्टी का, हमारा तो मालिक ही हरिजन है। जगजीवन राम जी डिफेन्स मिनिस्टर हैं, आप सोचिये इस बात को...

(व्यवधान)

यह इंट्रप्शन बन्द करा दीजिए, समय बहुत ही कम है। समय कम निर्धारित है।

सुरक्षा का भार हरिजन को दे दिया। राजस्थान के लॉ एण्ड आर्डर का भार भी हमने हरिजन को दे दिया, बड़े एफिशियेन्ट हैं माननीय सम्पतराम जी....

श्री मूलचन्द डागा : जनता सर्टिफिकेट देगी, आप मत दीजिए।

डा. हरिसिंह : और फिर दो दो केन्डीडेट्स हैं हरिजनों के। यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक मंत्री का सवाल है, जहां तक एम. एल. एज. का सवाल है हरिजनों को हमने आगे लाने की बात कही है। लेकिन इस बात का समर्थन करूंगा कि जो आम हरिजन गांवों में रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जनता सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर ऐसी हालत रही जैसी गांवों में मौजूदा हालत है तो हरिजन जनता सरकार के साथ नहीं रहेंगे, मंत्री जी जरूर रह जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सुनहरी अक्षरों में लिखने लायक है।

डा. हरिसिंह : जैसी कि चर्चा हरिजनों की हो रही है, उस वक्त की सरकार ने किसानों को गुमराह करके अपने साथ रखने की कोशिश की और किसानों को गुमराह करके, व दो ग्रुप्स में डिवाइड करके कम्युनल बेसिस पर कांग्रेस के साथ लिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कल का धरती का धनी धरती का बेटा बनने के लिये तैयार हो तो आपको क्या एतराज है? उस वक्त के धरती के धनी को आगाह कर देना चाहता हूं, निःसंकोच धरती का बेटा बनने की कोशिश करे। अगर वे नहीं करेंगे तो यह देश के हित में नहीं होगा, उनके खुद के हित में नहीं होगा। लेकिन इस बात की दुहाई देता हूं कि कोई आदमी किसी भी वक्त धरती का बेटा न बन जाये किसान के लिये आप कहते हैं कि

# Page No 80

(8०)



(डा.. हर्गोसिंह)

किसान की सुनवाई नहीं होती है। हमारे मुख्य मंत्री जी किसान हैं। और आपको क्या चाहिये? इससे बड़ा स्पष्ट उदाहरण हरिजन और किसान के लिये राजस्थान विधान सभा और कोई नहीं दे सकती, कोई चिल्लाये तो चिल्लाये।

थोड़े में मैं खत्म करता हूं।

मेजर साहब ने अन्त्योदय योजना की बात की है। मैं एक बात मानता हूं किसी भी विकास के लिये ग्राम का सामूहिक विकास आवश्यक होता है आदमी के विकास से विकास नहीं होता। एक परम्परा बन गई है, हम कुछ नारेबाजी में, खटकेबाजी में चाहे किसी का हो, उसमें विश्वास करते हैं। अन्त्योदय योजना एक अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है इसको पूरा करने के लिये जैसा कि मेजर साहब ने कहा, सूडो प्रेगनेन्सी, सूडो प्रेगनेन्सी नहीं सिर्फ प्रेगनेन्सी कहेंगे, प्रेगनेन्सी के बाद डिलिवरी हो। यह काम करने के लिये सरकार को इस मामले में अपनी पालिसी स्पष्ट करनी पड़ेगी।

अब सवाल तो कई हैं परन्तु ग्राम विकास की बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। ग्रामों की अवहेलना 30 साल से ही नहीं हजारों सालों से होती आ रही है। हमेशा से जो आदमी शहरों में रहते हैं उनका पलड़ा भारी रहता है। आपको मालूम है कि राजस्थान की 82 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हिन्दुस्तान के 80 और 78% के स्टेटिस्टिक्स हैं। खास तौर से उस इलाके में, जो अरावली के उत्तर और पश्चिम में पड़ता है, पीने का पानी नहीं है। वहां जो पशुधन है, उनको पिलाने के लिये पानी नहीं है। वहां जो आदमी हैं, उनके खाने के लिये अनाज पैदा नहीं होता। साल दर साल चम्बल जाते हैं और खानाबदोशों की तरह फिरते रहते हैं। पिछले साल कुछ एक लोग पशुओं को लेकर मध्यप्रदेश गये क्योंकि वे कोटा के रास्ते से जाना चाहते थे वह रास्ता बन्द कर दिया। खानाबदोशों की जिन्दगी से उनको बचाने के लिये लिफ्ट कैनाल इरिगेशन का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। बड़ी गम्भीरता से सोचें। आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के साथ पानी का बटवारा हुआ था। राजस्थान के हिस्से में भी आया था। उस वक्त 78 पर्सेंट इन्टेन्सिटी के हिसाब से राजस्थान कैनाल का जो मौजूदा एरिया है, उसका इरिगेशन होना था। बाद में विचार हुआ, पक्की नहरें बनीं, राजस्थान कैनाल सारी पक्की बनी परन्तु राजस्थान कैनाल की केपेसिटी 110 पर्सेंट इन्टेन्सिटी के हिसाब से है। अब ओरिजिनल प्लान 78 पर्सेंट इन्टेन्सिटी से लिया जाये तो लिफ्ट कैनाल के लिये चूरू, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर मे 78 पर्सेंट इरिगेशन दो मिलियन हैक्टेयर लैण्ड में हो सकती है। राजस्थान का तमाम एरिया 11 मिलियन हैक्टेयर है। अब सरकार ने यह घोषणा की है, जो न्यूज पेपर्स में पढ़ी है, इसमें कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि न्यूज पेपर्स की बात सही थी, लिफ्ट इरिगेशन इकोनामिक नहीं है इस लिये ड्राप कर दिया है। ग्रामीण विकास के मामले में यह आमदनी और लागत का हिसाब लगाते हैं और दूसरे मामलों में हिसाब नहीं लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. जितनी सड़कें बनाती

(डॉ. हरी सिंह)

हैं और जितनी मोटरें हैं उतनी संख्या से क्या उसमें भाग दिया जाता है ? लूणकरणसर, बीकानेर लिफ्ट कैनाल 60 मीटर लिफ्ट करती है, और चूरू वाली भी 65 मीटर्स लिफ्ट करती है । जोधपुर 74 मीटर्स लिफ्ट करती है बाड़मेर और नागौर कुछ ज्यादा हैं तो वह जब इकोनामिक हो सकती है तो यह दोनों एरिया में इकोनामिक क्यों नहीं हो सकती ? बोरूंदा में लिफ्ट करके हो सकता है । जब प्राइवेट ट्यूब वेल्स इकोनामिक हो सकते हैं तो लिफ्ट कैनाल सामूहिक तौर से जरूरी हो गया है, यह मेरी मान्यता है । इसके लिये लागत और आमदनी का हिसाब नहीं होना चाहिये । वहां के लोगों को कितना पानी मिलेगा, इसका हिसाब होना चाहिये । उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पेय जल योजना में इतना पैसा लगायेंगे, तो इस लिफ्ट इरिगेशन में क्या होगा । आप कमिटेड हैं इस बात से कि गांवों को पीने का पानी देंगे पशुओं के लिए और आदमियों के लिए । फिर अगर कैनाल लिफ्ट इरिगेशन वहां ले जायं तो उनका चारा और उनके खाने का नाज वहां पर पैदा हो जाय तो यह डेजर्ट हराभरा हो जाय । डेजर्ट अगर हराभरा हो गया तो ग्राम का विकास हो गया और किसानों का विकास हो गया । इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि लिफ्ट इरिगेशन कैनाल के मामले में सरकार अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करे कि उसका क्या इरादा है ।

जहां तक भू–राजस्व संबंधी अभियान का सवाल है 1.37 लाख व्यक्तियों को खातेदारी राइट्स दे दिये हैं । इसके अतिरिक्त आपने बताया है कि 62 हजार व्यक्तियों को लैण्ड का अलाटमेंट किया है। लैण्ड अलाटमेंट के 62 हजार के आंकड़े तो हो गये । यह सुनने में तो बड़ा सुन्दर लगता है, लेकिन कितने बीघा हर एक को अलाट किये – सवा या आधा बीघा ? आप जो यह कहते हैं कि 62 हजार आदमियों को फायदा हुआ है, यह मिथ्या है। मैं अपने क्षेत्र और 10–5 कान्स्टीट्यूएन्सी के क्षेत्र के बारे में जानता हूं जहां जमीन तो रही नहीं थी क्योंकि अलाटमेंट तो पहले वाली सरकार कर गई थी । आपने तो पाव या आधा बीघा का अलाटमेंट किया है । इस तरह का तो अलाटमेंट आप कर रहे हैं और आप यह कहना चाहते हैं कि हमने 62 हजार लोगों को जमीन का आवण्टन कर दिया है । हाउस में इस तरह की बातें आप करते हैं तो मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि आपको यह भय था कि आप अपनी पोल ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकेंगे । आपकी यह पोल किसी दिन खुल न जाय इसलिए आपने इन आंकड़ों से धोखा दिया है ।

फ्लड एरिया की बात कहता हूं । फ्लड भरतपुर में आते हैं । फ्लड वाले एरिया में खेती बरबाद हो जाती है । खेती इस साल नहीं हुई है । सूरतगढ़ के पास झीलें बन गई हैं । फिर भी लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, न उनको मत्स्य-पालन का अधिकार दिया जा रहा है ।

बिजली की बात से किसान जितना परेशान है उतना कभी किसी बात मे नहीं हुआ । जैसा परेशान आज वह इससे हो रहा है मैं तो यह कहता हूं कि वह सामन्तों से भी वैसा परेशान नहीं हुआ होगा । बिजली से जितनी तकलीफ किसान को हुई है उतनी किसी से

(डॉ. हरिसिंह)

नहीं हुई। उससे मिनिमम चार्जेज लिये जाते हैं और उसको बिजली नहीं दी जाती है। आपने कहीं भी यह तमाशा मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा कि चीज भी नहीं दी गई और पैसा ले लिया....

एक माननीय सदस्य : यहां हो रहा है।

डा. हरिसिंह : मीटर जल जाते हैं बिजली विभाग की गलती से और मोटर का पैसा ले लिया जाता है किसान से यह मेरे साथ हुआ है। मैंने दो-दो दफा दरख्वास्तें दीं कि मेरे खेत का मीटर बन्द पड़ा हुआ है आप कृपा करके ठीक कर दें वरना यह जल जायगा। अन्त में वह जल गया तो मैंने टेलिफोन किया एक्स. ई. एन. को कि आपकी गलती से मीटर जल गया है, मेरी बिजली बन्द हो गई और फसल नष्ट हो गई। तो वह कहते हैं कि एवरेज चार्ज लग जायगा। मैंने कहा कि एवरेज चार्ज तो लग जायगा लेकिन 200 रुपये मीटर के कौन देगा ? वे कहते हैं कि साहब, आपको देना पड़ेगा। गलती तो उनकी और 200 रुपये मुझे देने पड़े। तो ऐसी हालत हुई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो बिजली से किसान बड़ा परेशान है। सरकार ने यह घोषणा की है कि हम बिजली की रेट में कमी करने की बात सोच रहे हैं। मैं कहता हूं कि सोचने में इतनी देरी नहीं करनी चाहिये जिससे कि किसान रूठ जाय। रूठे हुये किसान को हम मना सकते हैं तो उसके रूठने से पहले उसको बिजली उपलब्ध करा दी जाय तो वह मान जायगा, वरना बिजली वाला मामला जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा करेगा जो कि नसबन्दी ने कांग्रेस की की है।

उपनिवेशन के क्षेत्र में सरकार ने कहा है कि 90.5 पर्सेन्ट आवन्टियों को कब्जा दिला दिया गया है और 85 पर्सेंट व्यक्तियों ने अक्टूबर 1977 तक आवंटित भूमि पर काश्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपने यह नहीं कहा कि इतनी जमीन बड़े किसानों से ली है और अलाटमेंट उन किसानों को किया जा रहा है जो कि भूमिहीन और गरीब हैं। पहले उस जमीन के 17 हजार रुपये लिये जाते थे और अब उसकी रेट 34 हजार कर दी है। मैं समझता हूं कि इसको आपको अन्त्योदय योजना में शामिल कर लेना चाहिये था क्योंकि यह भी किसानों के उदय में ही शामिल है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक सैकण्ड में खत्म कर देता हूं।

अगर सरकार ग्राम–विकास करना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। रूरल डवलपमेंट के आधार हैं (1) पानी–पीने का पानी उसके लिये, उसके पशुओं के लिए और खेती के लिए। (2) पावर-बिजली सिंचाई के लिये और लघु उद्योग-धन्धों के लिए, (3) ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसानों को, ग्राम के आदमियों को आवागमन की सुविधा, हर जगह माल लाने ले जाने की नहीं रहेगी तो उसका विकास नहीं होगा। (4) एजूकेशन, (5) रूरल इन्डस्ट्री, (6) मेडिकल फेसिलिटीज,

(डा. हरि सिंह)

(7) बैंकिंग क्रेडिट ग्रोन लो रेटस्। यह लिमिटेड पाइन्ट्स जब तक कारगर ढंग से लागू नहीं करेंगे तब तक ग्राम विकास नहीं हो सकता है चाहे वह ग्रन्त्योदय योजना हो, चाहे गांधी जी का नाम लें, चाहे जयप्रकाशजी का नाम लें। इसलिये मैं सरकार से ग्रर्ज करता हूं कि इन पाइन्टस को गांवों में कारगर ढंग से फेज प्रोग्राम बनाकर कमिटेड टाइम के ग्रन्दर लागू करना चाहिए।

सड़कों के मामले में जैसा कि कहा है कि 5 हजार की ग्राबादी के कस्बों को जोड़ेंगे लेकिन यह नहीं कहा कि कितने साल में जोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि दो साल में जोड़ दें। यह वचनबद्ध हों। जब तक सरकार वचनबद्ध न हो तब तक ग्रभिभाषण में हम क्या करने जा रहे हैं यह शामिल नहीं होगा।

ग्रन्त में, भाई माणक जी सुराणा ने जो ग्रभिभाषण के ऊपर धन्यवाद का प्रस्ताव मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि इसका समर्थन सही रूप में मेरे ग्रपोजिशन के भाई भी करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कल्याणसिंह सांखला।

**श्री कल्याणसिंह सांखला (ग्रजमेर पूर्व)**: उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर जो सुराणाजी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्री शंकरलाल (जैतारण)** : यह तो मालूम ही है।

**श्री कल्याणसिंह सांखला** : महामहिम राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों ग्रौर गरीब लोगों के लिए जो योजना लागू की है वह स्वागत के योग्य है। आज कुछ मेरे पूर्व वक्ताग्रों ने इस बात की ग्रोर ध्यान दिलाया कि यह पुरानी योजनाएं सरकार ने लागू करके कौन सा बड़ा काम किया है। उन साथियों के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि क्या पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इन योजनाग्रों से परिचय कराया था? क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रचार किया गया ग्रौर क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाग्रों को दिलाने की कोशिश की गई? 20 हजार लोगों को पेन्शन दी गई ग्रौर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रपंग लोगों को इस ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया गया। ग्राप इस कार्य की सराहना करने के बजाय ग्रालोचना करना चाहते हैं तो यह उचित बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा यहां पर ग्रभिभाषण पढ़ा गया उसमें राज्य सरकार के ग्रगले वर्ष के लिए कार्यों की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया गया है। उस ग्रोर मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। इस ग्रभिभाषण में यह बात कही गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नये नये उद्योग-धन्धे खोले जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह दुर्भाग्य रहा है कि राजस्थान में जितने भी नये नये उद्योग धन्धे लगे हैं उनमें ज्यादातर तकनीकी कार्यकर्ता राजस्थान के बाहर के लोग ग्राये हैं ग्रौर उनको ही नौकरियां मिली हैं, राजस्थान के लोगों को स्थान नहीं मिला। इसका क्या कारण है? इसका एक तो यह कारण है कि तकनीक

Page No 84

(८५)



(श्री कल्याणसिंह सांखला)

कम संख्या में वैसे ही तैयार किये जाते हैं और ऊपर से नौकरी नहीं मिलती है। आज राजस्थान में जितने पोलीटेक्निक स्कूल हैं, उनमें लम्बे समय से हड़ताल चल रही है। उनकी तरफ इसलिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाय। मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर कोई उचित कदम उठायें और राजस्थान के पोलीटेक्निक स्कूलों की दशा को सुधारें जिससे राजस्थान में औद्योगिकरण के लिये आने वाले समय में हमें सही और योग्य तकनीकी मिल सकें।

दूसरा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गृह विभाग के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था और उसके उत्तर से एक बात का पता लगा कि 1150 सब इन्सपेक्टर्स केडर के लोगों में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं जो इस प्रश्न पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, उनका 30 वर्ष का शासन काल रहा, उन लोगों ने ही 28 पर्सेन्ट के कोटे की पूर्ति क्यों नहीं की ?

**श्री मूलचन्द डागा :** काहे की पूर्ति ?

**श्री कल्याण सिंह सांखला :** 28 पर्सेन्ट की, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति का कोटा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विभाग की स्थिति नहीं है, बल्कि प्रत्येक विभाग की यही स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार सचेत होकर प्रबन्ध करे और शीघ्रता से करे। जो संरक्षण उनको मिला हुआ है नियमों में, उसकी पूर्ति करे। सरकार इस बात की जांच करे कि आज की तारीख में यह पूर्ति क्यों नहीं हुई, इसमें किनका हाथ था और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में मछली पालन के सम्बन्ध में जिक्र किया गया है: किन्तु अजमेर का नाम नहीं लिया गया है। मेरा निवेदन है बिना पानी के मछली कहीं पैदा होती है ? बरसात का पानी गिरता है तो अजमेर के अधिकारियों को यह चिन्ता रहती है कि उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाय। उस पानी को जल्दी निकालने की चिन्ता रहती है, यह ठीक है क्योंकि अजमेर बाढ ग्रस्त हो जाता है और काफी बस्तियों में पानी फैल जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि उस पानी को कैसे स्टोर किया जाय। छोटे छोटे बान्ध और तालाब बनाये जाय ताकि मछली पालन का धन्धा भी हो सके। यह किये बिना कैसे मछली का उत्पादन होगा।

पानी के लिये अजमेर को परेशानी बनी रहती है। इस सम्बन्ध में बनाई गई वर्षों पुरानी योजना भी खटाई में पड़ी है। उस योजना को हर वर्ष किसी तकनीकी कारण का सहारा लेकर या और कोई बहाना बनाकर टाला जा रहा है। मेरा निवेदन है उस योजना को युद्ध स्तर पर निपटाया जाय ताकि अजमेर की जो बहुत बडी समस्या है उसका समाधान हो सके। यहां मरु प्रदेश की भी बात कही गई, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र विशेष के लिये वहां का व्यक्ति विशेष कोई बात कहता है तो बात

(श्री कल्याण सिंह सांखला)
अलग है लेकिन अजमेर एक ऐसा स्थान है–आज भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से अजमेर को गौण रखा गया है लेकिन अजमेर को भूगोल ने महत्व दिया, इतिहास ने सिद्ध किया। अब तक जो राजा व मुगल बादशाह हुये हैं, उन्होंने भी अजमेर के महत्व को माना है। अंग्रेज भी यहां आये, उन्होंने भी अजमेर के महत्व को समझा है और उचित स्थान दिया है। 1172 में पृथ्वीराज ने अजमेर को राजधानी का दर्जा दिया था और दिल्ली एक सूबा बना हुआ था लेकिन आज दिल्ली हमारे हिन्दुस्तान की राजधानी है और अजमेर केवल राजस्थान का एक जिला बनकर रह गया है। हमारे देश वालों ने ही नहीं बल्कि विदेशियों ने भी इस सम्बन्ध में क्या कहा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस मसले में तो काफी समय ले लेंगे।

श्री कल्याण सिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, फ्रांस के प्रधानमंत्री कालमेनशु ने अपनी जीवनी में लिखा है कि यदि मुझ पर यह छोड़ा जाता तो मैं हिन्दुस्तान की राजधानी अजमेर को चुनता। आर्थर लोथियन ने अपनी किताब में लिखा है कि अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाकर गलती की है। अजमेर ऐसा स्थान था जो हिन्दुस्तान की राजधानी बन सकता था। पानी के लिए जो उस समय सर्वे हुआ था, वह आज तक पूरा नहीं किया है। आज अजमेर की क्या स्थिति बनती जा रही है, आज अजमेर कहने को तो डिविजन का नाम है; लेकिन वास्तविकता में नहीं है। डी. आई. जी. अजमेर रेन्ज है लेकिन उसका कार्यालय जयपुर में रखा है, इसी प्रकार आई. जी. रेन्ज, अजमेर और आफिस जयपुर में मिलेगा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अजमेर रेन्ज और आफिस जयपुर में मिलेगा, आर. टी. ओ. अजमेर रेन्ज आफिस जयपुर में उप निदेशक (छात्रा) शिक्षा अजमेर रेंज जयपुर में। तो मेरा निवेदन यह है कि हम बड़े शहरों पर भीड़ दूर करना चाहते हैं। जिस स्थान पर कार्य होने चाहिये, सरकार को उसके आफिस यथास्थान पहुंचाने चाहिये। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा न हो। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अजमेर की पानी की समस्या है, उसे युद्ध स्तर पर हल किया जाय।

इतना ही कहकर मैं माननीय सदस्य सुराना जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा गया है, उसके समर्थन में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जनता पार्टी के छोटे से शासन काल में जो उपलब्धियां हुई, उनके विषय में संकेत दिया है। राजस्व अभियान और अन्त्योदय योजना ये दो इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनके विषय में आज सबने चर्चा की है। धन्यवाद प्रस्ताव का जो विरोध कर

(86)



(श्री बिरदमल सिंघवी)

रहे हैं उन्होंने भी इसकी चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों बहुत महत्व की योजनायें हैं और इनका असर सब जगह पड़ा है। एक बहुत बड़ा भारी असर इन योजनाओं का पड़ा है। जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों ने भी विरोध में केवल दो बातें कहीं। एक बात तो यह कही भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कि यह जनता सरकार का मूल चिन्तन नहीं था, चिन्तन तो कांग्रेस का था, कांग्रेस ने पहले से ही इस कार्यक्रम पर चिन्तन किया था। दूसरा जो आरोप लगाया है वह यह कि अमल में कुछ गड़बड़ियां रह गई हैं। दोनों इस प्रकार के आरोप हैं, श्रीमान्, जो यह प्रगट करते है कि वास्तव में ये योजनायें ठीक थीं। आज कांग्रेस पार्टी मूल चिंतन का अधिकार पाना चाहती है, कांग्रेस इन योजनाओं को प्रेरित करने का अपना श्रेय लेना चाहती है तो यह मानना पड़ेगा कि ये योजनायें ठीक थीं इसीलिए आज इन योजनाओं के प्रेरक बनने की बात कही है। कोई भी बात हो, हम मान लेते हैं कि कांग्रेस ने इन योजनाओं को प्रारम्भ किया होगा तो भी यह स्पष्ट है कि ये योजनायें ठीक हैं और अगर हम इनको ठीक मानते हैं, इनमें विश्वास करते हैं तो सारे सदन के सभी माननीय सदस्यों को इन योजनाओं के अन्दर के राजस्थान विकास के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रदेश का विकास जनता और जन प्रतिनिधियों के सामुहिक प्रयत्नों पर निर्भर है। योजना कौन लाया है, किस पार्टी से आई है इसका कोई महत्व नही है। योजनायें राजस्थान में आई हैं, योजनायें राजस्थान की जनता की गरीबी को मिटाने के लिए हैं तो हमें सभी को सम्मिलित रूप से मिल कर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। केवल हमें तो विरोध करना है, केवल विरोध के लिए विरोध करने का दृष्टिकोण रख कर चलें यह उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि योजनायें किस प्रकार से आई, किधर से आई, इसकी कोई चिन्ता नहीं करके राजस्थान के विकास में एक साथ आगे बढ़ें, इस प्रकार की बात करें।

महामहिम राज्यपाल ने यह कहा है कि सरकार इस अभियान की उपलब्धि की समीक्षा कर रही है। हम अभियान की जो कुछ उपलब्धि हुई है उसकी समीक्षा करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि समीक्षा किस प्राकार से होगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा की यह समीक्षा केवल नौकरशाही के भरोसे ही नहीं हो। नौकरशाही के झूठे आंकडों के भरोसे न रहें। वह किस प्रकार के आंकडे देती है यह हमने देख लिया और इसके नतीजे इन्दिरा गांधी भुगत चुकी हैं। हमें जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इन उपलब्धियों की समीक्षा करनी चाहिए।

जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना कर इस प्रकार की समीक्षा की जावे कि वास्तव में इस अभियान से कितना प्राप्त कर पाए हैं, कितना प्राप्त कर सकते थे और कितना प्राप्त करना चाहिए और आगे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर इन सब की

(श्री विरदमल सिंघवी)

समीक्षा करें। मेरा निवेदन है इस विषय में कि हम इन उपलब्धियों की जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस सारी बात की समीक्षा करें।

दूसरी बात अन्त्योदय के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करनी है। इसका वाकई हमको विश्वास करना पड़ेगा कि हमने अन्त्योदय में गरीब से गरीब लोगों को चुना है जब गरीब से गरीब को चुना है तो केवल एक गाय या एक भैंस दे देने से ही काम नहीं चलेगा। गाय और भैंस को पालने के लिए चारे की व्यवस्था भी हमें देखनी होगी। यह एक कन्टीन्यूड योजना है, इसका विचार करना होगा। उसको एक खेत दे दिया लेकिन उस पर फसल कैसे लेगा, बीज का प्रबन्ध कैसे करेगा, हल का प्रबन्ध कैसे करेगा यह सब देखना होगा। नहीं तो जमीन दी हुई भी बेकार जाएगी और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अन्त्योदय योजना केवल एक बार कोई खेत दे दिया, कोई और साधन दे दिया और चुप हो जायं, इस तरह से छुटकारा नहीं पायें। जिन परिवारों को चुना है उनको बराबर देखते रहें जब तक कि वह पावर्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ जाते हैं। जब तक गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं चले जाये तब तक बराबर कोशिश करें। एक बार कुछ दे देने से सब कुछ नहीं होगा। इस विषय में भविष्य के लिए भी बराबर ध्यान रखें।

श्रीमान्, मैं आपके द्वारा राजस्थान नहर के विषय में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। राजस्थान नहर हमारे प्रदेश के लिए खुशहाली की बहुत बड़ी नहर हो सकती है। राजस्थान के भाग्य को बदल सकती है। राजस्थान नहर के निर्माण की बात जब दिमाग में आई थी उसी समय यह बात सामने आ गई थी कि राजस्थान नहर से राजस्थान का भाग्य बदल जाएगा। राजस्थान जो सबसे गरीब समझा जाता है, राजस्थान जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता है उसके उद्धार के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान नहर का निर्माण आवश्यक है। राजस्थान नहर बन गई, हरा भरा उसका इलाका हो गया तो आज हम कहते हैं कि राजस्थान में वित्तीय साधनों की कमी है। वित्तीय साधनों के अभाव में हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं, हम अस्पताल नहीं खोल सकते, सड़कें पुलियायें नहीं बना सकते, वह सब खतम हो जायेंगी और राजस्थान खुश हाल बन जाएगा। बार-बार जो यह बात कही जाती है वित्तीय साधनों के अभाव की, हम बराबर इसको सुन रहे हैं तो यह तभी मिट सकती है जब कि राजस्थान नहर को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जावे, प्राथमिकता के तौर पर इसको पूरा किया जावे तभी में इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान दें।

लिफ्ट सिंचाई के विषय में प्रारम्भ में कहा गया था और जो एग्रीकलचर कमीशन था उसने भी यह सुझाव दिया था कि राजस्थान की भलाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन की योजना ठीक रहेगी। जब इस लिफ्ट सिचाई योजना के परिवर्तन करने की बात सामने आयी है। कहा जा रहा है की लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता नहीं

(श्री विरदमल सिंघवी)

है। लेकिन इसको कौन अधिकारी कह रहे है? ये ही नौकर शाही के लोग, वे इन्जीनियर जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों ने मनमाने तौर पर सोच लिया कि कौन महनत करेगा कह दो कि लिफ्ट इरिगेशन ठीक नहीं है। केवल इनकी राय पर नहीं चलना है। इसमें मेरा निवेदन है कि लिफ्ट सिंचाई योजना के सम्बन्ध में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसको स्थगित करना कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करें। केवल कुछ लोगों ने रिपोर्ट दे दी और आपने कर, दिया यह उचित नहीं होगा। इस विषय में उस क्षेत्र के, नहरी क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को साथ में लिया जावे, एक्सपर्ट्स को भी साथ में लिया जावे और इस पर गंभीरता से सोचा जावे कि लिफ्ट सिंचाई का कितना असर पड़ेगा, कौन-सा एरिया नहीं आ सकेगा, कौन-सा एरिया जुड़ सकेगा, कितने पानी का असर पड़ेगा, कितना पानी वेस्टेज होगा। यह सब तभी सामने आ सकता है जब हम सारी बातों पर गंभीरता से विचार करें। हम सब मिलकर रिपोर्ट करें। एक्सपर्ट्स की टीम बैठे और साथ में जन प्रतिनिधि भी रहें। मैं समझता हूं कि लिफ्ट सिंचाई के विषय में, इसको छोड़ने के पहले पूरा विचार किया जावे।

श्रीमान्, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा न्याय के सम्बन्ध में। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में न्याय के सम्बन्ध में अधिक नही कहा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना जनता पार्टी की घोषणा का एक अंग है। मगर आज दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजस्थान में छः छः हाई कोर्ट् जजेज की जगह खाली हैं और उनको भरने का आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। छः जगह खाली होने से हाई कोर्ट में एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, बैंचें बनती नहीं हैं और आज भी इन छः जगहों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार को इसके लिए दबाव डालना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेज की जगह शीघ्रातिशीघ्र भरवायी जावें। आज राजस्थान के अन्दर भी बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं। कोई कारण नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज की जगह भरने के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़े। यहां पर भी प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। कोई कारण नहीं कि बाहर से लोग बुलाये जावें। यहां के लोगों को अवसर दें। यहां के लोग हाई कोर्ट में जजेज होंगे तो हाई कोर्ट का काम भी ठीक प्रकार से होगा। हाई कोर्ट का काम भी निपटेगा। इसके साथ ही रेवेन्यू कोर्ट्स में भी हमने सस्ता न्याय दिलाने की बात कही थी। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि अफसर लोगों को एक्जीक्यूटिव वर्क रहता है, वे लोग बाहर चले जाते हैं, टूर पर चले जाते हैं और ग्रामीण लोगों को चक्करबाजी होती है। हमने इस पर विचार भी किया था, पहले भी भंडारी कमीशन बैठा था और उस समय भी यह विचार सामने आया था कि रेवेन्यू कोर्ट्स को भी जुडिशियल कोर्टस के अन्दर दे दिया जाय। इनको ज्युडिशियरी के अण्डर में दे दिया जाय। मगर आज तक उस विषय पर विचार नहीं कर पाये हैं। मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कि रेवेन्यू कोर्ट्स भी ज्युडिशियरी के नीचे आयें, विचार किया जाय

(श्री विरदमल सिंघवी)

और सभी वास्तव में सच्चा और सस्ता न्याय मिल सकेगा। केवल न्याय मिलना ही पर्याप्त नहीं है इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न हो कि हमें न्याय मिलेगा, न्याय में किसी का इन्टरफियरेंस नहीं होगा, एक्जीक्यूटिव का इन्टरफियरेंस नहीं होगा। इसके लिए रेवेन्यू कोर्टस को ज्युडिशियल कोर्टस के अन्दर में शीघ्रातिशीघ्र ट्रांसफर करने के विषय में विचार करना चाहिए। श्रीमान, जुडिशियल आफिसर्स ही नहीं, इन लोगों को भी शीघ्र लगाने की बात निवेदन करना चाहता हूं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जोधपुर नगर में रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी में सब प्रकार की अपीलें होती हैं। रेवेन्यू कोर्टस में बोर्ड आफ रेवेन्यू के बाद यह सबसे ऊंचा महकमा है लेकिन रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी में जो पिछले दो तीन महीनों से वहां कोई आफिसर नियुक्त नहीं है। सारे महकमों की अपीलें वहां पर होती हैं, स्टे दिलाना हो, पी.डी.आर. के केसेज में स्टे लेना हो, पंचायतों के केसेज हों, सब तरह के केसेज वहां पर आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा समय और लूंगा। म्यूनिसिपेलिटीज के केसेज, सब प्रकार के स्टे लोगों को लेने होते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर शीघ्र ही नियुक्ति की जावे।

इसी प्रकार से डिप्टी कमिश्नर टैक्सेज अपील्स हैं, उनके पास चार हजार अपीलें पेंडिंग हैं टैक्सेज की। पिछले पांच छः महीनों से कोई मुकर्रर नहीं वहां पर। इस कारण से टैक्सेज की अपीलों में भी केसेज इकट्ठे होते जा रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार पनपता है। लोग देखते हैं कि अपील पर फैसला तो जब होगा तब होगा, न मालूम अपील में कितना समय लगेगा, स्टे मिलेगा या नहीं, इसलिए अपना काम निपटाने के लिए भ्रष्टाचार की ओर मुड़ते हैं, रिश्वतें दी जाती हैं, यह सोच कर कि किसी प्रकार से अपना काम निपटा लो। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि जुडिशियल फंक्शन्स में शीघ्रातिशीघ्र किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाये। कोई स्थान रिक्त न रहे, इसकी व्यवस्था की जावे। श्रीमन, आज जिस समय मरुप्रदेश की मांग पर चर्चा की गयी, उस समय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। कोई कमी होगी तो उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। श्रीमान्, जो मरुप्रदेश की मांग करते हैं, उन्होंने पिछले 30 वर्षों में क्या किया है? जिन्होंने यह मांग रखी है, उन्होंने क्या किया है? जो मारवाड़ की उपेक्षा हुई है, उसका कारण कौन है? जोधपुर से कई चीजें बाहर ले जाई गई। हाई कोर्ट बेंच चली गई, स्कूटर का कारखाना नहीं लगा, ट्रेक्टर का कारखाना नहीं लगा, उसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिम्मेदार हैं जो आज आग लगाने पर उतारु हुए हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

श्री मूलचन्द डागा : गुमानमल जी लोढा हैं।

श्री विरदमल सिंघवी : मैं निवेदन कर दूं, वह लोढा जी नहीं हैं। यह वही लोग

(श्री बिरदमल सिंघवी)

हैं जो आज यह मांग कर रहे हैं। लोगों को इस प्रकार की फीलिंग नहीं होनी चाहिए।

मैं सदन का कुछ और समय लेना चाहूंगा। जोधपुर में पेय जल की समस्या भयंकर है। जोधपुर में यह एक समस्या है जिसके लिए शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह समय आ सकता है, जब लोगों का पेयजल के अभाव के कारण अपने बिस्तर लेकर जोधपुर छोड़ कर जाना पड़े। आधे-आधे घण्टे नल चलते हैं। पड़ोसियों के यहां जाकर पानी भरना पड़ता है।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

जोधपुर शहर की यह स्थिति है। वहां पर पानी लाने के लिए नहर है उसकी जगह सीमेंट के पाइप लगाने चाहिए। सीमेन्ट के पाइप पर खर्च कर इस समस्या को दूर करना होगा। इसके सिवाय जोधपुर में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से व्यवस्था हो सकती है। इतना ही कह कर मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हरचन्दसिंह।

**श्री मूलचन्द डागा :** उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका नम्बर बाद में आयेगा।

**श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण के पैरा संख्या 11, 12, 13 और 14 के बारे में मैं निवेदन करूंगा। इसमें अन्त्योदय योजना का जिक्र किया गया है। अन्त्योदय योजना में 5 गरीब परिवारों को ऋण देने की व्यवस्था की गई है। 10 हजार लोगों की बैंक में दर्ख्वास्तें हैं। इस तरह से इस योजना में 1 लाख 65 हजार परिवार शेष रहे। उनकी क्या गति होगी? उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो गरीब और कमजोर वर्ग के हैं, उनकी भूख जगा दी गई है। लेकिन अब भूख जगाने के बाद उनकी क्या गति होगी, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार से जानना चाहूंगा। गांवों के अन्दर जब भी पैर रखते हैं तो वह लोग हमारा गला पकड़ते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** अभी आपका गला नहीं पकड़ते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** अभी टाइम नहीं आया है।

**श्री हरचन्द सिंह :** राजस्व अभियान के बारे में निवेदन करूंगा। राजस्व मंत्री जी जन्म से मंत्री है और कर्म से मंत्री हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** ओहो! कर्म से मंत्री!

**श्री हरचन्द सिंह :** गंगानगर में और बीकानेर जिले में खातेदारी हकूक देने के बजाय कॉलोनाइजेशन महकमे ने प्राक्यूपेंसी राइट कम कर दिए हैं। अधिघोषणा जारी कर दी कि वह प्रापर्टी ट्रान्सफरेबल नहीं है। इससे उनको बहुत क्षति पहुंचती है। उनको अधिकार नहीं है कि वह अपनी खातेदारी को बेच सकें। जिनको खातेदारी हकूक दिये

(श्री हरचन्द सिंह)
ये उनके हकूक के बारे में सोचा जाये। मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं होना एक बड़ी भूल है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कोई कदम उठायें।

भू-सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पैरा नम्बर 10 में भू-सीलिंग के बारे में बात कही गई है। मुझे अफसोस है कि चुनाव में जनता से हमने जो वायदा किया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह अफसोस की बात है। भू-सीलिंग के द्वारा देहात में सम्पत्ति की सीमा बांध दी जाये। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समाजवादी नीति के अनुसार सरकार को शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधनी चाहिये।

पैरा 49 में पेयजल योजना का जिक्र किया गया है उसमें 181 नगरों में से 179 नगरों में पेयजल योजना कम्पलीट करना बताया गया है। दो पर कार्य चल रहा है। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार शहरों के विकास की बात करती थी लेकिन जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया था कि ग्रामीण योजनाओं पर जोर दिया जायेगा, 131 पेयजल योजनाओं पर ध्यान दिया जायेगा। इसमें कहा गया है कि 13 योजनायें लागू की गई हैं। लेकिन यह गलत है कि 300 गांवों को उस योजना का लाभ मिला है। अगर यह योजनायें चालू रखीं तो राजस्थान के गांवों में पानी पहुंचेगा। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, कम से कम 5 हजार या 7 हजार पेयजल योजनायें लागू करें और लोगों को लाभ पहुंचायें। तब ग्रामीण जनता को यह महसूस हो सकेगा कि वास्तव में जो कहा गया था, जो वायदा किया गया था, वह सच है। वरना तो वायदे पहले कांग्रेस सरकार ने भी किये थे। हमको यह परमिट पांच साल का मिला है इसलिए तेज गति से हम गांवों में पेयजल योजना को लागू करेंगे तो ठीक होगा।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : यह परमिट पांच साल का भी नहीं है।

**श्री हरचन्द सिंह** : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हम भ्रष्टाचार को खतम करने की बात करते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो यह घोषणा की है उसके साथ भ्रष्टाचार को खतम करने की कोई सुदृढ़ नीति नहीं दर्शाई। बार-बार राजस्थान सरकार के सामने ऐसी मिसालें पेश की गईं, भ्रष्टाचार और घोटाले की बहुत बड़ी तस्वीर पेश की गई लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप सदन के सामने रखें।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : यह कहेंगे कि भ्रष्टाचार खतम कर देंगे।

**श्री हरचन्द सिंह** : सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता के समान कोई जीती-जागती भ्रष्टाचार की तस्वीर नहीं होगी। ऐसा भी सवाल आया कि उनसे त्याग-पत्र मांग लिया जाय लेकिन पता नहीं इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मैंने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से पूछा था कि राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए इन्होंने चल और अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए कब-कब मन्जूरी ली लेकिन

(श्री हरचन्द सिंह)

इसका कोई जवाब नहीं आया। मुख्य सचिव का एक पत्र आया कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई, आप सबूत ले कर आयें। मैंने कोई शिकायत नहीं की थी, मैंने तो केवल यह सूचना चाही थी कि उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई घोटाले करके जो सम्पत्ति अर्जित की है क्या उसकी इत्तला राज्य सरकार को दी है। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों की ड्यूटी है कि कोई सम्पत्ति खरीदे या बेचे तो उसकी राज्य सरकार से मन्जूरी लेवे। उन्होंने राज्य सरकार से कोई मन्जूरी नहीं ली। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हटा देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भ्रष्टाचार खतम करने की बात ही करती है, भ्रष्टाचार को खतम करना नहीं चाहती। बीकानेर में एक साधुगंज कालोनी बनी हुई है, वहां पर भ्रष्टाचार की जीती-जागती तस्वीर है। मैंने निवेदन किया कि इनकी सम्पत्ति की जांच कराई जाय लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं तो पहले जो प्रशासन में भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको हटायें।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो 22 जून को खतम होगा।

श्री हरचन्द सिंह : नशाबन्दी के बारे में मेरा निवेदन करना यह है कि बीमारी कुछ और है और इलाज किसी दूसरी चीज का किया जा रहा है। मांग यह की गई थी कि गंगानगर जिले को ड्राई एरिया घोषित किया जाय लेकिन बीकानेर जिले को ड्राई एरिया घोषित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहा है, बड़ी समझ की बात कही है।

श्री हरचन्द सिंह : चूरू को ड्राई एरिया घोषित किया गया तो गंगानगर में शराब की सेल डेढ़ गुना बढ़ गई। मैं राज्य सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस बीमारी का सही इलाज करना चाहते हैं तो आपको साहसिक कदम उठाना चाहिए था और घोषणा करनी चाहिए थी कि गंगानगर जिले में पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू की जायगी। लेकिन ऐसा न करके राजस्थान सरकार जो घोषणा कर रही है, उससे वह इस बीमारी से लोगों को बचाना नहीं चाहती। इस कारण आप पर से लोगों का विश्वास उठ जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो उठ गया।

श्री हरचन्द सिंह : बार बार यह सवाल उठाया गया। बड़े जोर-शोर से यह नारा लगाया गया कि गांवों का विद्युतिकरण किया जायगा। आज हम समाजवाद की ओर बढ़ने की बात कहते हैं तो वह देखें कि गरीब आदमी का क्या हाल है। शहरों के अन्दर, डालमिया की फैक्ट्री को पांच पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और गरीब काश्तकार, जो ट्यूब-वैल लगाता है और देश के अन्न उत्पादन में सहयोग देता है, को पहले तो बिजली नहीं मिलती है और अगर दी जाती है तो 25 पैसा यूनिट चार्ज करते हैं। इस तरीके से समाजवादी व्यवस्था की बात करना उचित नहीं है कि गरीबों से ज्यादा चार्ज किया जाय और अरबपतियों के साथ लिहाज बरता जाय।

(श्री हरचन्द सिंह)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि बिजली की रेट्स इण्डस्ट्रीज पर ज्यादा की जाय। कृषि को एक उद्योग घोषित किया जाय और उसी हिसाब से काश्तकार को पांच पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली मोहय्या कराई जाय।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहने हैं, काबिल हैं साहब।

श्री हरचन्द सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन विभाग के अन्दर....

श्री एच. एन. शर्मा : अगला सरदार है, याद रखना।

श्री हरचन्द सिंह : यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जिन लोगों को जमीनें आवंटित की गई वे लोग जमीनों का कब्जा लेने नहीं आये। छत्रगढ़ में नागौर और चूरू के लोगों ने कब्जा नहीं लिया और पानी बेकार जा रहा है। एक ओर लोगों को भूमि आवंटित नहीं की गई और दूसरी ओर जिले के लोगों ने कब्जा नहीं लिया···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गंगानगर के लोगों को नहीं दी जाकर चूरू और नागौर के लोगों को जमीनें दी गईं, यह बात भ्रामक नहीं एक वास्तविकता है। अब तक वहां पर कोई रिटर्न प्राप्त नहीं होगा काश्तकार वहां नहीं जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो-तीन मिनट और लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी भावना आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के पास पहुंच जाय।

मत्स्य पालन की बात कही गई है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर, अजमेर से आने वाले सदस्य यह कह रहे थे कि हमारे यहां पानी नहीं है। हमारे यहां सूरतगढ़ तहसील में भी बीस गांवों के अन्दर घग्घर का डाइवर्शन करने से गांवों के गांवों में पानी छोड़ दिया गया था, किन्तु वहां पर मत्स्य पालन की कोई योजना का इस अभिभाषण के अन्दर उल्लेख नहीं है।

इस अभिभाषण के अन्दर यह बात कही गई है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जिन काश्तकारों की भूमि ली गई है उनका लगान कम कर दिया गया, बहुत दया की आपने। मैं कहता हूं कि 15–15 साल से जिन लोगों के पास जमीनें थीं उन लोगों को जमीन से महरूम कर दिया गया। उनकी जमीनों में पानी भरा है उनको न तो मुआवजा दिया गया और न उनको जमीन ही दी गई। घर से उनको बेघर कर दिया किन्तु उनको काश्त के लिए जमीन नहीं दी गई। उनको जमीन देने की व्यवस्था की जाय इतना ही मेरा निवेदन है।

इन लफ्जों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, नया साल लगने वाला है लेकिन वही हाल और बुरा हाल है। दुनिया में

(श्री मूलचन्द डागा)

छोटी-छोटी चोरियां करने वालों को जेल के सीखचों में बन्द किया जाता है लेकिन उन लोगों का क्या किया जाय जो अच्छे-अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं, जनता का विश्वास ले लेते हैं और दो करोड़ की जनता को धोखा देते हैं।

मंत्रिमंडल बनता है, वह क्या करता है? दो करोड़ जनता को झूठे आश्वासन···

**एक माननीय सदस्य :** ढाई करोड़।

**श्री मूलचन्द डागा :** पौने तीन करोड़।

उसके साथ आपका जो व्यवहार होता है, उसके लिए क्या सोचा है? पिछले साल आपने बड़े भाषण दिए आपने 19 जुलाई को राज्यपाल महोदय से भाषण दिलवाया। बुलन्द आवाज पे बड़ी घोषणायें कीं, वे आकाश तक पहुंचीं, रेडियो से प्रसारित हुईं। इन घोषणाओं की अनुपालना न करने और जनता को धोखे में रखने का दोषी कौन हो सकता है? आप लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। प्रजातन्त्र में हम लोग बड़ी भारी मीटिंग्स करके बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं। आप घोषणायें करते हैं उन पर हम विश्वास करते हैं लेकिन उसके बाद घोषणा की अनुपालना नहीं होती। यह बात मैं आज हिम्मत के साथ कहता हूं। जयपुर की ढाई सौ वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैरागी ने ठीक कहा था, 'यह साजिश का उजियाला है" मैं साबित करना चाहता हूं, मंत्रिमंडल पर मेरा चार्ज है कि यह कान्सप्रेसी है इन लोगों की। जनता पार्टी ने आकर अपनी घोषणायें दीं, जनता को मुगालते में रखा। जो परिणाम निकले हैं, वह वैसे ही हैं जैसा वैरागीजी ने कहा 'यह सब साजिश का उजियाला है, सावन के तस्कर हैं और सपनों के सौदागर हैं'। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषणों में कहा, हम मानव मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। मुख्य मंत्री भी बड़े ढंग से बोलते हैं कि 41 प्रतिशत लोग चुनाव में जीत कर आए। श्रीमान्, गांवों में आतंक था, लोग खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आप जांच करा लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। समय कम है इसलिये मैं कैलाशजी मेघवाल, पंचायत मंत्री को कहना चाहता हूं,जब पंचायत राज कायम हुआ, बलवंतराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट लिखी थी कि समाज की आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हमारे समाज का अगुआ बनेगा। हिम्मत के साथ मुख्य मंत्री घोषणा करें कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने लोग सरपंच बने और कितने पंच घोषित हुए, मैं उसका स्वागत करूंगा।

हैदराबाद से आकर गांवों को गोद ले लिया। मेरी गर्दन नीचे होती है। आप नये भिखमंगों की टोली खड़ी करना चाहते हैं। अन्त्योदय में राहत दिलाइए, लेकिन झोली बिछाने की आदत मत डालिए। आप कम्बल बांटना चाहते हैं? राजस्थान का निवासी अपनी ताकत पर खड़ा होना जानता है।

एक घोषणा कर दी कि मैं इतना बड़ा कानून बनाऊंगा जिससे भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा। कहां कानून बन गया? दूसरी घोषणा कर दी कभी मैं भ्रष्ट अधिकारियों को वापस नौकरी में नहीं लूंगा। लेकिन सेवा निवृत्ती के बारे में घोषणा कर दी। राज्यपाल महोदय से भी कहलवाया। शेष

# Page No 95

(95)



(श्री मूलचन्द डागा)

पाल त्यागी, जो शिक्षा शास्त्री हैं, हजारों किताबें लिखी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कल तो हाई कोर्ट जज थे और आज विश्वविद्यालय में बैठ गये। घोषणायें क्यों करवाई? किस लिए घोषणा हुई?

(व्यवधान)

कभी तो गंभीरता से सुनने की कोशिश करो। चारण और भाट का युग नहीं, चरण चुंबन का युग चला गया। 9 महीने तक मुख्य मंत्री ने गड़बड़ की, सारे विधायकों का ध्यान मंत्री बनने की तरफ लगा दिया, किसी ने कोई काम नहीं किया। सब तरफ से मुख्य मंत्री की जय जय हुई। यह खुला भ्रष्टाचार था सारा ...

**एक माननीय सदस्य :** आपका तो नम्बर नहीं आने वाला है।

**श्री मूलचन्द डागा :** अगर किसी को मंत्री घोषित करना है तो सरकार बनने पर पहले दिन किया जाए। कितना अधिक काम का बोझ कुछ लोगों पर था? 7 महीने के बाद मंत्रि-मंडल का विस्तार किया गया। 7 महीने में काम का नुकसान हुआ? आपने कहा, पश्चिमी राजस्थान के मंत्री लेने हैं, चुप रहो, करो चरण चुम्बन, वंदना करो। यह तरीका है मंत्रि-मंडल में लेने का। मुख्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं। मंत्री दिमाग रखते हैं, मंत्री खुद अपना निर्णय लेंगे। मुख्य मंत्री ने अपनी पाठशाला खोल रखी है। 9 महीने उद्योग मंत्री ने कुछ काम सीखा उनको बाहर निकाल दिया, नये आ गये। एक साल में काम सीखा फिर कह दिया बाहर जाओ। यह हमारा सुझाव है कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो अनुभव रखते हैं, जिनमें काम करने की शक्ति है, उनको मंत्रि-मंडल में लिया जाए और उसके बाद उन पर विश्वास किया जाए। मंत्रियों के पास भीड़ रहती है। तबादलों की राजनीति चल रही है। तबादलों पर तबादले हो रहे हैं। यह मैं नहीं कहता, यह तो आपके जे.पी. कहते हैं जिनको 75 लाख की थैली भेंट की जा रही है, उनकी कटिंग पढ़ूंगा :

'Have we done all we could to work as a united team? Have we done all we could to change our policies so that they benefit the last man? Have we done all we could to ensure that the concerned citizen feels in his day to day experience that indeed the Govt. is concerned, that indeed it is diferent I would want the Janta Governments and the party to reflect upon these questions to look onwards.'

**श्री मदनसिंह दांता :** जे पी. की तो आदत पड़ गई है।

**श्री मूलचन्द डागा :** आप जानें। वह पूछते हैं आपने क्या किया है? जगदीश प्रसाद माथुर, संसद सदस्य, कहते हैं कि मुख्य मंत्री ने सांसदों की परवाह नहीं की। उन्होंने स्टेटमेंट दिया–

"राज्य सरकार द्वारा सांसदों की उपेक्षा।

मुझे अफसोस है कि जयपुर में स्थाई रूप से रहने वाले संसद सदस्यों को भी श्री देसाई के कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई, न हमसे पूछा गया।"

Page No 96

(96)



(श्री मूलचन्द डागा)

क्या यह विकेंद्रीकरण है ? कह दिया कि हम राज्य में विकेंद्रीकरण कर देंगे। हम वापस लोगों को जमीन पर काबिज कर देंगे। बेरी कमीशन मुकर्रर कर दिया। रेवेन्यू रिकार्ड बोलता है कि हजारों मामले मौजूद हैं। रिकार्ड पर साफ जाहिर है कि लोगों के पास जमीन ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, आर्थिक विषमता है। अब क्रांति आएगी ?

मैं इस बात पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। यहां पर यह कहते हैं कि हमने 9 लाख मामले तय कर दिये जमीनों के। अरे यह आंकड़े क्या दे रहे हो ? क्या नयी बात है ? पंचायतों के हाथों से तो आये दिन, रोजाना सैंकड़ों नामन्तरणकरण होते हैं। क्या 9 लाख मामले तय कर देने की डींग मार रहे हो। यह आपको डींग मारने का शौक कब से हो गया ? You are mere servants of the people

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा, हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमारी कसौटी है। यह क्या कि आप मोरारजी भाई को बुलाकर और देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को बुला कर उनके मुंह से कहलवाते हो कि××× अन्त्योदय योजना एक अच्छी योजना बनायी है। यह आपको बाहर से बुलाकर तारीफ कराने की आदत कब से पड़ गयी ? यह आदत छोड़ दो, मुख्य मन्त्री जी। आपकी कसौटी भारत का प्रधान मन्त्री नहीं, नीलम संजीव रेड्डी नहीं हैं। हमारी और आपकी कसौटी जनता है। केन्द्रीय मन्त्री से तारीफ कराने से कुछ नहीं होगा। आपने अखबारों में बड़े-बड़े अक्षरों में छपवा दिया कि अन्त्योदय योजना में हमने काम किया। अरे, आप जाकर उन 1 लाख 65 हजार लोगों के मुंह से कहलाओ। वह अपने भाग्य को रो रहे हैं जिन लोगों को कांग्रेस के राज्य में सीलिंग कानून के अन्तर्गत जमीन नहीं मिल सकी। अरे, कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने वालो, आप सीलिंग के लिये नारे क्या दे रहे हो ? आप तो रेवेन्यू रिकार्ड उठाकर एक कमेटी बैठाकर जिनके पास ज्यादा जमीन है उन सभी की जमीनें लेकर तुरन्त बांट दो। आज भी बड़े सामन्तों के पास जमीन है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ भी जमीन के बारे में शिकायत की थी। मेरे पास दो हजार बीघा जमीन है। पर मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़े मन्त्रीजी ने शिकायत की वह झूठी निकली।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार जमीनों के बारे में बेरी कमीशन बैठा रही है उससे क्या होगा ? मेघवाल साहब, आप हंस रहे हैं। आपकी वकालत की जो पुस्तकें थीं उन पर तो धूल जम गयी है। रेवेन्यू रिकार्ड मौजूद है, लोगों के पास ज्यादा जमीन है तो छीन लो। क्या देख रहे हो ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत को कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह कोरी तारीफों में मत पड़। अरे भैरोंसिंह, हमने तो××× पार्टी को भारी बहुमत से जिता कर××× भैरोंसिंह से भारी सिंह बना दिया था पर×××तो भीरूसिंह हो गये हो। यह क्या हुआ।×××भीरूसिंह कैसे हो गये। पर××× कसूर नहीं है क्योंकि आप भी सन्तुलन और समझौता की राजनीति में पड़

×××शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मूल चन्द डागा)

गये हो इसलिये ××× काम नहीं हो सकता। समझौता और सन्तुलन की राजनीति में काम नहीं होता है गड़बड़ियां पैदा होती हैं। उससे राजनीति में गन्दगी पैदा होती है। पवित्र राजनीति नहीं होती है। इसलिये मैं अभी भी कहता हूं कि इस समझौता और सन्तुलन की राजनीति को छोड़ो।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी घोषणायें की भ्रष्टाचार को मिटाने की, कालाबाजारी को मिटाने की। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने काला बाजारियों को इन्होंने पकड़ा? अरे एक का तो नाम बताओ। किसी को नहीं पकड़ा। आज स्थिति यह है कि पूरा प्रशासक वर्ग आप पर हावी हो गया है। सारा लोकतन्त्र समाप्त हो गया है। 'लोक' तो रहे नहीं 'तन्त्र' सीने पर सवार हो गया है। आज प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारी लोग जनता का काम नहीं होने देते हैं। आप अपने बजट के आंकड़े देख लें, आपकी सारी मशीनरी, यह बड़े-बड़े अधिकारी लोगों ने क्या किया है। आज आपका अधिकारी इतना हावी है कि अगर कोई एम. एल. ए. चला जाता है तो उससे बात नहीं करता, गर्दन उठाकर नहीं देखता, कुर्सी पर से खड़ा नहीं होता है। अन्धाधुन्ध पैसा कमा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। आज सारा का सारा बापू नगर, तिलक नगर आपके इन अधिकारियों के बंगलों से भरा हुआ है। आज आपके कलेक्टर, पाली का बंगला देखो काफी लम्बा चौड़ा है। यह क्या बात है? यह क्या हालत है आपकी? इस हालत के लिये आपके जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि यह जो क्रान्ति हुई है यह परिवर्तन की क्रान्ति नहीं है। आज आपने, मुख्य मन्त्रीजी ने पश्चिमी राजस्थान के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कह कर उनको चुप कर दिया है। पर यह कब तक चलेगा। आज आप जो....

(व्यवधान)

कह रहे हैं वह आपकी कथनी है। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। कहने को तो आपने 'पेट्रियट' में अपनी तारीफ कराने के लिये स्टेटमेन्ट दे दिया। उसमें आपने कहा

'Janta Government was committed to give a clean administration and his Government will evolve a fool-proof law to eradicate corruption.'

I appreciate and I hope the Law Minister will please note this

(व्यवधान)

अरे, आपने तो यहां पर कहा था कि देखो क्या होता है, आज तो एक धमाका किया है, अब रोज धमाके होंगे, लोगों के खिलाफ में कार्यवाही होगी। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यह तो पांच बड़े आफिसर हैं। पर उस धमाके का क्या हुआ? कहां गये वह रोजाना के धमाके? आपने कहा था कि राजस्थान को कुशल प्रशासन दूंगा, स्वच्छ प्रशासन दूंगा पर मैं समझता हूं आपने अभी तक कुछ नहीं दिया जनता को। ले देकर आपके पास एक अन्त्योदय योजना है। ××× जयप्रकाश नारायण तो समग्र क्रान्ति की बात करता है और लोक समितियों की बात करता है और आप अभी अन्त्योदय योजना में पांच परिवार की ही बात करते हैं।

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मूल चन्द डागा)

(व्यवधान)

अरे सोशलिस्टो शर्म करो, गरीबों को ऊपर उठाओ नहीं तो लोहिया के शिष्यों नीचे गर्दन कर लो। अरे तुम्हारा लोहिया तो गरीबों का हिमायती था। अरे उसमें शक्ति थी। अरे बातें क्या करते हो, ले लो जमीनें और बांट दो गरीबों में। आज शहरों में जमीनें पड़ी हैं, बंगले बने हुए हैं ले लो इन्हें सीलिंग लगाकर और इन बड़े-बड़े भवनों और आलीशान बंगलों को बांट दो गरीबों में। जल्दी करो। धीरे-धीरे क्या कर रहे हो। धीरे-धीरे काम करना बुढ़ापे की निशानी है। जल्दी-जल्दी काम करना जवानी की निशानी है। क्या आश्वासन देते हो? यह आश्वासन और विश्वास दिलाने की बातों को छोड़ दो, उससे लोगों को सन्तोष नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डागाजी, आप भी अपना भाषण जल्दी-जल्दी समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं तो काम करना चाहता हूं और काम करने की बातें कह रहा हूं। गरीबों की गरीबी मिटाने की बात कर रहा हूं। यह जनता पार्टी किस प्रकार गरीबी मिटायेगी और समाजवाद लायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक्टिंग कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं कोई अभिनेता नहीं हूं। मैं आपके सामने, उपाध्यक्ष महोदय, श्री कुलदीप नय्यर ने जो अपनी किताब में लिखा है, पढ़ कर सुनना चाहूंगा। उसमें जो कहा हुआ है वह सत्य होकर रहेगा। उसमें लिखा है यह इमर्जेन्सी का परिणाम है यह कोई क्रान्ति · ·

श्री केदारनाथ : आपने कुलदीप नय्यर की किताब इमर्जेन्सी भी पढ़ी थी क्या। आप तो प्रेस के कटिंग ला कर बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, आपका भाषण प्रेस के कटिंग्स के कारण लम्बा होता जा रहा है। आप इसे संक्षेप में कहें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस की कटिंग नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो आपको उसमें क्या लिखा है वह पढ़ कर मुलाहिजा करा रहा हूं।

"Probably that is where the mistake lay. The peop'e had believed that the new Government would function in the way that distance between the ruler and the ruled very pronounced during the congress regime would lesson, the administrative machinery would move quickly, the living style of the Janata Ministers would be so different that they would exude simplicity and austerity. They would learn a lesson from the misdoings of the authoritarian predecessors so that such practice as instructing the officials by using extra legal methods would not be repeated."

(श्री मूल चन्द डागा)
बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। घोषणा करेंगे प्रोपर्टी की। छोटे मकानों में रहेंगे। हम अपनी प्रोपर्टी की घोषणा करेंगे। हम हमारी मिलकियत कितनी है वह बता देंगे। हम साधारण तरीके से रहेंगे। लेकिन वही है कारवां कारों का। वही शानदार मकान है और वही तरीका।

**श्री मदनसिंह दांता** : एक फर्क है। इनके मकानों में गरीब जाकर सोते हैं, आपके मकान में नहीं।

**श्री मूलचन्द डागा** : गरीब नीचे सोता है जहां खुला बरामदा है।

(व्यवधान)

उनमें और इनमें इतना फर्क है।

एक बात कहना चाहता था, श्रीमन्, न तो लोकतान्त्रिक मूल्यों की जो बात आप कह रहे हैं, वह बात ही हुई, न भूमि सुधार हुआ। जो आंकड़े ये बताते हैं उनको मैं चैलेन्ज करता हूं। एक आयोग बैठाया, कानसिंह आयोग। यह बैठा दीजिये। एक शाह आयोग और एक कानसिंह आयोग। शाह आयोग का क्या नतीजा हुआ? कानसिंह आयोग का भी वही नतीजा होगा। संजय की यात्रा पर खर्चा हुआ, उसकी जांच के लिए कानसिंह आयोग है। पहली असेम्बली में आपने कहा था कि कितना खर्चा हुआ, यह मैं बताऊंगा। लेकिन आज तक नहीं बता पाये। यह सदन का अपमान है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की गरिमा रखाने वाले हैं। आपके होते हुए मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि मारे आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं लेकिन आज तक कोई आंकड़े देने वाला नहीं है। हम सब यहां हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आंकड़े इकट्ठे करके सदन में रख दूंगा। ये जितने भी आयोग हैं उनका एक ही उद्देश्य है राजनैतिक। राजनैतिक रूप से हमारा चरित्र हनन किया जाय। इसके सिवाय और कुछ नहीं। जनता पार्टी का काम ही चरित्र हनन करने का रह गया है, पिछली बुराइयां करने का रह गया है। इसको दोहराने के सिवाय कुछ काम नहीं। न नयी प्रणाली है और न कोई ठोस काम है। कोई अब तक काम हुआ नहीं। राजनैतिक चरित्र हनन किया जाय, केवल मात्र यह काम रह गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारी चेतावनी को और किसी रूप में नहीं लेंगे और जो कुछ भी ठोस काम करना है वह हिम्मत के साथ करेंगे। दुनिया में कह रहे हैं कि देश को आगे ले जाना है। देश को आगे ले जाने की बात केवल राजनैतिक रूप में न रह जाय। आप सेवाभावी बनें और केवल कुर्सियों के लिये ही आपकी राजनीति न हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ओंकारलाल चौहान।

**श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सबसे पहले जितनी बातें माननीय डागाजी ने कही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : डागाजी ने क्या कहा। भैंरोंसिंहजी की बात पर कहो।

(व्यवधान)

श्री औंकारलाल चौहान : आपने लांछन लगाये हैं जनता पार्टी पर।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने लगाये हैं..

(व्यवधान)

श्री औंकारलाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था कि अभी आरोप-प्रत्यारोप लगे कि इस 8 माह की अवधि में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 19 जुलाई को राज्यपाल महोदय का पहला अभिभाषण हुआ, दूसरा अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने 28 फरवरी को इस सदन के समक्ष दिया। उस साल में जो लेखा-जोखा दिया और जो निर्देश दिये उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने कहा, मैं माननीय डागाजी को याद दिलाना चाहता हूं, हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे। आप भी इससे वाकिफ हैं कि पंचायतों के चुनाव हुए हैं, समय पर हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : और एक-एक चुनाव में 25-25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। आपने कहा था कि चुनाव सस्ते होंगे।

(व्यवधान)

श्री औंकारलाल चौहान : आप शान्ति तो रखिये। मुझे कहने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी बात सुनें नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : कुछ भी हो चुनाव तो हुए।

श्री औंकारलाल चौहान : जनता सरकार की कथनी और करनी के फर्क नहीं है। माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा..

श्री मूलचन्द डागा : लंगड़े चुनाव हुए हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : यदि चुनाव नहीं हुए होते तो आप कहते। चाहे छोटे से ही चुनाव हुए हों, जो कुछ भी बात सरकार ने कही थी कि पंचायतों के चुनाव होंगे वह चुनाव हुए हैं, यही काफी है। कम से कम इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : डागाजी को चिढ़ इस बात की है कि पार्टी में बुरी तरह से पिट गये।

श्री औंकारलाल चौहान : हमें उनके साथ सहानुभूति है।

मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरी बात जो जनता सरकार ने की है वह यह है कि राजस्थान में जितने राजस्व के मामले उलझे पड़े हैं, पैन्डिंग हैं, उनको निपटाया जाय, जमीनों को खाली करवाया जाय। हमने इस बात की घोषणा की थी और आज यह स्पष्ट है व सर्वविदित है, मैं दावे के साथ कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि दो दिन तक लगातार जितने भी राजस्व सम्बन्धी मामले पैंडिंग थे उनका निपटारा कराया गया, नामान्तरण कराया गया अथवा इन्तकाल खुलवाया गया। इसके साथ-साथ लगभग 25 लाख रुपये के कर्ज बांटे गये डीजल पम्प के लिये। इस प्रकार से गरीब लोगों को अपने राइट्स दिये गये, उनको आगे बढ़ाया गया उनके म्यूटेशन आदि के मामलों में निर्णय लिये गये।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

तीसरी बात जो जनता सरकार ने की वह यह है, जनता सरकार ने कहा था कि हम पेयजल की समस्या को प्राथमिकता देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जो मुख्य मंत्रीजी ने कही उसके बाद पिछले 8 महीनों के अन्दर कोई भी जिला, 26 जिलों में से कोई भी जिला, अछूता नहीं है जहां पर इस समस्या के समाधान के लिये कोई कोशिश न की गयी हो। सबसे भीषण समस्या पेयजल की यदि कहीं है तो वह पश्चिमी भाग में है। वहां की पेय जल की समस्या के लिये भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी चिन्तित है और दोनों ही सरकारें इसके लिये कोशिश कर रही हैं। भारत सरकार भी इसके लिये सहायता देगी।

चौथी बात राजस्थान सरकार ने यह भी कही थी कि मद्यनिषेध लागू करेंगे। पिछले बजट अधिवेशन के साथ कुछ घोषणा की गयी और अब भी इस अभिभाषण में इन्डीकेशन है, निर्देश है कि मद्यनिषेध बीकानेर और पाली में लागू करना चाहते हैं। यह सोचने की बात है कि राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। यह कोई हरियाणा या पंजाब तो है नहीं जहां पर छोटी-छोटी बातों को आसानी से निपटाया जा सकता हो। इस प्रदेश की सीमायें और इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जिसके कारण से कुछ समस्यायें बनी हुई हैं। इसलिये एक-एक बात को देखकर उस दिशा की ओर जा रहे हैं जिससे राजस्थान की सकल प्रगति हो और ऐसा राजस्थान बने जिसमें ग्रामीण लोग सुविधा प्राप्त कर सकें।

यह जो तीन चार बातें मैंने निवेदन कीं यह जनता पार्टी ने कीं और डागा साहब, जनता पार्टी की सरकार ने इन आठ महीनों में यह बातें करके दिखाईं। अभिभाषण में यह कहा गया है कि जल्दी ही सरकार नगरपालिकाओं के चुनाव कराने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार अपने वायदे के अनुसार और अपनी नीति के अनुसार नगरपालिकाओं के चुनाव समय पर करायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इस सम्बन्ध में कि कुछ बातों की तरफ अधिक तवज्जोह होनी चाहिए थी। मैं उनकी ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर संकेत मिलता है कि कुछ खनिज क्षेत्रों की रोड्स को बढ़ाया जा रहा है जिसके कि अन्दर हम रोजगार देना चाहते हैं। पैरा 41 में लिखा है :

> "राजस्थान में खनिज क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। खनिज क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष खनिज क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। जहां वर्ष 1976–77 में केवल 41 किलोमीटर लम्बाई की 6 सड़कों के निर्माण के लिए 21 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे वहां इस वर्ष 152 किलोमीटर लम्बी 27 सड़कों के निर्माण हेतु 72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी प्रगति की सूचक हैं। सारे राजस्थान के अन्दर और विशेषकर

(श्री ओंकार लाल चौहान)

हाड़ौती प्रदेश के अन्दर यह बात है कि यदि वहां पर अधिक से अधिक सड़कें हों और उन सड़कों पर व्यय किया जाये तो उससे रिटर्न मिलता है इन्डस्ट्रीज के माध्यम से, एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के माध्यम से और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलता है जिससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होती है। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कम से कम इस अभिभाषण के अन्दर यह दिशा निर्देश होना चाहिए कि हम कम से कम सड़कें काफी बनायें जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और बेरोजगारी की समस्या भी हल हो।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हम राजस्व अभियान की तारीफ करते है, लोगों में इस बात का विश्वास आगा है लेकिन जहां हम इस बात को कहते है कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, वहां मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। लोग हैडक्वाटर्स पर नहीं जा सकते। वे मुकदमों में फंस जाते हैं और न्याय सस्ता और सुलभ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं, उपाध्यक्ष महोदय एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। भवानी मण्डी झालावाड़ जिले में ऐसा क्षेत्र है जो डग और पिड़ावा दोनों को मिलाता है और उसका एस.डी.एम. हैडक्वार्टर झालावाड़ में रखा गया है। राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं और यह विश्वास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिलाधीश महोदय ने रिपोर्ट दी और उन्होंने इस बात को माना है, राज्य सरकार ने भी माना है कि यह चीज ठीक होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय साधनों की आड नहीं लेकर ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने के लिए भवानीमण्डी को एस. डी. एम. हैडक्वाटर रखा जाना चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाष में एक चीज की कमी नजर आई। जनता पार्टी ने कुछ नीति निर्देश दिये, कुछ दिशा निर्देश दिये तो समझ में नहीं आता कि आखिर यह समाज के अन्दर इम्बेलेन्सेस क्यों है? इनस्टेबिलिटी क्यों है? समता और समानता का प्रादुर्भाव क्यों नहीं होता? इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी परम्परा है रूढ़ीवादी इस देश के अन्दर और इस समाज के अन्दर जो कि समाज को आगे आने से रोकती है और बाधा पहुंचाती है। समाज का जो छोटा और पीड़ित तबका है उसको आगे नहीं आने देती। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति का इसमें प्रतिपादन होना चाहिए, वर्गहीन-समाज को बनाने की स्थिति में कदम बढ़ाना चाहिए। हम किस प्रकार से समाज में चेतना पैदा करें, हमें कौनसी नीति अपनानी चाहिए, कौन सा प्रचार का माध्यम रखना चाहिए, इसके लिए अलग से कार्य होना चाहिए। इसके लिए अलग से धनराशि मुकर्रर होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, समाज का सारा काम कानून से नहीं होता। समाज को बदलने के लिए कानून और

(श्री ओंकार लाल चौहान)
समाज में दो प्रकार के लोग हैं उनके अन्दर परिवर्तन होना चाहिए और इसी के सहारे हम इसको बदल सकते है एक किताब है Politics of Untouchability by Owen M Lynch." उसके अन्दर डाक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है :

"Hindu Society is like a wall built of four layers the untouchable being the bottom layer which supports the upper three layers. Remove the support of that bottom layer and the whole structure of Hindu Society will fall."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति नहीं आनी चाहिये। जनता पार्टी की सरकार है और हम इनके अंग हैं। देश में सब छोटे और बड़े बराबर हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मैं दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

इसलिए मैं यह चाहता था कि इस नीति का प्रतिपादन होना चाहिए था कि हम समाज के अन्दर रिवोल्यूशन तो नहीं पर इवोल्यूशन कैसे लायें। रिवोल्यूशन के लिए अभी हमारा समाज उस प्रकार का नहीं बना है। इसके लिए तड़प है लेकिन विचार अभी पैदा नहीं हुए हैं और वातावरण नहीं बना है। इसलिए इस इवोल्यूशन की थ्योरी को सामने रखते तो मैं समझता हूं कि देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए एक उचित कदम होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इस सिलसिले के अन्दर कि हमने अन्त्योदय की योजना बनाई। मैं मानता हूं अन्त्योदय आखिर का उपाय है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह नीति बनाई जिसकी सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने भी इसकी सैक्शन दी। इसके लिए उनको भी खुशी हुई। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया लेकिन मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हमने अभी तक इन पांच-छः महीने में इस ओर क्या काम किया है। सिर्फ हमने आदमियों की छटनी की। इसके अन्दर पांच चीजों का हवाला दिया है। एक तो यह कहा कि कृषि भूमि देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में भूमि की कमी है, उसको देखते हुए गरीब आदमी भूमि को पाने में असमर्थ रहेगा। दूसरा कारण यह है कि सीलिंग की बात चली थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में केसेज उलझे पड़े हैं इसलिए मुझे डर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस पर विचार करें और सोचें कि जमीन पड़ी हुई है और अगर गरीब किसानों को और शोषित वर्ग को ऊपर लाना चाहते हैं तो इस दिशा में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जमीन के अभाव में यह योजना सफलीभूत होने में मुझे आशंका नजर आती है।

दूसरे जानवरों भेड़, बकरी आदि के विकास के बारे में कहा गया। ठीक है पश्चिमी प्रदेश के अन्दर और मरुस्थल प्रदेश के अन्दर पशुधन ही एक धन है जहां इसकी

(श्री ओंकार लाल चौहान)

योजना कार्यान्वित की जा सकती है लेकिन इसमें भी अड़चनें हैं। बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक भी इन परिवारों को लाभ नहीं मिला। सच पूछिये, उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का होता है कि जो पेंशन की व्यवस्था की 19 हजार लोगों को पेंशन देने की वह हाईली एप्रीशियेबल है लेकिन अन्त्योदय योजना को पेंशन की योजना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि यह ओल्ड एज पेंशन है...

श्री रामनारायण चौधरी : आंकड़े बढ़ाने थे।

श्री ओंकारलाल चौहान : अन्त्योदय योजना से कोई लाभ नहीं है। हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि किस प्रकार से फाइनेन्शल इन्स्टीट्यूशन और बैंकों को राजी करें कि वह उनको ऋण दें। गरीब किसानों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वह गारन्टी दे सके। जब वह गारन्टी नहीं दे सकता तो मैं समझता हूं कि उसे योजना में फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं इस संबंध में कि इस पर फिर से विचार करना चाहिये और गम्भीरता से देखा जाना चाहिये इस बात को। न तो इसकी पब्लिसिटी से संतोष होगा और न इसका पेम्फलेट छपवाने से, इसके प्रचार से संतोष होगा। सिर्फ एक योजना बनी है इससे संतोष नहीं होगा। वास्तव में गरीबों को फायदा पहुंचाना है, तो एक योजना तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उसको फायदा पहुंचा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खतम करता हूं।

एक शेर पढ़ रहा हूं :

"बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का।
जो चीरा तो एक कतरा खून निकला।

मुझे विश्वास है, मुख्य मंत्री महोदय स्वयं समझदार हैं लेकिन उनसे बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि वास्तव में हमको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अन्त्योदय योजना को सफल बनाना है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स और जो भी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके हितों को देखना होगा, उनके प्रति मन में सद्भावना जाग्रत होगी तो जनता पार्टी को फायदा होगा। इन सुझावों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो शब्द कहना चाहूंगा। बड़ी खुशी की बात है, पहले भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनने को मिला और अभी भी। लेकिन इस अभिभाषण से यह सिद्ध हो गया है कि हरिजनों के लिये इसमें कतई कोई हित की बात नहीं व्यक्त का गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिये जितना भी कोटा निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति के लिये कोई भी नीति स्पष्ट नहीं की गई है। हरिजनों का सिर्फ नाम लिया जाता है। हरिजनों के हित के लिये दिल में कभी भी भावना नहीं थी। मुझे अफसोस है, हरिजन पढे-लिखे बेकार फिरते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं जाते हैं तो जवाब मिलता है, अवेलेबल

(श्री परसराम मोरदिया)

नहीं है। ऐसा उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें, कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ आज भी तीस साल पीछे है। मेरे क्षेत्र में 145 ग्राम हैं जिनमें से 18 गांवों में बिजली दी है। अकाल राहत के अन्दर गरीब किसानों को कहा गया कुए बनवाओ, हम बिजली देंगे। उन किसानों ने कुए खुदवाये लेकिन आज तक बिजली नहीं दी गई। बड़ा दुर्भाग्य है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में विकास का काम नहीं हुआ।

दूसरी ओर सड़कें करीब करीब ऐसी हैं, दो दो मील सड़कें ऐसी हैं जिन पर गाड़ी भी नहीं चल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, लक्ष्मणगढ़ के 25–30 मील के अन्दर कोई औषधालय नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो तीस मील उसे ऊंट गाड़ी से लेकर जावें। बड़े परेशान हैं। गरीबों के लिये आज तक वहां कोई औषधालय नहीं बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल के इस अभिभाषण में हरिजनों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस तरह यह साबित हो गया है कि हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया गया है। हरिजनों से जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके कोटे की पूर्ति कर रहे हैं उसके बाद जब मंत्री बन जाते हैं तो हरिजन क्या हैं, यह दिमाग से निकाल देते हैं। उस टाइम हाथ जोड़ते हैं, उनको ओबलाइज करते हैं, उनका पानी पीते हैं लेकिन वोट लेने के बाद उनके साथ अत्याचार किया जाता है। अगर जाकर शिकायत करते हैं तो कहते हैं हम देखेंगे। हरिजन हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, हरिजनों की 23 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन सवाल इस बात का है कि शुरू से ऐसा किया है। जमीन अलाट करते हैं तो ऐसी जगह अलाट कर देते हैं जिस पर दूसरों का हक है। जब लड़ते हैं, तो जिसे अलाट कर देते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उस जमीन की जितनी कीमत है उससे ज्यादा वह खर्च करता फिरता रहता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। उनकी सुनवाई के लिये एस. डी. ओ. लेवल तक ही कुछ करें ताकि उनको आगे परेशानी न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। हरिजनों को कहा गया कि आप लोग सोसायटी बनाओ, आपको चार चार हजार रुपये का कर्जा दिया जायेगा। उन लोगों ने सोसायटी बनाई। अगर जांच की जाये तो ऐसे ऐसे घोटाले मिलेंगे कि किसी को चार हजार क्या, दो हजार भी नहीं मिले होंगे। गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंचता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम यह सरकार हरिजनों के हितों की सुरक्षा करे। इस बात का आश्वासन भी मुख्य मंत्री महोदय दें कि अब जितनी भी नियुक्तियां होंगी वह हरिजनों में से की जायेंगी, जितने भी कोटे से वंचित रह गये हैं उसकी पूर्ति की जायेगी। किसी भी डिपार्टमेंट के अन्दर 5 पर्सेन्ट से ज्यादा हरिजन नहीं मिलेंगे। आप कहते हैं 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा करेंगे लेकिन वह कहीं

(श्री परसराम मोरदिया)

पूरा नहीं होता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आगे आने वाले टाइम में जब भी नियुक्ति हो तो हरिजन की हो। कोई डिपार्टमेंट लें हर जगह इनके साथ पक्षपात होता है। कई ऐसे आफिस हैं जिनमें एक भी हरिजन कर्मचारी नहीं मिलेगा। अफसर नहीं मिलेगा एक हरिजन कर्मचारी नहीं मिलेगा। जहां भी इनकी एप्लीकेशन्स जाती हैं, वहां उनको दबाया जाता है। टाइम पर इन्टरव्यू की सूचना नहीं पहुंचती है। इन सारी बातों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा भविष्य के अन्दर हरिजनों पर होने वाले अत्याचार को रोकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, फतेहपुर में एक हरिजन की जमीन 20 वर्षों से खाते में थी, उसका दूसरे के नाम खाता कर दिया गया। मैंने श्री केदारजी साहब से आर्डर करवाया था। लेकिन उस आदेश की भी पालना नहीं हुई। पूछते हैं, कैसे हुआ? कहते हैं तहसीलदार ने किया, किसने किया, हमको पता नहीं। चोरी करके चले गये। जब रिपोर्ट करने पहुंचा तो मैं सही अर्ज करना चाहता हूं उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थानेदार पैसे खा गये। उसकी रिपोर्ट पक्ष में थी। बड़े अफसोस की बात है आज इस प्रकार का उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। आखिर वे भी हमारे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, हिन्दुस्तान में जन्म लिया है।

इन्हीं बातों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह !

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और जिसके लिये लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं कुछ अहम समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट राजस्थान का ही नहीं, अपितु हिन्दुस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 25 तारीख से वहां के साढ़े सात हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाने के कोई मामूली कारण नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के कारण वहां हड़ताल हुई है। केवल कुछ सिड्ढियों का सवाल था, लिफ्ट से मजदूरों को जाने से मना कर दिया। मजदूरों ने मैनेजमेंट को आग्रह किया। मैनेजमेंट ने यह आदेश करके काम पर भेजा कि उनको 1 घन्टे और 40 मिनट की वेज नहीं मिलेगी। इसी बात को लेकर, हिन्दुस्तान के इतने बड़े प्रोजेक्ट में साढ़े सात हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वहां का जनरल मैनेजर इतना हठी है कि न वह जिला प्रशासन से बात करना चाहता है और न मजदूरों से बात करना चाहता है"

श्री स्योपतसिंह मक्कासर : केन्द्र के अधीन है।

श्री नवरंग सिंह : मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार से विशेषतः हमारी सरकार इस बारे में बातचीत करे और मजदूरों की जो वाजिब मांगें हैं, वह मानी जायं। आज जो मजदूरों पर वहां जुल्म हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाय।

(श्री नवरंग सिंह)

दूसरी समस्या जयपुर सेन्ट्रल जेल की रखना चाहूंगा। वहां पर एक हजार बन्दी हैं। मुझे दुःख है मैं अपने एक साथी से मिलने गया तो मुझे नहीं जाने दिया। जब कमिश्नर साहब से टेलीफोन पर इजाजत मिली तब अन्दर जाने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आखिर बन्दियों से उनके परिवार वालों को न मिलने देने का क्या कारण है? आप आज बन्दियों को खाना समय पर नहीं दे सकते हैं उनके परिवार वालों को मिलने के लिए समय नहीं दे सकते हैं तो क्या राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आपके प्रति यह विश्वास रखेगी कि आप प्रशासन ठीक प्रकार से चला पायेंगे?

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त्योदय योजना के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है उसमें अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 1 लाख 65 हजार परिवारों का चयन बताया गया है लेकिन मेरे सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री से जो सूचना मिली है उसके अनुसार 1 लाख 35 हजार 777 परिवार ही बताये गये हैं। तो यह फर्क क्यों है यह मेरी समझ में नहीं आता है। इससे साबित होता है कि आज भी ब्यूरोक्रेसी आप पर हावी है और यह ब्यूरोक्रेसी सही रूप में इस योजना को नहीं चला रही है। अन्त्योदय का जो योजना है, मैं हृदय से उसका समर्थन करता हूं। एक अच्छी योजना है लेकिन मेरे क्षेत्र में चयन के बाद जो परेशानियां आ रही हैं, उनका नजारा मैं रखूं। 25 तारीख की बात है। माननीय उद्योग मंत्री जी नवलगढ़ पधारे थे और यहां के बड़ौदा बैंक के जनरल मैनेजर वाकलीवाल को भी साथ ले गये थे। कल्लू और नौरंग हरिजन थे उनको दो दो हजार का चैक दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है, मंत्री जी और वाकलीवाल जी जयपुर पहुंचे भी नहीं होंगे कि उनसे चैक वापस ले लिया गया और कहा गया कि गलती से दे दिया गया, अभी फार्मेलिटी पूरी नहीं की गई है। तो यदि आप भी इसी चक्कर में पड़े रहे और यह कठिनाई आती रही तो जो एक अच्छी योजना है उसकी इतिश्री हो जायगी।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज राजस्थान में अकाल है, भयंकर अकाल है लेकिन इस अकाल के समय में गरीब किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है। मैं गांव में गया और जहां वहां भी गया तो मुझे एक बात सुनने को मिली कि 800 गांवों में से 799 गांवों में अकाल घोषित है फिर भी वहां लगान लिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां लगान को स्थगित क्यों नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से, मंत्रियों से निवेदन किया लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने जिलाधीश महोदय से भी जानकारी प्राप्त की। मुझे यह बताया गया कि अगर लगान नहीं देगा किसान तो कुर्की की जायेगी। तो मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से और अकाल राहत मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आदेश दें कि लगान न देना पड़े।

इसी प्रकार से चारे की व्यवस्था नहीं है। पहले यह कहा गया था कि चारे का डिपो खोला जायगा और 10 लाख क्विन्टल

(श्री नवरंग सिंह)

कड़बी का बन्दोबस्त किया जायगा लेकिन बाद में पता चला कि राज्य सरकार ने आनाकानी कर दी और कहा कि झुंझुनूं जिले में चारे की आवश्यकता है। जब दूसरे जिलों में आवश्यकता नहीं है तो झुंझुनूं जिले को ही क्यों आवश्यकता है? आज इसके कारण पशु भूख से मर रहे हैं। अकाल के अन्दर चार काम झुंझुनूं जिले में शुरू किये थे वे भी नाम मात्र के लिये और उनमें से भी बहुत से अब बन्द कर दिये गये हैं। यह कहा जा रहा है कि टैस्ट वर्क के लिये 25 हजार रुपये दिये थे वे समाप्त हो गये। इसलिये राज्य सरकार से मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में बड़ी मात्रा में अकाल राहत कार्य खोले जायं। राजस्थान भर में मजदूरों को तीन रुपये दिये जाते हैं। वह उन तीन रुपयों में अपना खुद का भी पेट नहीं भर सकता है तो अपने परिवार के पांच-दस जनों का कैसे पालन करेगा? तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इनके वेजेज को बढ़ायें।

इसके अलावा झुंझुनूं जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुओं का कार्य भी हाथ में लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। पहले भी यह कार्य हाथ में लिया गया था तो अब भी यह कार्य लिया जाय।

इसी तरह झुंझुनूं जिले की दो तहसीलों झुंझुनूं और चिड़ावा में केवल डेयरी का काम शुरू किया है, जब कि यह क्षेत्र पिछड़े इलाके में आता है। इसलिये उदयपुरवाटी व खेतड़ी को भी इस योजना में शामिल किया जावे।

इसके साथ साथ मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बताऊंगा। राज्य सरकार ने डेयरी प्रोजेक्ट में तीन लाख रुपयों के लोन से एक टैंकर खरीदा, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का अफसोस है कि झुंझुनूं के लोग उसका उपयोग नहीं कर सके और वह टैंकर अब जयपुर में काम आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो टैंकर झुंझुनूं के पैसे से खरीदा गया है वह वापस वहां पहुंचाया जावे ताकि वहां पर डेयरी के विकास में इसका उपयोग हो सके।

इसी तरह से मैं आपको बिजली की रेट के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। राज्य सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में निवेदन किया है लेकिन इसमें यह नहीं बताया है कि बिजली की फ्लेट रेट किस आधार पर, किस हिसाब से होगी। यह एवरेज के हिसाब से होगी या किस आधार पर होगी, यह बात भी सामने आना जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी बतायें कि कब तक इसको लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से वायदे तो पहले भी कर दिए गए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए इसकी निश्चित अवधि दी जानी चाहिए।

इसके साथ साथ बिजली में आम कमी हो रही है, जिसके कारण काश्तकारों की फसलें जल रही हैं। मोटरें जल रही हैं, सरकार के ट्रांसफोर्मर जल जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताऊं कि आज इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास दो करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर बेकार पड़े हुए हैं जिनकी रिपेयर नहीं करवाई जाती जब कि दूसरे ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। इस तरह से राज्य सरकार का बहुत सा धन बेकार में व्यर्थ पड़ा हुआ है। इसलिए मैं

(श्री नवरंग सिंह)
राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो दो करोड़ रुपयों के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए पड़े हुए हैं उनको तुरन्त रिपेयर करवा कर काम में लिया जावे।

इसी तरह से मैं कुछ आपके सामने बेरोजगारी के बारे में भी निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने चार लाख आदमियों को रोजगार देने का प्रावधान रखने की बात कही है लेकिन पिछले खतम हुए वर्ष 1977 में जिन्हें रोजगार दिया है उनके थोड़े बहुत आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। 17299 लोगों को रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया जब कि 2 लाख 30 हजार के करीब नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज थे। इसी तरह से महिलाओं में केवल 2286 महिलाओं को रोजगार दिया गया। जनजातियों में 295 लोगों को रोजगार दिया गया है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि विभाग का जो रोजगार पत्र निकलता है, उस रोजगार पत्र का प्रचार-प्रसार गांवों तक और गांव के लोगों तक पहुंचाया जावे ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि अगर नौकरियों पर ही रोजगार देने के लिए निर्भर रहे तो यह चार लाख लोगों को रोजगार देने की योजना फेल हो जावेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि गांवों में छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग धन्धे स्थापित किए जावें ताकि लोगों का गुजारा चल सके, उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

इसी तरह से इस अभिभाषण में . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

महिला शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप जानते हैं कि राजस्थान में विशेष कर देहातों में 97 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं, समर्थन करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल !

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रेषित अभिभाषण का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों की मनःस्थिति से, उनके मन के दुखों को सुन कर मन में ऐसा लगता है कि जिनके पास करने का समय था, पर्याप्त समय था, तीस वर्षों में इस राजस्थान को एक दिशा दे सकते थे, उन दिशा देने वाले लोगों ने राजस्थान को भटकी हुई परिस्थिति में छोड़ा और आज केवल आठ महीने की अल्पकाल की जनता पार्टी की सरकार पर इतने जोर से प्रहार कर रहे हैं। वह प्रहार जनता पार्टी पर नहीं बल्कि वह प्रहार अपने आप पर कर रहे हैं। इतना समय आपके पास था। हर छोटा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

छोटी बात के बारे में गरीबों के हमदर्द बन कर लगातार तीस वर्षों तक गरीब जनता को ठगा, भुलावे में रखा। वे जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दें कि इसने पहली बार गरीबों की ओर निगाह तो डाली।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गांव के उन व्यक्तियों को हमने छांटा है जो वास्तव में बहुत गरीब हैं, जो गरीबी की सबसे निम्नतम श्रेणी में आते हैं। आपने कभी प्रयास किया था गरीबी मिटाने का लेकिन प्रयास किया था अपने चमचों को ऊपर उठाने का, अपने चहेतों को ऊपर उठाने का, समर्थन देने वाले लोगों को ऊपर उठाने का। आज जनता पार्टी को बधाई दो, राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दो कि उसने बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए कि यह कांग्रेस को वोट देने वाला व्यक्ति है या जनता पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति है, गरीब–गरीब ही होता है, उसके उत्थान की चिन्ता की है। आज दिन तक कभी इस बात पर आपने मनन नहीं किया कि इस राज्य के लोगों के साथ क्या होता है। इस राज्य का एस. डी. ओ., तहसीलदार कभी गरीब की झोंपड़ी तक जा सकता है। कम से कम कभी तो यह विचार किया होता कि वह गरीब किस तरह से जूतियां घिसते हुए वर्षों तक तहसील के बाहर चक्कर लगाता रहा है और फिर निराश होकर घर लौट गया है। हमने पहली बार प्रयत्न किया, सरकार ने प्रयत्न किया कि वास्तव में जिसको हम तनख्वाह देते हैं, जो सरकार के नौकर हैं वह जाकर गरीब की झोंपड़ी के बाहर अपना डेरा डालें और उनके झगड़ों को निपटायें। क्या आप यह नहीं मानते कि भ्रष्टाचार को हमने समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। वर्षों तक लोग भटकते रहे। तहसीलदार अपने खण्ड में बैठा रहता, उसके एजेंट वहां बैठे रहते थे और काम निकलवाने के लिए लेने देने के सौदे होते थे। उस सबको कोई देखने वाला नहीं होता था। इसलिए हमने उनको कहा कि तुम अपना डेरा गांव की चौपाल पर लगाओ और सब लोगों के सामने बैठकर निर्णय करो। ऐसी हालत में किस प्रकार से वे अत्याचार और भ्रष्टाचार कर सकते हैं। क्या आप यह भी नहीं मानते कि इसके द्वारा हमने भ्रष्टाचार समाप्त किया है? आप तो शायद ऐसा समझते हैं कि भ्रष्टाचार बिजली का बटन दबाते ही समाप्त हो जावेगा यह नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से गांव के बीच में बैठ कर भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। आप इसको भी नहीं मानते कि आज सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगा सकता है, कोई किसी प्रकार का धब्बा लगा सकता है? क्या यह शुरुआत नहीं है भ्रष्टाचार को समाप्त करने की? आप पर लगातार भ्रष्टाचार के लांछन लगते रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि दोषी कौन है और किसको दण्ड देना है। आप झूठे भुलावे देने में जितने माहिर रहे हैं और भ्रष्टाचार में जितने माहिर रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

इसी प्रकार से जनता पार्टी गरीबों के लिए जो कुछ भी कर सकी है, अभी आठ महीनों की अवधि में जो कुछ कर सकी है उस पर आपको विचार करना है कि वह कितना उचित किया है और कितना अनुचित

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी शुरुआत की है। पिछले तीस वर्षों में जो कुछ किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में वह क्वान्टिटी की दृष्टि से जरूर किया है लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से कुछ नहीं किया है। क्वालिटी की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। जब तक क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक देश के नौजवानों को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, इसकी तैयारी के लिए योजना नहीं बनायेंगे तब तक देश में कुछ नहीं होगा। आज जनता पार्टी की सरकार राज कर रही है, कल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है लेकिन इस तरह आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार करने की हमारी मंशा है या नहीं, यह विचारणीय बात है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी भूमिका तैयार की जाय जिससे आने वाली पीढ़ी के नौजवान अच्छे रास्ते पर लग सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमने बेरोजगारी मिटाने के लिए चार लाख लोगों को काम देने की बात की हो लेकिन शिक्षित बेरोजगारों का क्या होगा। जिस लड़के को पढ़ाने के लिए पिता ने अपनी जिन्दगी भर की कमाई लगा दी, जिसने कर्जा लेकर अपने लड़के को पढ़ाया इस आशा और विश्वास के साथ कि अच्छा पढ़ कर यह मुझे कमा कर देगा, आज उस शिक्षित, पढ़े-लिखे बेरोजगार की क्या स्थिति है? चाहे वह एम.ए. फर्स्ट क्लास हो, चाहे वह पीएच.डी. हो, मारा-मारा फिरता है, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगाता है, छोटे-छोटे अफसरों के हाथ जोड़ता है कि मुझे सौ, दो सौ रुपयों की नौकरी पर लगा दो। क्या देश में पढ़े हुए नौनिहालों का यही हाल होगा? मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उनको रोजगार पर लगाने की व्यवस्था नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के शिक्षित बेरोजगारों की क्या स्थिति बनेगी।

इसी तरह से मैं यह भी मांग करता हूं कि आपने आयु की सीमा बन्दी लगा रखी है। रोजगार न मिलने से वह ओवरएज हो जाता है तो उस नौजवान का क्या दोष है? उसने एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा रखा है लेकिन उसको नौकरी प्राप्त नहीं होती है। पिछले पांच सालों से बराबर भटक रहा है लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं होती है। आयु सीमा 28 वर्ष निश्चित है। वह आयु सीमा पार कर जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिल सकती तो इसमें किस का दोष है? आज जो विद्यार्थी समाज में भटक रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि उसके सामने भविष्य साफ नहीं है। वह नहीं जानता है कि कालेज से निकल कर वह कहां जाएगा। उसको नौकरी मिलने वाली नहीं है। जितने दिनों तक कालेज में रह सकता है वह रह ले। एम. ए. कर लिया तो एल एल. बी. कर ले, डबल एम ए. में एडमिशन ले ले। इस तरह से वह कालेज में एडमिशन लेकर चक्कर काटता रहता है, नेतागिरी करता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

इसी तरह से विद्युत् मण्डल के सम्बन्ध में भी निवेदन करूं कि क्या वास्तविकता है। कहते हैं कि राजस्थान ने विद्युत् के मामले में बहुत प्रगति की है लेकिन पिछले कुछ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वर्ष, पिछले पांच छः वर्ष पूर्व का प्रश्न है, उस समय जो सत्ता में थे उन पर ही इसकी जिम्मेदारी जाती है लेकिन इसके साथ ही साथ नई सरकार पर भी इसकी जिम्मेदारी आती है जिससे यह सरकार मुकर नहीं सकती, जो तीस ओवरसियर, जिन्होंने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, पिछले पांच सात वर्षों से नौकरी कर रहे हैं · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर ; सैकड़ों हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उन लोगों का प्रमोशन एग्जाम रखा था। एग्जामिनेशन लेते समय यह कहा था कि सब लोग इसमें बैठो। दिसम्बर 1976 में परीक्षा में सब लोग बैठे। लेकिन आज तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मुझे कितने नम्बर मिले, किस में पास हुआ और किस में फेल हुआ हूं। उसके पश्चात् एक लिस्ट निकली और 196 लोगों को ओवरसियर बना दिया गया। उसके पश्चात् जिन लोगों का नम्बर नहीं आया, उन्होंने यह मांग की आखिर हममें कौन सी कमी रह गई है। लेकिन 20-3-77 को 17 लोगों की एक और लिस्ट निकाली गई। उसके बाद 17-5-77 को गिरधारी लाल वैष्णव को सूचना मिली। यह कौन सी बात है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है ? जिन लोगों ने पत्र दिये हैं उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है। उनसे पैसे की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि गरीब होने के कारण और पैसा नहीं दे सकने के कारण उनको नहीं लिया गया है। वह आज भी इधर उधर फिर रहे हैं। 171 लोग फेल हैं, उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा राज्य सरकार इसकी जांच कराये। जो व्यक्ति दोषी पाया जाये उसको सजा दी जाये। आश्चर्य होता है, जिन लोगों ने बेईमानी की है उनकी क्यों नहीं छुट्टी करें। लेकिन ऐसे आफिसर हैं, जो भ्रष्टाचार में पकड़ में आ गये हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। ऐसे भी लोग हैं, जो पुलिस के सिपाही हैं। छोटी नौकरियों के लोग हैं। मैं जाता हूं तो वास्तव में उनको देखकर पीड़ा होती है। कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनमें से ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके घरो में खाने को नहीं है। जो दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारियों के चमचे हैं, उनको नहीं निकाला गया है। ऐसे लोगों की ओर ध्यान दिया जाये।

272 लोगों को पेंशन दी गई लेकिन 275 लोगों ने मांग की है, वह जिन्दा हैं।

एक माननीय सदस्य : जिन्दा हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं चाहता हूं कि जो 275 लोग जिन्दा हैं, उनको पेंशन मिले।

दूसरी ओर जो हमारे आदिवासी हैं, उनके लिए यह कहा जाता है कि बिचौलिये उनका शोषण करते हैं। लेकिन मैंने पाया है कि निगम के द्वारा ढाई रुपये किलो गोंद खरीदा गया। चार रुपये किलो मूंगफली खरीदी गई। बाजार में 8 रुपये का भाव है। उनको हमें बाजार में बैठाना पड़ता है। क्या राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि उनके धन से, आदिवासियों के धन से धनी बनना चाहते हैं। मेरे पास रसीद नं. 6 की फोटो स्टेट कापी है। सरकार चाहे किसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
दुकान से खरीदे, निश्चित रूप से सामान अच्छा मिलेगा।

इन आठ महीनों में निश्चित रूप से सरकार के कदम अच्छाई की ओर बढ़े हैं। सी. पी. एम. के माननीय सदस्य को आलोचना करने का अधिकार है क्योंकि उनको राज्य करने का अनुभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने राज्य किया है, उनको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम चाहते थे देश को सड़ी गली राजनीति से निकाल कर अच्छे राज्य की संरचना करें। हम कितने दिन राज्य में रहते हैं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि गरीबों को कौन उठायेगा। मैं निवेदन करूं कि कुछ लोगों को ऋण अवश्य मिला है। लेकिन गरीब की सिक्योरिटी सरकार के अलावा और कौन दे सकता है। सरकार की ओर से गारंटी दी जानी चाहिए अन्यथा तो यही सिद्ध होगा कि हमदर्दी का नाटक किया गया है। मैं चाहता हूं उतने ही काम हाथ में लें जितने काम करने की शक्ति और क्षमता है। वैसे हम गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं और वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं। आज भी कई लोगों ने कहा है झाडोल—कराासया पिछड़ी हुई जगह हैं लेकिन वहां कोई सड़क नहीं है। 22 साल से सरकार ने सड़क बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटड़ा में पहली बार मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हुई है। वहां की जनता में इस बात के लिए बहुत खुशी है। लेकिन कोटड़ा जाने का जो रास्ता है, वह बहुत खराब है। वहां पर कोई विश्राम करने के लिए धर्मशाला या जगह भी नहीं है। लोगों को कई कई दिन पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोटड़ा के रास्ते को सुधारा जाये। जब तक यह रास्ता नहीं सुधारा जाता है तब तक मेरा निवेदन है कि वहां पर कैम्प कोर्ट लगायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय समाप्त हो रहा है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नाम दिये हैं, उनको कल के वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अवश्य समय दिया जाएगा। मैं चाहूंगा जो भी माननीय सदस्य और बोलें, या बोलना चाहें तो वह पहले ही अपने नाम की सूची दे दें। इससे हर माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह भी चाहूंगा कि जिन दलों को निर्धारित समय दिया गया है, अगर उन्होंने निर्धारित समय को पूरा कर लिया है, तो उन दलों के माननीय सदस्यों को समय देने में कुछ कठिनाई होगी। फिर भी मैं अधिक से अधिक समय देने का प्रयत्न करूंगा।

आज का समय, समाप्त हो रहा है। इसलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 मार्च, 1978 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6-00 बजे शुक्रवार दिनांक 3 मार्च, 1978 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 का ब्यौरा)

(1) खातेदारी अधिकार देने बाबत

| | |
|---|---|
| (1) दस वर्ष पूर्व भूमि आवंटन होने से खातेदारी अधिकार देने योग्य व्यक्तियों की संख्या | 138664 |
| (2) व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये | 123106 |
| (3) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें जांच के पश्चात् खातेदारी अधिकार देने योग्य नहीं पाया गया | 6860 |
| (4) शेष व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने हैं | 8698 |
| 1.2 दिसम्बर, 1974 से पूर्व आवंटित भूमि वाले व्यक्ति जिन्होंने दस वर्ष की शेष अवधि का ढाई गुना लगान जमा करा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये | 14766 |
| (2) ऐसे व्यक्तियों में से खातेदारी अधिकार दिये गये व्यक्तियों की संख्या | 13156 |
| (3) व्यक्ति जिन्हें जांच के पश्चात् खातेदारी अधिकार नहीं पाया गया | 294 |
| (4) शेष व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार देने हैं | 1316 |

(2) नामान्तरकरण के बकाया मामलों का निपटारा

| | |
|---|---|
| (1) कुल बकाया नामान्तरकरणों की संख्या | 589120 |
| (2) स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों की संख्या | 577395 |
| (3) शेष नामान्तरकरणों की संख्या | 11727 |

(3) सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं बाड़ों का निपटारा

| | |
|---|---|
| (1) कुल निपटाने योग्य मामले | 39184 |
| (2) निपटाये गये मामलों की संख्या :— | |
| (i) नियमन द्वारा | 21660 |
| (ii) बेदखली द्वारा | 9357 |
| योग | 31017 |

(3) शेष मामले जिनका निपटारा करना है 8167

(4) सिवाय चक गैर मुमकिन पड़ता अंगोर या वन भूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों और ढाणियों का नियमितीकरण

(1) ऐसी भूमि पर स्थापित किये गये ग्राम एवं ढाणियों की संख्या जिनका नियमितीकरण करना था 782

(2) संख्या ग्राम व ढाणियों जिनका नियमितीकरण किया गया 575

(3) शेष ग्राम व ढाणियां जिनका नियमितीकरण करना है 207

(5) अतिक्रमण के बकाया मामलों का निपटारा

| | संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|
| (1) अतिक्रमण के कुल बकाया मामले | 336745 | 587672 |
| (2) निपटाये गये मामलों की संख्या | | |
| नियमन द्वारा | 48157 | 93720 |
| बेदखली द्वारा | 218382 | 344653 |
| | 266539 | 438373 |
| (3) शेष मामले जिनका निपटारा किया जाना है | 77206 | 149299 |

(6) रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा संबंधित काश्तकार को दिलाने बाबत

(1) संख्या व्यक्ति जिनकी भूमि को रहन रखे हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया किन्तु कब्जा अभी तक नहीं मिला 6447

(2) ऐसे व्यक्तियों में से कब्जा दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या 3462

(3) शेष व्यक्ति जिन्हें कब्जा दिलाया जाना है 2985

(4) संख्या व्यक्ति जिन्हें रहन रखी हुई भूमि का कब्जा तो मिल गया या किन्तु नामान्तरकरण नहीं खोले गये थे 3131

(5) नामान्तरकरण खोले गये व्यक्तियों की संख्या 3000

(6) शेष व्यक्ति जिनके नामान्तरकरण खोले जाने हैं 131

# Page No 116

(116)



(7) काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान में कमी करना

(1) संख्या व्यक्ति जिनकी भूमि समाप्त की गई थी किन्तु लगान में कमी नहीं की गई — 34307

(2) संख्या व्यक्ति जिनको लगान में कमी की गई — 32713

(3) शेष मामले जिनमें लगान में कमी करना है — 1594

(8) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण संबंधी मामलों का निपटारा

(1) कुल विचाराधीन मामलों की संख्या — 15415

(2) निपटाये गये मामलों की संख्या — 12778

(3) शेष मामलों की संख्या — 2637

(9) ग्रामों की आबादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना

(1) संख्या ग्राम जिन्होंने आबादी विस्तार हेतु भूमि की मांग की — 3493

(2) ग्राम जिन्हें आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराई — 1838 — 15864
क्षेत्रफल (एकड़ों में)

(3) शेष ग्राम जिन्हें भूमि उपलब्ध करानी है — 1655

(10) बैंकिंग संस्थानों मे काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिलाने बाबत

(1) कुल विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या — 27464

(2) निपटाये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या — 27095

(3) शेष प्रार्थना-पत्रों की संख्या — 369

(11) कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमान्त कृषकों जिनकी आय 2400)रु वार्षिक से कम है के ऋण भार सभावित सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने बाबत

(1) विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या — 1238

(2) निपटाये गये प्रार्थना-पत्रों की सख्या — 1131

(3) शेष मामलों की संख्या — 107

(12) वृद्धावस्था पेंशन दिलाने बाबत

(1) विचाराधीन मामलों की संख्या — 23941

(2) निपटाये गये मामलों की संख्या — 18611

(3) शेष मामलों की संख्या — 5330

(13) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर पांच परिवारों का चयन करके इनके आर्थिक विकास का कार्य करने सम्बन्धी

| | | |
|---|---|---|
| (1) | परिवारों की संख्या जिनका चयन करना है | 159409 |
| (2) | चयनित परिवारों की संख्या | 132777 |
| (3) | शेष परिवार जिनका चयन करना है | 26632 |
| (4) | राज्य में 3098 चयन किये गये परिवार जिन्हें पशुपालन, भेड़ पालन आदि के लिए बैंक से 1347720 रुपये का ऋण दिलाया गया। | |
| (5) | राज्य में 16576 चयनित परिवारों को जिन्हें कृषि परियोजनार्थ एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। | 44106 |
| (6) | राज्य में 3459 चयनित परिवारों को जिन्हें स्वयं की भूमि के विकास के लिए 2240060 रुपयों का ऋण दिलाया गया। | |

(14. पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत

| | | |
|---|---|---|
| (1) | ग्रामों की संख्या जिनके लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने थे | 5338 |
| (2) | संख्या ग्राम जिनके लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये | 4989 |
| (3) | शेष ग्राम जिनके लिए प्रस्ताव तैयार करने हैं | 349 |

(118)



परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

राज्य में घोषित सहायता एवं सुविधायें जो समय 2 पर लागू की गई

| क्रमांक | सहायता एवं सुविधायें | तिथि जब से लागू की गई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भूमि :— | |
| | (1) औद्योगिक क्षेत्र | 31-12-1959 |
| | (2) औद्योगिक संपदा बस्ती | 17-3-1959 |
| | हायर परचेज एवं आउट राईट सैल | 12-6-1970 |
| | (3) कृषि भूमि की औद्योगिक भूमि में परिवर्तन | 20-12-1963 |
| 2. | वित्तीय सहायता :— | |
| | (1) राज्य सरकार द्वारा स्टेट एण्ड टू इण्डस्ट्रीज रूल्स 1959 | 24-11-1959 |
| | संशोधन . | 31-12-1963 |
| | (2) राजस्थान वित निगम द्वारा लघु उद्योगों को ऋण | 1-1-1972 |
| 3. | विद्युत शक्ति :— | |
| | (1) इलेक्ट्रीसिटी सबसीडी | 1-9-1966 |
| | (2) प्लेट सबसिडी | 19-1-1971 |
| | (3) रिबेट आन इलेक्ट्रीसिटी | 25-3-1970 |
| | (4) इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर छूट | 1-11-1965 |
| 4. | करों में रियायतें :— | |
| | (1) चुंगी कर में छूट : | |
| | (क) मशीनरी | 30-12-1959 |
| | (ख) मशीनरी/संशोधन | 22-4-1961 |
| | (ग) कच्चा माल | 1-6-1968 |
| | (2) राज्य बिक्री कर में सुविधा : | |
| | (क) 1 प्र. प्र. घटी दर पर माल खरीदने पर छूट | 2-3-1963 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (ख) दिनांक 1-3-70 से 31-3-74 तक की अवधि में स्थापित होने वाले उद्योग | 20-4-1970 |
| | (ग) आठ प्रकार के उपयोग की मशीन की खरीद पर बिक्री कर में छूट | 13-3-1963 |
| | (घ) उत्पादन द्वारा पंजीकरण व्यापारी को बिना कर चुकाये उत्पादित माल को (बेचने) की छूट | 23-3-1963 |
| | (3) केन्द्रीय बिक्री कर : | |
| | 15-8-70 के पश्चात् समस्त उद्योगों मार्च वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय बिक्री कर की नकद वापसी ऋण | 15-8-1970 मुख्य मंत्री की घोषणा |
| 5. | उत्पादित माल की खरीद में बिक्री सहायता :— | |
| | (1) 15 प्रतिशत कीमत का अभियान लघु उद्योगों को बड़े एवं मध्यम उद्योगों की तुलना में दिया जाता है। | 8-8-1966 |
| | (2) राज्य में स्थित बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का उनके द्वारा उत्पादित माल पर राज्य के बाहर स्थित उद्योगों की तुलना में 30 प्रतिशत कीमत का अधिकतम दिया जाता है। | 15-10-1966 |
| 6. | दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. जयपुर :— | |
| | निगम द्वारा इकाइयों को स्वदेशी मशीनें उपलब्ध कराने हेतु | मार्च, 1972 |
| 7. | राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम :— | |
| | (1) नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास | 12-6-1970 |
| | (2) फैक्ट्री शेड एवं फैक्ट्री बिल्डिंग का हायर परचेज प्रणाली से आवंटन | 4-7-1970 |
| | (3) हिस्सा पूंजी की भागीदारी | 16-11-1970 |
| 8. | पिछड़े जिले घोषित :— | 1-10-1970)<br>26-8-1971) |

# Page No 120

(120)



| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | (1) 10–15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान 6 जिलों में | 28–2–1973<br>1–3–1973 | (10 प्रतिशत<br>(15 ,, |
| | (2) 10–15 प्रतिशत राज्य द्वारा अनुदान 6 जिलों में | 6–9–1977 | |
| 9. | मार्जिन मनी लॉन :— | 6–9–1977 | |
| 10. | ब्याज पर अनुदान :— | 1–4–1976<br>1–3–1981 | |

## परिशिष्ट-3

(प्रश्न संख्या 23 की सूची)

ताल छापर स्लाइंग एरिया में 99 वर्ष की अवधि के लिए आवंटन भू-खण्ड

सूची

| क्रमांक | नाम आवंटित | क्षेत्रफल एकड़ में |
|---|---|---|
| 1. | श्री भैंरूदान कुण्डलिया | 80 |
| 2. | श्री जोहरी मल दाशी | 99 |
| 3. | मैसर्स साल्ट इण्डस्ट्रीज (श्री जोवराव सांखला) | 37.5 |
| 4. | मैसर्स एस. बलिष्ठ कुमार (श्री हमीरमल पींचा–श्रीमती कंचन कुमारी बींवा) | 37.5 |
| 5. | श्री असराज सोमानी | 81 |
| 6. | श्री रामचन्द्र बोथरा | 77 |
| 7. | श्री सोहन लाल सिंघी | 79 |

122



परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची)

| क. सं. | नाम भूतपूर्व सरपंच | ग्राम पंचायत का नाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री अब्दुल करीम | जवास |
| 2. | श्री पन्नालाल | बावलवाड़ा |
| 3. | श्री पूनम चन्द | नयागांव |
| 4. | श्री युसफ खां | पहाड़ा |